Con. 3. IX.21.49
320

अंक 9
संख्या 21

मंगलवार
30 अगस्त
सन् 1949 ई.

सत्यमेव जयते

भारतीय संविधान सभा
के
वाद-विवाद
की
सरकारी रिपोर्ट
(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

भारतीय संविधान सभा

मंगलवार, 30 अगस्त, सन् 1949 ई.

भारतीय संविधान-सभा, कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रात: नौ बजे, अध्यक्ष महोदय, माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में समवेत हुई।

संविधान का मसौदा — *(जारी)*

सातवीं अनुसूची — *(जारी)*

प्रविष्टि *7 — जारी*

***अध्यक्ष:** अब हम प्रविष्टि 7 पर बहस जारी करते हैं। मैं देखता हूं कि कई सदस्यों ने इस पर संशोधन की सूचनायें भेज रखी हैं। संशोधन नं. 172 को डॉ. देशमुख उपस्थित करेंगे।

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** (मध्य प्रान्त और बरार : जनरल): मैं इसे उपस्थित कर चुका हूं श्रीमान।

***अध्यक्ष:** तो अब संशोधन नं. 173 पेश किया जायेगा। श्री टी.टी. कृष्णमाचारी इसे उपस्थित करेंगे।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी** (मद्रास: जनरल): मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं श्रीमान:—

> "सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन नं. 6 के सम्बन्ध में, सातवीं अनुसूची की सूची 1 के प्रविष्टि 7 में, 'local self government" (स्थानीय स्वशासन) शब्दों के स्थान पर 'local government" (स्थानीय शासन) शब्द रखे जायें:"

कल डॉ. अम्बेडकर इस संशोधन पर प्रकाश डाल चुके हैं जो कुछ वह कह चुके हैं उससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है।

***श्री महावीर त्यागी** (संयुक्त प्रान्त: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि छोटी सी बात के लिये कल आपने सभा की बैठक स्थगित कर दी। अगर सभा समवेत रह जाती तो कल ही इसका निपटारा हो जाता। मेरा कहना यह है कि कटक, कटक मण्डली (Cantonments and Cantonment Boards) तथा ऐसे क्षेत्रों में आवास गृहों का आनियमन और किराया नियन्त्रण, उन सभी विषयों को अगर केन्द्राधीन कर दिया जाता है तो इससे लोगों को बड़ी असुविधा होगी। निजी तौर पर मैं यह महसूस करता हूं कि विभिन्न राज्यों में जो कटक क्षेत्र हैं वह

[श्री महावीर त्यागी]

केन्द्र की ज़मीनें नहीं हैं सभी प्रयोजनों के लिये वहां की समूची असैनिक आबादी राज्य द्वारा नियंत्रित रहती है। इन कटक क्षेत्रों का निर्माण ही इस प्रयोजन के लिये किया गया था कि ये स्थान सैनिक आबादी के पड़ोस के लिये उपयुक्त बने रहें और वहां के स्थानीय शासन सम्बन्धी काम सैनिक अधिकारियों के हाथ में रहें या कम से कम सैनिक अधिकारियों के प्रभाव में रहें ताकि सैनिक क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं सफाई की दृष्टि के कोई असुविधा न होने पाये।

शुरू-शुरू में जबकि इस कटक क्षेत्रों का निर्माण किया गया था उस समय इन क्षेत्रों में प्राय: कर के सैनिकों के बैरक, सैनिक अधिकारियों के मेस तथा सैनिक बंगले ही थे। किन्तु अब वहां की स्थिति बदल गई है। उदाहरण के लिये मेरठ का जो कटक क्षेत्र है उसमें तीन चौथाई आबादी है असैनिक नागरिकों की। यहां के सदर बाजार में प्राय: वकील और अन्य असैनिक लोगों का ही आवास है। यह सदर बाजार कटक क्षेत्र के अन्दर है जिस पर कटक मण्डली का क्षेत्राधिकार है। इस क्षेत्र निवासियों पर संयुक्तप्रान्त के सारे कानून लागू होते है, मसलन जैसा कि प्रान्त के अन्य स्थानों में हैं यहां भी विक्रय कर सम्बन्धी कानून लागू हैं। विधि एवं व्यवस्था सम्बन्धी सभी प्रयोजनों के लिये देश के सभी कटक क्षेत्र प्रान्तों के असैनिक अधिकारियों के नियंत्रण में ही हैं। केवल स्थानीय शासन का काम ही कटक मण्डलियों के हवाले किया गया है और बाकी सभी बातों में राज्य के कानून इन कटक क्षेत्रों के नागरिकों पर भी उसी तरह लागू होते हैं जैसे कि यहां के अन्य असैनिक नागरिकों पर।

अब स्थिति यह है श्रीमान, कि अधिकांश जगहों के कटक क्षेत्र शहर से बिल्कुल लगे हुए हैं। अगर, मकानों के किराये के नियंत्रण का तथा इसी तरह के अन्य अधिकार केन्द्र के अधीन कर दिये जाते हैं और कटक के पड़ोस वाले क्षेत्र पर भी इन सब बातों के केन्द्र का अधिकार हो जाता है तो इससे एक विषम स्थिति पैदा हो जायेगी। कटक क्षेत्र की सीमा के अन्दर की दुकान पर एक कानून लागू होगा और उसी के बगल में, पर कटक सीमा के बाहर जो दुकान है उस पर दूसरा कानून लागू होगा। कई साल से संयुक्तप्रान्त में मकानों के किराये का नियन्त्रण तथा मकानों का वितरण एक कानून के अधीन किया जाता था जो कटक क्षेत्रों पर भी समान रूप से लागू होता था। दो तीन वर्षो तक इस कानून के अधीन व्यवस्था पूर्वक काम चलता रहा पर इधर करीब एक साल से जब से कि हमारे प्रान्त के किराया कानून में संशोधन हुआ है कटक क्षेत्रों को किराया कानून की परिधि से बाहर कर दिया गया है और शायद केन्द्रीय शासन की इच्छा पर ही ऐसा किया गया है। इन क्षेत्रों पर गृह कानून अब लागू नहीं होता है। मेरे प्रान्त के विभिन्न कटक क्षेत्रों के अनेक निवासियों ने पत्र द्वारा मुझे अपनी यह शिकायत व्यक्त की है कि इस व्यवस्था से किराये को लेकर उनको बड़ी असुविधायें भुगतनी पड़ रही हैं। "कैंटोनमेंट टैक्स-पेयर्स एसोसियेशन" के सेक्रेटरी के पत्र से चन्द

पंक्तियां पढ़कर सुनाता हूं। "मेरठ के कटक क्षेत्र के मकानों और दुकानों से किरायेदारों को हटाने के लिए व्यवहार न्यायालयों में करीब एक हजार से अधिक मुकदमें दायर हो चुके हैं और कई मामलों में तो किरायेदारों का हटाने का फैसला भी सुना दिया गया है"। यह मामले उन मकानों के सम्बन्ध में नहीं हैं जिन पर शासन यानी सरकार का स्वामित्व हो बल्कि असैनिक क्षेत्रों के मकानों और दुकानों के सम्बन्ध में हैं जिन पर नागरिकों का स्वामित्व है। उक्त एसोसियेशन के मंत्री आगे लिखते हैं कि "अकेले मेरठ के कटक क्षेत्र की ही असैनिक आबादी एक लाख से ऊपर हैं"। अब प्रान्त की इस एक लाख की आबादी पर प्राय: सभी प्रयोजनों के लिये प्रान्त का कानून लागू न होगा बल्कि एक दूसरा ही कानून लागू होगा जिसे केन्द्र बतायेगा जैसा कि दिल्ली के सम्बन्ध में होता है। प्रान्त अगर कोई कानून बनाता है तो वह कानून कटक क्षेत्रों की असैनिक आबादी पर लागू नहीं होता है। प्रान्त की असैनिक आबादी पर वह कानून तभी लागू हो सकता है जब केन्द्र इसकी अनुमति दे। अगर अपने भावी संविधान के अधीन यही व्यवस्था रहेगी तो मैं इसका अवश्य विरोध करूंगा क्योंकि कटक क्षेत्रों में बसने वाले असैनिक नागरिक भी राज्य के उसी तरह नागरिक हैं जैसे कि वहां की सैनिक आबादी। वहां की सैनिक तथा असैनिक आबादी में कोई भेदभाव बरतना अन्याय होगा। इसलिये मेरा कहना यह है कि स्थानीय शासन के अतिरिक्त यहां लिखी अन्य सभी बातों के बारे में कटक क्षेत्रों की असैनिक आबादी को वही सुविधायें मिलनी चाहियें जो कि उनके पड़ोसवर्त्ती सैनिक आबादी को प्राप्त है।

इसलिये मैं यह संशोधन रखता हूं:

"कि सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन नं. 6 में, सूची 1 की प्रविष्टि 7 में 'and the regulation of House accommodation (including the control of rents) in such areas" शब्दों को हटा दिया जाये।"

देश भर में किराया नियंत्रण का काम राज्यों के अधीन है फिर कटक क्षेत्रों के असैनिक इलाकों को ही इस सम्बन्ध में क्यों केन्द्राधीन कर रहे हैं;

इस सम्बन्ध में एक दूसरा वैकल्पिक संशोधन भी अभी मैं उपस्थित करने जा रहा हूं पर उसे पास करने का सवाल तभी खड़ा होगा जबकि यह उपस्थित संशोधन सभा को स्वीकार्य न हो। मेरा दूसरा संशोधन यों है:

"कि सूची 1 (पष्ठम सप्ताह) के संशोधन नं. 6 में, सूची 1 की प्रस्तावित प्रविष्टि 7 में "(including the control of rents)" के स्थान पर "(excluding the control of rents)" रखा जाये।"

मेरा मतलब यह है कि किराया नियन्त्रण का काम हमें केन्द्र के हाथ में न देना चाहिये। झांसी से मुझे एक पत्र मिला है जिसमें यह कहा गया है कि कटक

[श्री महावीर त्यागी]

क्षेत्रों का किराया नियन्त्रण संयुक्तप्रान्त के शासन के हाथ में न रहने से वहां लोगों को बड़ी दिक्कतें भुगतनी पड़ रही हैं। इसलिये मैं कहूंगा कि अगर मेरा पहला संशोधन स्वीकार्य न हो तो सभा को मेरा दूसरा संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए। या अगर यह भी मंजूर नहीं है तो डॉ. अम्बेडकर ही कृपा कर कोई युक्ति निकालें जिससे मेरे अभिप्राय की पूर्ति हो सके।

(संशोधन नं. 175-177 पेश नहीं किये गये।)

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्यप्रान्त और बरार: जनरल): अध्यक्ष महोदय, श्री त्यागी के संशोधन पर मैं बोलना चाहता हूं।

***अध्यक्ष:** अच्छी बात है, पर तीन मिनट से ज्यादा समय न लीजियेगा। मैं घड़ी देखता रहूंगा।

***श्री आर.के. सिधवा:** इस संशोधन पर बोलते हुए कल मैंने स्थिति को स्पष्ट कर दिया था और कह दिया था कि मसौदा-समिति संशोधन को स्वीकार कर लेगी। किन्तु श्री त्यागी चाहते यह हैं कि कटक क्षेत्रों का परिसीमन केन्द्रीय सूची में रहे। यह किराया नियन्त्रण की बात यहां से हटाना चाहते हैं। पर इसको हटाने से यह होगा कि परिसीमन का काम भी प्रान्तीय सूची में आ जायेगा। जब तक आप इस सूची से परिसीमन की बात को भी बिल्कुल ही नहीं हटा देते हैं केन्द्रीय सूची में मकान के किराये की आनियमन की बात नहीं रख सकते हैं। संयुक्तप्रान्त में किराया नियंत्रण सम्बन्धी जिस कठिनाई का उन्होंने जिक्र किया है उसे मैं जानता हूं। मेरे पास भी शिकायतें आई हैं कि प्रान्त का किराया कानून कटक क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। यह तो एक ऐसा विषय है जिस पर प्रान्तीय सरकारें अपना अलग-अलग मत रख सकती हैं और तद्नुसार कार्रवाई कर सकती हैं। बम्बई प्रान्त में स्थिति भिन्न है। पूना के कटक क्षेत्र पर, किराया कानून को बम्बई सरकार ने लागू कर रखा है। फिर इसके अलावा मैं नहीं समझता कि यह बात श्री त्यागी के संशोधन के प्रयोजन के लिये अनुकूल है क्योंकि इससे परिसीमन का सारा अधिकार जो अभी केन्द्र के हाथ में है वह उसके हाथ से निकल जायेगा।

***श्री महावीर त्यागी:** माननीय मित्र की जानकारी के लिये मैं यह बताना चाहता हूं कि मैंने एक संशोधन की सूचना दे रखी है जिसमें इस विषय को प्रान्तीय सूची में रखने का सुझाव दिया गया है।

***श्री आर.के. सिधवा:** उस पर तो हम तब विचार करेंगे जबकि वह यहां उपस्थित किया जायेगा। किन्तु जहां तक आपके वर्तमान संशोधन का सम्बन्ध है, किराया नियन्त्रण तथा परिसीमन दोनों बातों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। मैं इस संशोधन का समर्थन नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि मसौदा-समिति का जो संशोधन है उससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** (बम्बई: जनरल): संशोधनों में केवल माननीय मित्र श्री त्यागी के ही संशोधन ऐसे हैं जिनके लिए उत्तर में कुछ कहना मेरे लिए जरूरी है। श्री त्यागी ने विकल्पशः दो संशोधन रखे हैं। पहले संशोधन द्वारा आप यह चाहते हैं कि वह सारा अंश यहां से हटा दिया जाये जिसमें किराया नियन्त्रण के साथ गृह व्यवस्था की बात कही गई है। आपने जो दूसरा वैकल्पिक संशोधन रखा है उससे आप यहां तक तो तैयार हैं कि गृह-व्यवस्था के नियंत्रण तथा आनियमन की बात यहां रखी जाये पर 'किराया नियंत्रण' को आप यहां से हटा देना चाहते हैं। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि इस सम्बन्ध में वह समझौता कर लेना चाहते हैं। यदि माननीय मित्र को "गृह व्यवस्था का आनियमन" को यहां रखने पर वस्तुतः कोई आपत्ति नहीं है, जैसा कि उनके वैकल्पिक संशोधन से स्पष्ट है, तो मैं कहूंगा कि "गृह व्यवस्था का आनियमन" के फलस्वरूप 'किराया नियंत्रण' का रखना भी यहां नितान्त आवश्यक है क्योंकि दोनों बातें परस्पर सम्बद्ध हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। गृह-व्यवस्था का आनियमन सर्वथा असम्भव है अगर प्राधिकारी को गृह व्यवस्था के आनियमन की शक्ति के साथ किराये के नियंत्रण की शक्ति नहीं दी जाती है। इसलिये मेरा कहना यह है कि गृह व्यवस्था के आनियमन के साथ हमें किराया नियंत्रण की बात यहां रखनी ही होगी क्योंकि दोनों बातें परस्पर सम्बद्ध हैं। अगर माननीय मित्र श्री त्यागी को गृह व्यवस्था के आनियमन की शक्ति देने पर कोई आपत्ति नहीं है तो उन्हें किराया-नियंत्रण की शक्ति देने पर भी कोई आपत्ति न होनी चाहिए।

***अध्यक्ष:** अब मैं संशोधनों पर मत लूंगा। पहला संशोधन है डॉ. देशमुख का।

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** यदि मसौदा-समिति कृपा कर इस बात के लिए राजी हो जाये कि अन्तिम रूप से मसौदे पर विचार करते समय वह मेरी बात पर विचार करेगी तो अभी इतने से ही मैं संतोष कर लूंगा।

***अध्यक्ष:** जहां तक मैं देखता हूं, इस प्रश्न का सम्बन्ध मसौदे की रचना से ही है। इसलिए इसको हम मसौदे-समिति पर छोड़ सकते हैं।

प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन नं. 6 के सम्बन्ध में, सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रस्तावित प्रविष्टि 7 में "local self-government" (स्थानीय स्वशासन शब्दों के स्थान पर "local government" (स्थानीय शासन) शब्द रखे जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** अब प्रश्न यह है:–

"कि सूची 1 (पष्ठम सप्ताह) के संशोधन नं. 6 में सूची 1 की प्रस्तावित प्रविष्टि 7 में "and the regulation of House accommodation

[अध्यक्ष]

including the control of rents) in such areas" शब्दों को हटा दिया जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** अब प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन नं. 6 में, सूची 1 की प्रस्तावित प्रविष्टि 7 में '(including the control of rents)' के स्थान पर' (excluding the control of rents)' रखे जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** सारे संशोधनों पर तो राय ले ली गई। अब रह गया मूल संशोधन जो यह है:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 7 के स्थान पर यह रखा जाये:

"कटक क्षेत्रों का परिसीमन, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, ऐसे क्षेत्रों के अन्दर कटक प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां, तथा ऐसे क्षेत्रों में गृहवासन का विनियमन (जिसके अन्तर्गत किराये का नियंत्रण भी है।)' "

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** अब प्रस्ताव यह है:

"कि प्रविष्टि 7 यथा संशोधित रूप में सूची 1 का अंग मानी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रविष्टि 7 यथा संशोधित रूप में संघ-सूची में जोड़ी गई।

प्रविष्टि 8

***अध्यक्ष:** प्रविष्टि 8, 9, 10 पर तथा मूल प्रविष्टि 11 पर कोई संशोधन नहीं है।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (बिहार: जनरल): प्रविष्टि 8 पर एक संशोधन है जिसका नं. है 178।

***अध्यक्ष:** यह तो नया संशोधन है। मैं जिक्र कर रहा था उन संशोधनों का जो प्रविष्टि 8, 9 और 10 पर आये हैं और संशोधनों की मूल सूची में छप चुके हैं। नये संशोधनों की सूचना जरूर आई है किन्तु मूल प्रविष्टि पर आये हुए इन नये संशोधनों को उपस्थित करने की अनुमति मैं नहीं दूंगा। इसलिये संशोधन नं. 178, 179 और 181 को मैं अनियमित ठहराता हूं।

अब प्रस्ताव यह है:

"कि प्रविष्टि 8 सूची 1 का अंग समझी जाये।"

प्रविष्टि 8 संघ सूची में जोड़ी गई।

प्रविष्टि 9

प्रविष्टि 9 संघ-सूची में जोड़ी गई।

प्रविष्टि 10

प्रविष्टि 10 संघ-सूची में जोड़ी गई।

प्रविष्टि 11

प्रविष्टि 11 संघ-सूची में जोड़ी गई।

प्रविष्टि 12

***अध्यक्षः** प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना के नाम से एक संशोधन इस आशय का है कि प्रविष्टि 12 संघ-सूची से हटा दी जाये। संशोधन इस प्रविष्टि को रखने का विरोध करता है। यदि संशोधनकर्त्ता महोदय बोलना चाहते हों तो बोल सकते हैं। मैं यह भी देख रहा हूं कि एक संशोधन श्री कामत का भी है।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्य प्रान्त और बरारः जनरल): मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान, "कि सूची 1 की प्रविष्टि 12 में, अन्त में "or any international body" (या कोई अन्तर्राष्ट्रीय निकाय) शब्द रख दिये जायें।"

मेरा मतलब यह है कि इस प्रविष्टि में ऐसा सुधार कर दिया जाये कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावा कोई अन्य अन्तर्राष्ट्रीय निकाय भी इसमें शामिल समझा जा सके। इस संशोधन को रखते हुये मैं यह निवेदन करूंगा श्रीमान, कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ ही दुनिया में एकमात्र निकाय नहीं होगा। ऐसे और भी निकाय बन सकते हैं। माननीय मित्रों को खूब मालूम है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 'राष्ट्र संघ' नाम का एक अन्तर्राष्ट्रीय निकाय गठित किया गया था पर स्थापना के कुछ दिनों बाद ही इसका असामयिक अन्त हो गयाः अब द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप सृष्टि हुई है 'संयुक्त राष्ट्र संघ' कीः 'कोई भी व्यक्ति जो यह भविष्योक्ति करने का दावा करता है कि यह निकाय बहुत दिनों तक जीवित रहेगा मैं कहूंगा कि वह एक विवेक शून्य भविष्यवक्ता है इस निकाय में मतभेद पैदा हो चुका है और.........

***अध्यक्षः** प्रविष्टि 13 से क्या आपके उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो सकती?

***श्री एच.वी. कामतः** नहीं श्रीमान, इस प्रविष्टि की चर्चा मैं अभी जरा ही देर बाद करने ही जा रहा हूं। हाँ मैं यह कह रहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मतभेद पैदा हो चुका है, इसमें दरारें पड़ चुकी हैं और कोई नहीं कह सकता

[श्री एच.वी. कामत]

कि यह निकाय भी 'राष्ट्र संघ' की तरह कब समाप्त हो जायेगा। अपने संविधान के सम्बन्ध में तो मुझे इसकी पूरी उम्मीद है कि वह एक इस लम्बे अरसे तक चालू रहेगा। किन्तु 'संयुक्त राष्ट्र-संघ' के सम्बन्ध में तो मैं कहूंगा कि, अभी से ही कितने लोग संशय करने लगे हैं, निराशा व्यक्त करने लगे हैं और यह भविष्यवाणी करने लगे हैं कि इस निकाय का शीघ्र ही अन्त होने वाला है। ईश्वर न करे इसका अन्त इस तरह हो जाये, पर कोई नहीं कह सकता यह निकाय जीवित रहेगा या इसका स्थान कोई दूसरा निकाय ले लेगा। इसके अलावा यह भी संभव है कि भविष्य में तमाम दुनिया में ऐसे प्रादेशिक निकाय भी स्थापित हो जायें। हम सभी को मालूम है कि सन् 1947 ई. के अप्रैल महीने में "ऐशियन रिलेशन्स कान्फरेंस" नाम से एक सम्मेलन समवेत हुआ था और उसके निर्णय के फलस्वरूप "ऐशियन रिलेशन्स ऑरगैनाइजेशन" नामक एक निकाय की स्थापना की जा चुकी है। हो सकता है आगे चलकर भारत सरकार और राज्यों की सरकारों के साथ इस निकाय का सदस्य बन जाना पसन्द करे। हो सकता है यह निकाय संयुक्त-राष्ट्र संघ से भी अधिक स्थायी सिद्ध हो।

आपने, श्रीमान, कृपा कर मेरा ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया है कि प्रविष्टि 13 में जो कुछ रखा गया है यानी अन्तर्राष्ट्रीय संघ या अन्य ऐसे निकाय का जो उल्लेख है उसके अन्तर्गत मेरा यह प्रस्ताव सम्भवत: आ सकता है। यदि ऐसी बात है तो मैं यह पूछता हूं कि फिर प्रविष्टि 12 को ही रखने की क्या आवश्यकता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र-संघ भी तो आखिर एक अन्तर्राष्ट्रीय निकाय या संघ ही है मैं समझता हूं कि प्रविष्टि 13 से मतलब है ऐसे सम्मेलनों और निकायों में समय समय पर सम्मिलित होने से। किन्तु प्रविष्टि 12 का मतलब है इस निकाय की सदस्यता से जिसमें कि सदस्य राष्ट्र की जिम्मेदारियां उनके कर्तव्य और आभार सभी आ जायेंगे। मेरी समझ से श्रीमान, प्रविष्टि 12 और 13 में यही अन्तर है। प्रविष्टि 13 का मतलब ऐसे सम्मेलनों में सम्मिलित होने से है किन्तु प्रविष्टि 12 उससे अधिक व्यापक है और इसके अन्तर वह सभी आभार और दायित्व आ जाते हैं जो किसी विशेष अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता स्वीकार करने से लागू होते हैं। इसलिये मेरा कहना यह है कि श्रीमान, कि इस बात का ख्याल रखते हुए कि 'संयुक्त राष्ट्र-संघ' एक स्थायी निकाय नहीं है तथा इस बात का ख्याल रखते हुए कि हम लोगों को भरोसा इस बात का है कि अपना संविधान किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय निकाय से अधिक चिरजीवी होगा। हमें सूची में न केवल संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता के आभार एवं दायित्वों का ही प्रावधान करना चाहिए बल्कि अन्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय निकाय की सदस्यता का भी जो कि आगे चल कर कभी स्थापित हो, हमें यहां प्रावधान कर देना चाहिए। इसलिए अपना संशोधन नं. 3517 मैं यहां पेश कर रहा हूं और सभा से सिफारिश करता हूं कि वह इस पर विचार करे।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना** (संयुक्तप्रान्त: जनरल): मैं यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं श्रीमान, कि प्रविष्टि 12 को हटा दिया जाये। इसको हटाने की मांग के कारण

यह हैं। सभा का ध्यान मैं यूनियन पावर्स कमेटी की रिपोर्ट की ओर आकृष्ट करूंगा। इस रिपोर्ट के पैरा 2 में कहा गया है:

'विदेशिक मामले' से बोध्य है वह सभी विषय जिनके कारण संघ का किसी विदेश से सम्बन्ध स्थापित होता है और विशेष करके इसके अन्तर्गत निम्नलिखित विषय आते हैं:—

(1) कूट नैतिक, वैदेशिक राजदूत सम्बन्धी तथा व्यापार सम्बन्धी प्रतिनिधित्व।

(2) संयुक्त राष्ट्र-संघ।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संघों तथा ऐसे अन्य निकायों में शामिल होना और उनके निर्णयों को कार्यान्वित करना इत्यादि।

वस्तुत: वहां 17 विषयों का उल्लेख किया गया है और यहां इस सूची में उन सबको ज्यों का त्यों उठाकर रख दिया गया है हमने प्रविष्टि 10 में कहा है:—

"विदेशीय कार्य वे सब विषय जिनके द्वारा संघ का किसी विदेश से सम्बन्ध होता है। इसलिए यह प्रविष्ट इतनी व्यापक है कि इसके आगे की बहुत सी प्रविष्टियां कम से कम 17 उसके अन्तर्गत आ जाती हैं। इनको पुनरावृत्त करने की मुझे तो कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं और जो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है। हम अपने देश के लिए संविधान तैयार कर रहे हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र-संघ के सम्बन्ध में कोई प्रविष्टि रखकर इस निकाय को अपने संविधान का एक स्थायी अंग बनाने की हमें भला क्या आवश्यकता है? इस निकाय की स्थापना अभी करीब चार वर्ष से ही हुई। आज भी यह निकाय ऐसा नहीं बन पाया है कि दुनियां के सभी राष्ट्रों का इस पर पूरा विश्वास हो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस निकाय के रहते हुए भी बहुत से राष्ट्र युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें इस बात का विश्वास नहीं है कि संयुक्त-राष्ट्र-संघ युद्ध को रोक सकता है। यदि इस सूची में एक प्रविष्टि के रूप में हम संयुक्त-राष्ट्र-संघ को रखते हैं तो इसका मतलब तो यह होगा कि हम इसको इतना महत्व दे रहे हैं जो वास्तविकता के आधार पर औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। कि संयुक्त-राष्ट्र-संघ का अस्तित्व कल की समाप्त हो जाये। हो सकता है भारत इसकी सदस्यता त्याग देना चाहे। फिर संघ-सूची में इस प्रविष्टि को रखने से क्या लाभ? निजी तौर पर मैं तो यही महसूस करता हूं कि प्रविष्टि 10 काफी व्यापक है और फिर यह प्रश्न कि हम संयुक्त-राष्ट्र-संघ के सदस्य बने रहें या इसको त्याग दें हमारी वैदेशिक नीति से सम्बन्ध रखता है। इसलिए मुझे तो कोई कारण नहीं दिखाई देता कि हम इस प्रविष्टि को यहां क्यों रखें। व्यक्तिगत रूप से मैं यह भी महसूस करता हूं कि इस निकाय की सदस्यता का जो अनुभव हमें मिला है वह कोई सुखद नहीं है और इसका सदस्य रहने में जो व्यय हमें

[प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना]

उठाना पड़ा है वह तुलना में उस लाभ से कहीं अधिक है जो कि इसकी सदस्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। हमें यह भी मालूम ही है कि काश्मीर के झगड़े का हम इस निकाय से कोई निपटारा न करा सके सच तो यह है कि काश्मीर का प्रश्न वहां पहुंचकर और भी जटिल बन गया है। हमने तो आशा इस बात की की थी कि वहां हमें न्याय प्राप्त होगा पर हुआ यह कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ने इस मामले को और भी खराब कर दिया और हम इसमें फंस गये हैं।

दक्षिण अफ्रीका स्थित भारतीयों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में भी इस निकाय में ऐसा ही हुआ। हम अच्छी तरह जानते हैं कि संयुक्त-राष्ट्र-संघ में भारत की कोई आवाज नहीं है। इसकी सुरक्षा परिषद् में पांच स्थायी स्थान है। और ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और चीन को एक एक स्थायी स्थान वहां मिला हुआ है। भारत की जनसंख्या इन पांचों में से किसी से भी कहीं ज्यादा है पर उसे वहां कोई स्थान नहीं प्राप्त है। इसलिए मैं तो यह समझता हूं कि ऐसी स्थिति में वहां रहना भारत के लिए कोई सम्मान की बात नहीं है।

सम्भव है कल ही संसद यह निश्चय कर बैठे कि हमारा देश इस निकाय का सदस्य न रहेगा और इस सूरत में संविधान में इस प्रविष्टि का रहना हमारे लिए एक तरह की रुकावट हो जायेगी। संयुक्त-राष्ट्र-संघ का उल्लेख यहां एक स्थायी निकाय के रूप में किया गया है इसलिए मेरी समझ से संघ-सूची में इस प्रविष्टि को रखना सर्वथा अनावश्यक है और हानिप्रद है। इसको रखने से वस्तुत: संसद बंध जाती है। इसलिए निजी तौर पर मैं तो यही महसूस करता हूं कि इस प्रविष्टि को हमें यहां न स्थान देना चाहिए। न तो भारतवर्ष ही इसके लिए वचनबद्ध हो चुका है कि वह सदा इस निकाय का सदस्य ही बना रहेगा और न सभा को ही इसकी कोई आकांक्षा है। और फिर जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि इस निकाय के सम्बन्ध में दुनियां की प्रतिक्रिया क्या है तो यह देखते हैं कि हमेशा यही आलोचना की जाती है कि यह निकाय वास्तविक अर्थ में तभी एक विश्व-संगठन बन सकता है जबकि सभी राष्ट्र अपनी सार्वभौम सत्ता का थोड़ा अंश इस निकाय को सौंपने पर तैयार हों। अमेरिका और रूस को निषेधाधिकार दिया गया है और ये दोनों देश अपनी सत्ता का कोई अंश इस निकाय को सौंपने पर राजी नहीं हैं। इस निषेधाधिकार के द्वारा वे चाहें जिस प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसी दशा में यह निकाय कुछ अधिक दिनों तक चालू रह सकता है।

इसलिए मेरी समझ से तो यह निकाय ऐसा नहीं है कि संविधान की इस सूची में हम इसे लिपिबद्ध रखें। मेरी समझ से प्रविष्टि नं. 10 पर्याप्त रूप से व्यापक है और उसके अन्तर्गत संयुक्त-राष्ट्र-संघ भी आ जाता है इसलिए मैं तो यही महसूस करता हूं कि प्रविष्टि 12 को अवश्य हटा देना चाहिए।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** इस संशोधन पर विचार करने में हमें बहुत सी बातों का ख्याल रखना होगा। माननीय मित्र श्री कामत यह देखेंगे कि विदेशों के सम्बन्ध में सिर्फ यही एक प्रविष्टि संविधान में नहीं हैं बल्कि और भी कई प्रविष्टियां हैं। एक प्रविष्टि तो रखी गई है विदेशीय कार्य के नाम से जो इतनी व्यापक है कि अगर हम किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय निकाय का सदस्य होना चाहें तो उस प्रविष्टि के अधीन ऐसा कर सकते हैं। जिस प्रविष्टि पर हम अभी विचार कर रहे हैं उसके बाद ही एक और प्रविष्टि भी है जिसके अधीन किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन या निकाय में सम्मिलित होने के बारे में कानून बनाया जा सकता है। इसको देखते हुए मैं तो यह समझता हूं कि जिस तरह का संशोधन श्री कामत ने यहां रखा है उसकी वस्तुतः कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि यह प्रविष्टियां तो केवल इतना ही व्यक्त करने के लिए रखी जा रही हैं कि इन विषयों के सम्बन्ध में संघीय संसद को काननू बनाने का अधिकार होगा। यदि संविधान में कोई ऐसा अनुच्छेद रखा जाता जिससे इन प्रविष्टियों द्वारा दिये गये विधि निर्माण सम्बन्धी संघीय अधिकार का परिसीमन होता तो इस सूरत में तो माननीय मित्र श्री कामत का यह प्रश्न उठाना प्रासंगिक होता, किन्तु संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद रखा नहीं गया है जिससे, इस प्रविष्टि द्वारा संयुक्त-राष्ट्र-संघ की सदस्यता के सम्बन्ध में कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया है उसका परिसीमन होता हो। इसलिए राज्य इसमें से किसी भी प्रविष्टि के अधीन अन्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय निकाय का भी सदस्य बन सकता है। किन्तु अगर सभा को इस संशोधन के लिए कोई विशेष आग्रह ही हो तो इसको मान लेने में भी कोई क्षति नहीं है। अस्तु मैं इसे सभा पर ही छोड़ता हूं।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 प्रविष्टि 12 में, अन्त में, 'any other international body' (कोई अन्य अन्तर्राष्ट्रीय निकाय) शब्द जोड़ दिये जायें।"

संशोधन नामंजूर हुआ।

***अध्यक्षः** अब प्रस्ताव यह है:

"कि प्रविष्टि 12 सूची 1 का अंग समझी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रविष्टि 12 संघ-सूची में शामिल की गई।

नई प्रविष्टि 9-क

*__अध्यक्ष:__ एक संशोधन की सूचना आई है। संशोधन है प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना का जिसमें कहा गया है प्रविष्टि 9 के आगे यह नई प्रविष्टि और जोड़ दी जाये: "कोस्मिक शक्ति, एवं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान तथा उसके उत्पादन के अन्य आवश्यक साधन" प्रविष्टि 9 के बाद ही मुझे उसको लेना चाहिए था पर उसको लेना भूल गया।

आप क्या उसे पेश करना चाहते हैं मि. शिब्बनलाल सक्सेना?

*__माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:__ उनका मतलब क्या है यह मैं नहीं समझ सका।

*__अध्यक्ष:__ सूची में हमने अणुशक्ति को रखा है। वह यह चाहते हैं कि कोस्मिक शक्ति (cosmic energy) को भी सूची में रखा जाये।

*__प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:__ मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं श्रीमान:

"कि सूची 1 प्रविष्टि 9 के बाद यह नई प्रविष्टि रखी जाये:

'9-क. कोस्मिक शक्ति एवं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान तथा इसके उत्पादन के अन्य आवश्यक साधन।' "

प्रविष्टि 9 में हमने अणुशक्ति तथा उसके उत्पादन के अन्य आवश्यक खनिज साधनों को स्थान दिया है। हम सभी इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं कि अणुशक्ति ने रक्षा सम्बन्धी हमारी विचारधारा में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन पैदा कर दिया है। वस्तुत: संयुक्त-राष्ट्र-संघ के सामने आज सबसे बड़ी समस्या है अणुशक्ति का नियंत्रण। आप सब को मालूम है कि इसी तरह की एक अन्य शक्ति–कोस्मिक शक्ति–के बारे में अनुसंधान कार्य चल रहा है। रूस इसके बारे में अनुसंधान कर रहा है। अक्सर यह बात सुनने में आई है कि "पामीर के पठार" पर प्रयोगशालायें स्थापित की गई है जहां रूस इस शक्ति के सम्बन्ध में अनुसंधान कर रहा है और इस बात की छानबीन कर रहा है कि युद्ध के प्रयोजनों के लिए इसका किस तरह उपयोग किया जा सकता है। विज्ञान ने जो इस दिशा में प्रगति की हैं उससे हम अपने को अनभिज्ञ नहीं रख सकते हैं। मेरा ख्याल है कि रूस आदि देशों की तरह अपने राज्य को भी उस दिशा में अनुसंधान का काम शुरू करना चाहिए इसलिए मैं समझता हूं कि इस नवीन प्रविष्टि 9-क को, जिसमें इस तरह के अनुसंधान का प्रावधान किया गया है हमें सूची में अवश्य रखना चाहिए। अणु-शक्ति के सम्बन्ध में हमने अभी हाल ही में एक विधेयक भी पास किया है और इसके बारे में हमारे यहां कुछ किया भी जा रहा है। मेरा ख्याल है कि

कोस्मिक शक्ति और कोस्मिक किरणों के सम्बन्ध में भी हमने बहुत कुछ सुन रखा है। संविधान में इस शक्ति के सम्बन्ध में भी अनुसंधान का प्रावधान रहना चाहिए आशा है डॉ. अम्बेडकर इस कमी को हटाने की कोशिश करेंगे।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** मुझे इतना ही कहना है कि प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना का संशोधन अगर जरूरी ही है तो मेरी समझ से कि इस सूची की प्रविष्टि 91 के अधीन हमें इसके लिए पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं कि हम इस विषय की व्यवस्था कर सकें। प्रविष्टि 91 में कहा गया है:–

> "सूची 2 अथवा सूची 3 में अनंकित कोई अन्य विषय, और कोई कर जिसका उल्लेख इन दोनों सूचियों में न किया गया हो"। इस प्रविष्टि के अन्तर्गत यह विषय भी शामिल किया जा सकता है।

***श्री एच.वी. कामतः** इस प्रविष्टि के अन्तर्गत तो सूची की अन्य कई प्रविष्टियां भी आ जा सकती हैं।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है:—

> "कि सूची 1 की प्रविष्टि 9 के बाद यह नई प्रविष्टि जोड़ दी जाये:–
>
> "9-क. कोस्मिक शक्ति, एवं वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान तथा इसके उत्पादन के अन्य आवश्यक साधन।' "

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

प्रविष्टि 13

***अध्यक्षः** इस पर एक संशोधन है जिसकी सूचना श्री मुहम्मद इस्माइल, श्री पोकर तथा श्री अहमद इब्राहिम ने दी है। उनमें से कोई भी यहां उपस्थित नहीं दिखाई देते हैं। इसलिये यह पेश नहीं किया जा सकता है। उस प्रविष्टि पर और कोई संशोधन नहीं है।

प्रविष्टि 13 संघ सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 14

***अध्यक्षः** इस पर कोई संशोधन नहीं है।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** इस पर मैं बोलना चाहता हूं श्रीमान।

***अध्यक्षः** युद्ध और शान्ति पर आप बोलना चाहते हैं? क्यों? युद्ध और शान्ति क्या हैं उसे हम सभी समझते हैं।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** मैं चन्द बातें ही कहना चाहता हूं श्रीमान।

***अध्यक्षः** आप इसका विरोध करना चाहते हैं या समर्थन?

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** मैं इस पर और अधिक स्पष्टिकरण चाहता हूं।

***अध्यक्षः** अच्छी बात है, बोलिए।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** प्रविष्टि 14 का विषय है 'युद्ध और शान्ति'। प्रविष्टि 5 पर विचार करते समय मैंने सुझाव दिया था कि वहां 'संसद' शब्द के स्थान पर 'राष्ट्रपति' शब्द रखा जाये। यानी "ऐसे उद्योग जो कतिपय प्रयोजनों के लिए संसद द्वारा आवश्यक घोषित कर दिया गया हो" यहां 'संसद' के स्थान पर 'राष्ट्रपति' शब्द रख दिया जाये। यहां यह नहीं बताया गया है कि युद्ध या शान्ति की घोषणा का प्रश्न राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में है या संसद के। जैसा कि अमेरिकन संविधान में है, मैं यह चाहता हूं कि इस प्रश्न का यहां संविधान में स्पष्टीकरण कर दिया जाये यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है श्रीमान। युद्ध और शान्ति के सम्बन्ध में विधि निर्माण का अधिकार संसद को दिया गया है। पर मैं यह चाहता हूं कि यह अधिकार राष्ट्रपति के हाथ में रहना चाहिये न कि संसद के हाथ में इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं कहना है।

***अध्यक्षः** डॉ. अम्बेडकर, आप जवाब में कुछ कहना चाहते हैं?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** उसके सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है:—

"कि प्रविष्टि 14 सूची 1 का अंग समझी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रविष्टि 14 संघ सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 15

***अध्यक्षः** इस पर कोई संशोधन नहीं है।

प्रविष्टि 15 संघ सूची में शामिल की गई।

नई प्रविष्टि 15-क

***अध्यक्षः** श्री कामत का यह सुझाव है कि एक दूसरी प्रविष्टि 15-क यहां रखी जाये। श्री कामत आप अपना संशोधन पेश कर सकते हैं।

***श्री एच.वी. कामतः** मैं यह प्रस्ताव रखता हूं श्रीमानः

"कि प्रविष्टि 15 के बाद यह नई प्रविष्टि रखी जायेः—

'15-क. किसी अन्तर्राष्ट्रीय या उत्तर राष्ट्रीय संगठन निकाय की सदस्यता प्राप्त करना उस सदस्यता को जारी रखना या समाप्त करना।' "

मुझे खेद है कि भूल से 'sapra-national organisation" छप गया है होना चाहिये था "super-national organisation"

मैं यह महसूस करता हूं श्रीमान, इस बात को देखते हुए कि मेरा पूर्ववर्ती संशोधन अस्वीकृत कर दिया है, जो सौभाग्य से डॉ. अम्बेडकर को काफी पसन्द था.......।

***अध्यक्षः** पर सभा को यह पंसद नहीं था।

***श्री एच.वी. कामतः** हां सभा को वह पसंद नहीं था पर यह दुर्भाग्य की ही बात थी कि सभा को वह पसन्द नहीं आया। मैं यह महसूस करता हूं श्रीमान, कि मेरे इस संशोधन को मान लेना चाहिए क्योंकि इसको रखने का समुचित कारण है। यदि मेरा पहिले वाला संशोधन, यानि वह संशोधन जिसमें संयुक्त-राष्ट्र-संघ या अन्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय निकाय की सदस्यता का प्रावधान था, मान लिया गया होता तो इस संशोधन की जरूरत न रह जाती। सभा ने एक या दो मौकों पर जहां तक कि मैं स्मरण कर पाता हूं, डॉ. अम्बेडकर की बात अमान्य की है। मेरा ख्याल है कि इस मौके पर भी डॉ. अम्बेडकर की बात को अमान्य कर सभा को मेरा यह सुझाव सूची में रख लेना चाहिये। डॉ. अम्बेडकर ने प्रविष्टि 10 की ओर संकेत करते हुए मुझे यह बताया है कि यह प्रविष्टि बहुत व्यापक है और इसके अन्तर्गत बहुत सी बातें आ सकती हैं जिनका यहां स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं हुआ है। हो सकता है "विदेशीय कार्य" पदावली के अन्तर्गत लोग और सभी बातों को शामिल समझ लें। किन्तु इस तरह के मामले में अर्थात् संघीय सूची में हमें जहां तक शक हो सभ बातों का स्पष्ट उल्लेख रखना चाहिय। "विदेशीय कार्य" पदावली रख देना ही काफी नहीं है। इस पदावली के अन्दर तो सभी बातें शामिल समझी जा सकती हैं या कोई भी बात शामिल नहीं समझी जा सकती है। इसके अलावा प्रविष्ट 10 के दूसरे अंश में "वे सब विषय जिनके द्वारा संघ का किसी विदेश से सम्बन्ध होता है" ऐसा कहा गया है। वहां किसी संगठन संघ या अन्तर्राष्ट्रीय निकाय का नामोल्लेख नहीं किया गया है। किन्तु प्रविष्टि 12 में जिसको कि हमने अभी स्वीकार किया है केवल संयुक्त-राष्ट्र-संघ का उल्लेख किया गया है। इसलिए इस सूची में मेरी समझ से यह कमी जरूर रह गई है कि इसमें संयुक्त-राष्ट्र-संघ के सिवाय अन्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय निकाय या यों कहिए कि किसी उत्तर राष्ट्रीय (supra national) निकाय की सदस्यता की बात नहीं कहीं गई है। मैंने 'अन्तर्राष्ट्रीय' तथा 'उत्तर राष्ट्रीय' (International and Supranational) शब्दों में मैंने विभेद रखा है। राजनीतिक बोल चाल में 'सुपर नैशनल' (उत्तर राष्ट्रीय) से जो अर्थ बोध होता है वह अन्तर्राष्ट्रीय से कुछ अधिक व्यापक है। प्रथम विश्व

[श्री एच.वी. कामत]

युद्ध की समाप्ति के बाद राजनीति में गहरी दिलचस्पी लेने वाले लोगों ने एक "सुपर-स्टेट" की चर्चा शुरू की थी। राजनीति सम्बन्धी आधुनिक मतवाद के अनुसार 'सुपर-स्टेट' एक ऐसी राज्य को कहते हैं। जो राज्यों का एक संघ हो और जिसके अंगभूत सभी राज्य अपनी सार्वभौम सत्ता का एक अंश स्वेच्छा से उसे सौंप दें। किन्तु यहां जिक्र हो रहा है एक ऐसे संगठन का जिसके पास बाध्य करने वाली कोई शक्ति नहीं है जो 'विश्व-शासन' यादि वर्ल्ड गवर्नमेन्ट में होनी चाहिए जिसका कि आज बहुत से लोग स्वप्न देख रहे हैं। यहां हम अपने को केवल एक ऐसे निकाय तक ही सीमित रख रहे हैं जिसमें विभिन्न राज्य सम्मिलित होकर, अपने ऊपर असर डालने वाले विभिन्न प्रश्नों पर विचार करेंगे और जिस निर्णय पर वह पहुंचेंगे उस पर सम्बन्धित सभी राज्य या यों कहिए कि उस निकाय के सभी सदस्य राज्य अमल करेंगें सुतरां यहां विचारणीय बात यह सामने आती है कि किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय या उत्तर राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न माना जाना चाहिये जिस पर सदस्य बनने के पूर्व हमें विस्तार के साथ विचार कर लेना जरूरी है। आज किसी भी निकाय का सदस्य बन जाने का मतलब है कि हम पर कई दायित्व आरोपित हो जायेंगे और हम कई तरह की बातों के लिए वचनबद्ध हो जायेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि आप यहां किसी अन्तर्राष्ट्रीय निकाय की सदस्यता का ही प्रावधान न रखें बल्कि साथ ही सदस्यता जारी रखने या उसको छोड़ने का भी प्रावधान रख दें। केवल सदस्यता का उल्लेख करना ही पर्याप्त न होगा क्योंकि मेरी समझ में, इतने से सभी बातों का खुलासा नहीं हो पाता। इसलिए हमें इन सभी बातों का यहां साफ तौर पर उल्लेख कर देना चाहिए। मैंने अपने संशोधन में 'संयुक्त-राष्ट्र-संघ' का उल्लेख इसलिए नहीं किया है कि यही निकाय आखिर एकमात्र अन्तर्राष्ट्रीय निकाय तो हो नहीं सकता है। मानव बुद्धि असीम है। वह आगे चलकर और भी कोई दूसरे निकाय की रचना कर सकती है। इसलिए चूंकि मेरा पहले वाला संशोधन नामंजूर कर दिया गया है और चूंकि सूची की अन्य प्रविष्टियों में इस बात का कहीं उल्लेख यहीं किया गया है, मेरी समझ से, यह एक ऐसा महत्पूर्ण प्रश्न है जिस पर न केवल डॉ. अम्बेडकर ही बल्कि सभा भी सम्भवतः गम्भीरतापूर्वक विचार करना पसन्द करेगी। मैं सभा से इस बात की सिफारिश करूंगा कि वह इस संशोधन पर अवश्य विचार करें।

***श्री एस.वी. कृष्णामूर्ति राव** (मैसूर): अध्यक्ष महोदय किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय या उत्तर राष्ट्रीय निकाय की सदस्यता प्राप्त करना, उसका सदस्य बना रहना या त्याग देना, उन निकायों में नियमों या उप नियमों के अधीन ही किया जा सकता है और फिर प्रविष्टि 13 में जिसको कि हम पास कर चुके हैं इन सब बातों की यानी किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन संघ या अन्य निकायों में सम्मिलित होने तथा

उनके निर्णयों को कार्यान्वित करने की व्यवस्था कर दी गई है। इसलिये मेरा ख्याल है कि प्रविष्टि 13 के अन्दर यह सब बातें आ जाती हैं और यह संशोधन सर्वथा अनावश्यक है। मैं इसका विरोध करता हूं।

*__अध्यक्ष:__ प्रश्न यह है:—

"कि सूची 1 में प्रविष्टि 15 के बाद यह नई प्रविष्टि रखी जाये:—

'15-क. किसी अन्तर्राष्ट्रीय या उत्तर राष्ट्रीय निकाय की सदस्यता प्राप्त करना, उस सदस्यता को जारी रखना या समाप्त कर देना।' "

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

प्रविष्टि 16

*__अध्यक्ष:__ अब हम प्रविष्टि 16 पर आते हैं। इस पर कोई संशोधन नहीं है। मैं इस पर मत लेता हूं।

प्रविष्टि 16 संघ-सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 17

प्रविष्टि 17 संघ-सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 18

प्रविष्टि 18 संघ-सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 19

प्रविष्टि 19 संघ-सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 20

प्रविष्टि 20 संघ-सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 21

प्रविष्टि 21 संघ-सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 22

*__माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:__ मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं श्रीमान:—

'कि सूची 1 की प्रविष्टि 22 के स्थान पर यह प्रविष्टि रखी जाये:—

'22. Piracies and crimes committed on the high seas or in the air, offences against the law of nations committed on land or the high seas or in the air.' "

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

(22. महासमुद्र या वायु में की मई जलदस्युता और अरराध; स्थल या महासमुद्र या वायु में राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध किये गये अपराध।)

इस प्रविष्टि का जो यह दूसरा अंश है "स्थल या महासमुद्र या वायु में राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध किये गये अपराध" वह नया है; मूल मसौदे में यह नहीं था। उसके प्रथम अंश में "घोरापराध तथा अपराध" शब्दों की जगह अब 'अपराध' शब्द रख दिया गया है क्योंकि भारत में सर्वत्र यही शब्द इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। "घोरापराध तथा अपराध" (Felonies and offences) अंग्रेजी भाषा की पदसंहति है और वहां भी अधिकतर प्रयुक्त होती है। दूसरे परिवर्तन यहां यह किया गया है कि प्रथम अंश से "राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध" शब्द हटा दिये गये हैं। ऐसा इसलिये किया गया है कि जलदस्युता तथा अपराध का आनियम तो हर राज्य स्वयं अपने क्षेत्राधिकार और शक्ति के अधीन विधि द्वारा कर सकता है।

इन अपराधों से राष्ट्रों की विधि का कोई वास्ता नहीं है।

***अध्यक्ष:** इस पर दो संशोधन आये हैं। एक की सूचना श्री दिवाकर ने दी है और दूसरे की श्री ब्रजेश्वर प्रसाद थे। पर डॉ. अम्बेडकर के संशोधन के पेश हो जाने पर अब इन संशोधनों का सवाल ही नहीं उठता है। हां एक संशोधन प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना का भी है। आपका संशोधन क्या इससे कुछ भिन्न है?

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** नहीं श्रीमान, वह भी इस संशोधन के अन्दर आ जाता है।

***अध्यक्ष:** अब इस पर एक संशोधन श्री नज़ीरुद्दीन अहमद का है।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद** (पश्चिमी बंगाल: मुसलिम): मेरा यह प्रस्ताव है श्रीमान:

"कि सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन नं. 8 में सूची 1 की प्रस्तावित प्रविष्टि 22 में—

(1) "Piracies" (जलदस्युता) के स्थान पर केवल "Piracy" रखा जाये और उसके आगे एक सेमीकोलन का चिन्ह रखा जाये;

(2) "Piracies" शब्द के आगे का 'and' शब्द हटा दिया जाये; और

(3) 'committed on land or the high seas or in the air' (स्थल या महासमुद्र या वायु में की गई) शब्द हटा दिये जायें।"

जहाँ तक संशोधन के पहले अंश का सम्बन्ध है जिसमें 'Piracy' शब्द को एक वचन में रखने की बात कही गई है उसके बारे में मैं इस बात पर जोर

नहीं दूंगा कि उस पर मत लिया ही जाये। मसौदा-समिति से केवल इस बात का अनुरोध करूंगा कि वह इस पर विचार करे। इस सम्बन्ध में मसौदा-समिति का ध्यान उन प्रविष्टियों की ओर आकृष्ट करूंगा जो इससे पहले रखी गई हैं। उन सबमें एकवचन का ही प्रयोग किया गया है। मेरा कहना यह है कि 'Piracy' शब्दों को एकवचन में रखने से हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। उस शब्द को यहां बहुवचन में रखने की कोई जरुरत नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि प्रविष्टि 11 में "Diplomatic, consular and trade representation" रखा गया है। यहां 'representations' को बहुवचन में नहीं रखा है। इसी तरह प्रविष्टि 14 में "War and Peace" शब्द रखे गये हैं न कि 'Wars and Peaces' प्रविष्टि 16 में 'Foreign jurisdictions' रखा गया है न कि 'Foreign jurisdictions' प्रविष्टि 17 में "Trade and Commerce" रखा गया है न कि "Trades and Commerces" प्रविष्टि 20 में 'Extradition' रखा गया है न कि 'Extraditions' इतनी प्रविष्टियों का उदाहरण दे देना यहां इसके लिये काफी है कि इस प्रविष्टि में भी एकवचन का प्रयोग प्रर्याप्त है। किन्तु जैसा कि मैंने कहा है, मैं इस मसले को मसौदा-समिति पर छोड़ता हूं और वह जो भी रखेगी मुझे मान्य है।

अपने संशोधन में मैंने यह कहा है कि 'Piracies' या 'Piracy' जो भी आप रखना पसन्द करें-के बाद आया हुआ 'and' शब्द हटा दिया जाये। 'Piracies' या 'Piracy' के आगे एक सेमीकोलन का चिन्ह आना चाहिये ताकि आगे आने वाले शब्दों से यह शब्द सर्वथा पृथक् रहे क्योंकि आगे के शब्दों द्वारा सर्वथा भिन्न बात कहीं गई है। ऐसे स्थलों के लिये सेमीकोलन का प्रयोग सर्वोत्तम उपाय माना गया है। यह अंश भी केवल मसौदे की रचना से सम्बन्ध रखती है।

इसके बाद प्रविष्ट में "crimes committed on the high seas or in the air" पद संहति आई है। मैं इसको यों ही रहने देता किन्तु आगे चलकर 'offences against the law of nations' के आगे अनावश्यक व्याख्या के रूप में 'committed on land or the high sea or in the air' पद संहति रख दी गई है। इन शब्दों को यहां जोड़ा जाना मेरी समझ के बिल्कुल अनावश्यक है। अगर हम केवल इतना ही कहते हैं "offences against the law of nations" तो उसके अन्तर्गत सभी अपराध आ जाते हैं चाहे वह अपराध कहीं भी किये गये हैं। जैसाकि माननीय डॉ. अम्बेडकर ने अभी एक दूसरी प्रविष्ट के सम्बन्ध में बोलते हुए यह कहा है कि संविधान के अनुच्छेद में जो बात रखी जाये उसका तो हमें विस्तार के साथ अनुच्छेद में खुलाया कर देना चाहिये पर विधायिनी सूची में यदि किसी विषय को रखना है तो वहां उस विषय का उल्लेख कर देना ही काफी है। विधान-मंडल उस विषय के बारे में किस तरह से कानून बनायेगा। यह विधान-मंडल के विचारने की बात है। हमें इस सम्बन्ध में विस्तार के साथ यह बताने की आवश्यकता नहीं

[श्री नज़ीरुद्दीन अहमद]

है कि उसका क्षेत्राधिकार क्या होगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि 'committed on land or the high seas or in the air' शब्दों को रखने का प्रभाव यह होगा अगर इसका कोई प्रभाव हो सकता हैं–कि संघीय विधान-मंडल के क्षेत्राधिकार में कमी आ जायेगी और व्यर्थ की कमी आ जायेगी और क्या कमी आ जायेगी इसका शायद हमें आभास नहीं मिल सकता है मेरा कहना यह है कि "offences against the law of nation" सिर्फ इतना ही रखते हैं तो इससे सभी अपराध अभिप्रेत हो जायेंगे चाहे वह कहीं भी किये गये हों। विस्तार के यहां इतना रखना कि 'offences committed on land, the high seas or in the air" बिल्कुल अनावश्यक है और फिर 'high seas' आदि रखने को प्रभाव यह होगा कि जो अपराध महासमुद्र में न किया जाकर किसी लघु समुद्र में या राज्य क्षेत्रीय समुद्र जल में किया होगा उसके बारे में संघीय विधान-मंडल की विधि निर्माण का अधिकार ही न रहेगा। राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध कोई अपराध अगर स्थल, महासमुद्र या नभ के सिवा अन्वतर कहीं किया गया है तो इस प्रविष्टि के अनुसार तो संघीय विधान-मंडल उसके सम्बन्ध में विधि बना ही नहीं सकता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि "committed on land, or the high seas or in the air' शब्दों को हटा देना ही अच्छा होगा।

एक पूर्ववर्ती प्रविष्टि पर विचार करते हुए माननीय सदस्य ने प्रविष्टि 91 का हवाला दिया है। उस प्रविष्टि में तो अवशिष्ट विषयों को जो सूची 2 और 3 में नहीं उल्लिखित है संघ-सूची में शामिल किया गया है। इस प्रविष्टि में यह कहा गया है कि "सूची 2 या 3 में अंकित कोई अन्य विषय और कोई कर जिसका उल्लेख इन दोनों सूचियों में न किया गया हो"। इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि प्रविष्टि 91 के उपयोग मूलक गुणों पर भरोसा करना खतरे से खाली न होगा। मैं सादर यह निवेदन करूंगा कि इस प्रविष्टि का उद्देश्य यह नहीं है कि सूची के किसी खास भाग में किसी खास विषय का उल्लेख छूट गया हो तो उसको इसमें शामिल किया जा सके। विवेचन के सम्बन्ध में यह एक प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि जहां किसी विषय का खास तौर पर उल्लेख किया जाता है और किसी खास विषय का खास तौर पर उल्लेख किया जाता है और किसी खास विषय का उल्लेख छोड़ दिया जाता है वहां अगर आय किसी भाग में उस छोड़े हुए विषय को शामिल करने के हेतु यह सामान्य पदसंहति "अनंकित कोई अन्य विषय" प्रयुक्त भी की जाती है तो इसके अधीन उस छोड़े हुए विषय को शामिल नहीं किया जा सकता है। और पदसंहति के आधार पर उस त्रुटि का उपचार नहीं किया जा सकता है। और फिर माननीय डॉ. अम्बेडकर द्वारा जो प्रविष्टियां यहां उपस्थित की गई हैं, वह मेरी समझ से तो खूब सोच विचार कर ही उपस्थित की गई होंगी। सुतरां राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध किये गये उन अपराधों के सम्बन्ध में जो स्थल महा-समुद्र जलवायु में किये जा कर अन्यतर कहीं किये गये होंगे

कहा यही जायेगा कि वह संघीय विधान-मंडल के क्षेत्राधिकार से बाहर का विषय है। इस लिए अच्छा यह होगा कि व्याख्यात्मक इस अंश को हम बिल्कुल ही हटा दें। मेरी तुच्छ राय में यह अंश सर्वथा अनावश्यक है और इसके कारण दोनों ही पक्ष अपने भाषा के लिए खींचातानी कर सकतें हैं इस बात को लेकर जो कई प्रसिद्ध मुकदमे चल चुके हैं उनको देखते मेरी यह आशंका निराधार नहीं कही जा सकती कई प्रमाणिक निर्णयों में यह कहा गया है कि सूची के अन्त में ऐसी सामान्य पद-संहति रखने से सूची की पूर्ववर्ती प्रविष्टियों द्वारा दिये गये अधिकारों में वृद्धि नहीं आ जायेगी या जिस विषय का उल्लेख सूची में खास तौर पर छोड़ दिया गया है उसको सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है। निर्वाचन के सम्बन्ध में यह एक विदित सिद्धान्त है। पर मेरा यही ख्याल है कि ये तर्क मैं माननीय डॉ. अम्बेडकर के समाने रख तो रहा हूं पर इससे कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं है जब मैं अपनी बातें यहां रख रहा था उस समय वह बातचीत में व्यस्त थे।

***अध्यक्षः** इसके बाद आता है श्री कामत का संशोधन नं. 184।

***श्री एच.वी. कामतः** मैं यह प्रस्ताव रखता हूं श्रीमानः—

"कि सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन नं. 8 में, सूची 1 की प्रस्तावित प्रविष्टि 22 में 'crimes' (अपराध) शब्द हटा दिया जायें"।

मैं खुद ही इस बारे में कोई निश्चय नहीं कर पा रहा हूं कि सभी तरह के अपराध एकमात्र संघ शासन के क्षेत्राधिकार के अधीन रखे जायें या साथ ही उनको राज्य-सूची में भी रच दिया जाये। जहां तक महसमुद्र में होने वाले अपराधों का सम्बन्ध है, उसके बारे में कोई दुविधा नहीं हो सकती है क्योंकि नौ-परिवहन, नौ-तरण (shipping & navigation) तथा इस तरह के अन्य विषय संघ-आसन के क्षेत्राधिकार के अधीन आते हैं।

सभा को यह अच्छी तरह मालूम है कि कई राज्यों और प्रान्तों ने नागरिक उड्डयन में पर्याप्त प्रगति कर ली है। अधिकांश प्रान्तों में फ्लाइंग क्लब स्थापित हो चुके हैं और कुछ प्रान्तीय शासनों के पास तो मंत्रियों के आने जाने के लिए अपने हवाई जहाज हैं। हाल में समाचारपत्रों में जो समाचार आये हैं उससे पता चलता है कि हमारे देश में तो नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका में उड़ते हुए हवाई जहाजों में तरह तरह के अपराध किये जाते हैं। यहां ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि उड़ते हुए हवाई जहाजों में मार पीट हो गई है। रुपयों के लिये शराब के लिए हाथापाई हो गई है। मान लीजिये कि किसी राज्य के हवाई जहाज में अथवा किसी फ्लाइंग क्लब के हवाई जहाज में जबकि वह नभ में हो उस तरह का अपराध हो जाता है या उदाहरण के लिए यही मान लीजिए कि कोई जहाज चालक नशे में आकर जहाज से छतरी के सहारे या बिना छतरी उतर पड़ने की कोशिश करता है। अवश्य ही उसका ऐसा करना आत्महत्या का और मुसाफिरों की जान को खतरे में डालने का अपराध माना जायेगा। ऐसी हालत में क्या इस

[श्री एच.वी. कामत]

तरह के अपराध को एकमात्र संघ-शासन के क्षेत्राधिकार के अधीन छोड़ना ठीक होगा? क्या यह उचित न होगा कि इस तरह के अपराधों के सम्बन्ध में विधि निर्माण इस अधिकार संघ-शासन को तथा विभिन्न राज्यों को–दोनों को ही दिया जाये?

मैं यह महसूस करता हूं कि इस मसले पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि इधर कुछ दिनों से नागरिक उड्डयन में सभी जगह काफी प्रगति हो गई है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** माननीय मित्र श्री नज़ीरुद्दीन अहमद की बातों को सुनकर शायद फिर मैं यही कहना चाहूंगा कि उनकी समझ में यह बात ठीक-ठीक नहीं आ पाई कि प्रविष्टि 22 का प्रयोजन क्या है।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** मुश्किल तो यह है श्रीमान, कि डॉ. अम्बेडकर ने मेरी बातें सुनी ही नहीं क्योंकि यह बातचीत में फंसे थे।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** इसमें शक नहीं कि मैं बातें कर रहा था पर माननीय मित्र जो कुछ कह रहे थे उसे मैं ध्यान से सुन रहा था।

माननीय मित्र ने पहले यह सवाल उठाया कि यहां 'Piracy' और 'crime' शब्द बहुवचन में क्यों रखे जायें। अगर इनको बहुवचन में नहीं रखते हैं तो फिर दूसरा उपाय यह है कि इनको हम समुच्चयात्मक अर्थ में प्रयुक्त करें। पर मेरी समझ मैं ऐसे स्थलों पर जहां अपराध विषयक विधियों के निर्माण का प्रावधान रखा जा रहा हो, समुच्चयात्मक अर्थ में शब्द का प्रयोग न करना ही श्रेयस्कर है। मित्र ने अपने पक्ष समर्थन में कई उदाहरण भी रखे हैं। पर वह इस बात को भूल जाते हैं कि कई जगहों पर शब्दों का एकवचन में सामान्य रूप से प्रयोग कर देना पर्याप्त हो सकता है पर अन्य कई स्थलों पर ऐसे प्रयोग से काम नहीं चलता है। इसलिए मसौदा-समिति ने जानबूझ कर यहां इन शब्दों को बहुवचन में प्रयुक्त किया है क्योंकि जिस प्रसंग में इनका यहां प्रयोग किया है उसमें इनको बहुवचन में रखना ही ठीक होगा।

इस प्रविष्टि के विरुद्ध दूसरी बात आपने यह कही है कि 'Piracies' शब्द के आगे सेमीकोलन का चिह्न होना चाहिये। मेरा ख्याल यह है कि ऐसा करने से प्रविष्टि का अर्थ विकृत हो जायेगा। अगर Piracies के आगे सेमीकोलन रख दिया जाता है तो उसका असर यह होगा कि प्रविष्टि 22 में रखे गये अन्य विषयों से 'Piracy' पृथक् हो जायेगा। अगर इस प्रविष्टि में रखी गई अन्य बातों से 'Piracies' पृथक् हो जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि केन्द्रीय विधान-मंडल को सभी तरह की डकैतियों के अपराध के बारे में कानून बनाने का अधिकार

रहेगा "committed on high seas or in the air" (महासमुद्र या नभ में की गई) पद-संहित का सम्बन्ध न केवल 'crime' (अपराध) शब्द से ही है बल्कि इसका सम्बन्ध 'Piracy' से भी है।

माननीय मित्र ने तीसरी बात यह कही है कि "on land, on high seas or in the air" (स्थल पर, महासमुद्र या नभ में) शब्दों को जो "offences against the law of nations" (राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध किये गये अपराध) के आगे प्रयुक्त हुए उन्हें हटा देना चाहिये। ऐसा करने से यह बात स्पष्ट नहीं हो जायेगी कि प्रविष्टि का दूसरा अंश पहले अंश से सर्वथा स्वतंत्र है और उसके अनुसार केन्द्रीय विधान-मण्डल को राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध न केवल महासमुद्र या नभ में ही किये अपराधों के बारे में बल्कि स्थल पर किये गये अपराधों के बारे में भी विधि बनाने का अधिकार है। दूसरे शब्दों में यों कहिए कि इस अंश को हटाने से यह होगा कि राज्यों को दूसरे अंश के सम्बन्ध में विधि बनाने का अधिकार न रहेगा। इसलिए मेरा कहना यह है कि जिस रूप में यह प्रविष्टि रखी गई है उससे मसौदा बनाने वालों का अभिप्राय समझ में आ जाता है और इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** माननीय सदस्य ने जो कुछ मैंने कहा उसे सुना नहीं है। उन अपराधों के लिए आप क्या करेंगे जो न महासमुद्र में, न नभ में और न स्थल पर बल्कि कम जल वाले समुद्र में किये जायेंगे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः वह तो कोरी कल्पना है। जो भी अपराध होंगे वह इन्हीं तीन स्थानों पर होंगे।

***सरदार हुकम सिंह** (पूर्वी पंजाबः सिख): अगर 'Piracies' (डकैतियां) शब्द को शेष बातों से पृथक् नहीं करते हैं तो उस सूरत में क्या 'in the air' (नभ में) शब्द 'Piraces' शब्द के लिये भी लागू होंगे।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** ऐसी भी डकैतियों के अपराध हो सकते हैं जो नभ में की जायें।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** 'Piracy' (डकैती) केवल सामुद्रिक डकैती को ही कहते हैं सुतरां ऐसी डकैती केवल समुद्र में ही की जा सकती है। स्थल पर या नभ में की गई डकैती 'piracy' नहीं कही जा सकती है।

***अध्यक्षः** अब मैं संशोधन पर मत लेता हूं।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** मैं चाहता हूं कि मेरे अन्तिम संशोधन पर ही मत लिया जाये।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन नं. 8 में, सूची 1 की प्रस्तावित प्रविष्टि 22 में 'committed on the land, or the high seas or in the air' शब्दों को हटा दिया जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन नं. 8 में, सूची 1 की प्रस्तावित प्रविष्टि 22 में 'and crimes' शब्द हटा दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह हैं:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 22 के स्थान पर यह प्रविष्टि रखी जाये:—

'22. Piracies and crimes committed on the high seas or in the air, offences against the law of nations committed on land or the high seas or in the air.

[22. महासमुद्र या वायु में की गई जल दस्युता और अपराध, स्पष्ट या महासमुद्र या वायु में राष्ट्रों के विरुद्ध किये गये अपराध।]"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

प्रविष्टि 22 यथा संशोधित रूप में संघ-सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 23

प्रविष्टि 23 संघ-सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 24

प्रविष्टि 24 संघ-सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 25

प्रविष्टि 25 संघ-सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 26

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं यह प्रस्ताव रखता हूं, श्रीमान:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 26 के स्थान पर यह प्रविष्टि रखी जाये:—

'26. Import or export across customs frontiers; definition on customs frontiers.'

[26. शुल्क सीमान्तों को पार करने वाले आयात या निर्यात; शुल्क सीमान्तों की परिभाषा।]"

वस्तुत: उस संशोधन के द्वारा कोई नई बात नहीं रखी जा रही है बल्कि मूल प्रविष्टि के क्रम में परिवर्तन किया जा रहा है।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** मैं यह संशोधन रखता हूं, श्रीमान:

"कि सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन नं. 9 में सूची 1 की प्रस्तावित प्रविष्टि 26 के स्थान पर यह प्रविष्टि रखी जायें:—

'26. Customs frontiers; import and export across customs frontiers.'

[26. शुल्क सीमान्त, शुल्क सीमाओं को पार करने वाले आयात और निर्यात।]"

मैं यह मानता हूं कि संशोधन के द्वारा कोई नया सुझाव नहीं दिया जा रहा है बल्कि केवल मसौदे की रचना में परिवर्तन किया जा रहा है। जिन कारणों से प्रेरित होकर मैंने यह संशोधन रखा है उन्हें मैं बताये देता हूं और संशोधन को मसौदा-समिति की मरजी पर छोड़ता हूं। डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित प्रविष्टि में कहा गया है "import or export across custom frontiers" (शुल्क सीमान्त को पार करने वाले आयात या निर्यात)। मैं नहीं समझ पाता हूं कि आखिर यहां 'or' (या) शब्द रखने का क्या मतलब है। क्या आयात और निर्यात इन दोनों विषयों को विकल्पश: रखा जा रहा है? प्रश्न यह है कि इन शब्दों को किस तरह रखना ठीक होगा। "import or export" रखना चाहिये या "import and export"? जिस रूप में अभी प्रविष्टि रखी गई है उससे यह मतलब निकलता है कि "या तो आयात या निर्यात।" किन्तु हमने जो पदसंहति प्रस्तावित की है उससे यह आभास मिलता है कि आयात और निर्यात दोनों ही बातें राज्य में होंगी। मैं नहीं समझता कि जानबूझकर 'or' शब्द यहां किसी प्रयोजन विशेष के लिए रखा गया है। मेरी समझ से भूल से ही ऐसा हुआ है और इसे ठीक कर देना चाहिये।

[श्री नज़ीरुद्दीन अहमद]

डॉ. अम्बेडकर ने अपने संशोधन में कहा है "definition of customs frontier" (शुल्क सीमान्तों की परिभाषा)। मैं समझता हूं कि "custom frontier" पद-संहति के अन्तर्गत शुल्क सीमान्त सम्बन्धी सारी बातें आ जाती हैं और इसको ही रखने से परिभाषा का अधिकार केन्द्रीय विधान-मण्डल को प्राप्त हो जाता है। शुल्क सीमान्त के बारे में कानून बनाने का अधिकार आपको कैसे रहेगा जब तक की उसकी परिभाषा देने का अधिकार आपको नहीं? जब शुल्क सीमान्त के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार संघीय विधान-मण्डल को प्राप्त है तो इससे यह स्पष्ट है कि उसकी परिभाषा देने का अधिकार भी उसे प्राप्त है। यहां परिभाषा का उल्लेख बिल्कुल अनावश्यक है। 'or' के स्थान पर 'and' रखने का जो सुझाव मैंने दिया है वह तो बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि मैंने कहा है मेरे इस संशोधन में केवल मसौदे की रचना में अदल-बदल करने की बात कही गई है और कोई नई बात नहीं रखी है। मैं इसे मसौदा-समिति की मरजी पर छोड़ता हूं। इस पर सभा की राय लेने की कोई जरूरत नहीं है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मसौदा स्पष्ट हो इतने से ही मैं सन्तुष्ट हो जाता हूं। ऊंची शब्दावली रखने का मुझे शौक नहीं है।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 26 के स्थान पर यह प्रविष्टि रखी जाये:

'26. Imports or export across customs frontiers; definition of customs frontiers.'

[26. शुल्क सीमान्तों को पार करने वाले आयात या निर्यात, शुल्क सीमान्तों की परिभाषा।]"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

प्रविष्टि 26 यथा संशोधित रूप में संघ-सूची में शमिल की गई।

नई प्रविष्टि 26-क

***अध्यक्ष:** माननीय सदस्य (श्री शिब्बनलाल सक्सेना) के संशोधन की बात अनुच्छेद 271-क के अन्तर्गत आ जाती है। जिसे हम स्वीकार कर चुके हैं। उस अध्याय का हम पहले ही पास कर चुके हैं जिसमें सम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में प्रावधान रखे गये हैं। इन प्रावधानों के अधीन सम्पत्ति सम्बन्धी स्वामित्व के बारे में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** मैं यह चाहता हूं कि इस विषय के बारे में विधि निर्माण का अधिकार केवल संघीय विधान-मंडल को प्राप्त रहे, राज्यों के विधान-मण्डलों को नहीं।

***अध्यक्ष:** आगे की प्रविष्टि 42 के अन्तर्गत यह बात आ जाती है।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** क्या उस प्रविष्टि के अनुसार राज्यों को उस सम्बन्ध में विधि-निर्माण का अधिकार न रहेगा?

***अध्यक्ष:** बिल्कुल नहीं। प्रविष्टि 42 के अन्तर्गत संघ की सभी सम्पत्ति आ जाती है। मैं नहीं समझता कि आपके संशोधन की कोई भी जरूरत है।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** इस प्रश्न को लेकर अमेरीका की सर्वोच्च अदालत में कई मामले चल चुके हैं। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि यह बात यहां स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दी जाये। मैं अपना संशोधन रखना चाहता हूं, श्रीमान।

मेरा प्रस्ताव है:—

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 26 के बाद यह नई प्रविष्टि रखी जाये:—

'26.A. Ownership of and dominion over the lands, minerals, and other things of value underlying the ocean seaward of the ordinary low watermark on the coast exceeding three nautical miles.'

[26.क. समुद्र तट में अंकित निचली सतह के चिह्न से समुद्र की ओर तीन सामुद्रिक मील तक समुद्र के नीचे की सब भूमि खनिजों तथा अन्य मूल्यवान पदार्थों पर स्वामित्व तथा आधिपत्य।]"

मैं जानता हूं संविधान में इन सबके लिये प्रावधान रखा जा रहा है पर मैं चाहता यह हूं कि इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाये। इस सम्बन्ध में मैं एक महत्वपूर्ण मामले का हवाला दूंगा जिसका फैसला अभी 23 जून 1947 को अमेरीका की सर्वोच्च अदालत ने किया है। मामला चला था संयुक्त राज्य अमेरिका और वहां की रियासत कैलिफोर्निया के बीच। मामला यों था कि कैलिफोर्निया के नजदीक जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी राशि तेल और गैस की मिली। उसके स्वामित्व के प्रश्न पर झगड़ा चला। मामला वहां के सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंचा। न्यायालय का बहुमत इसी पक्ष में था कि उस पर स्वामित्व है संयुक्त-राज्य अमेरिका का पर दो न्यायाधीश श्री रीड तथा श्री फ्रैंक फर्टर इसके विरुद्ध थे। मेरी समझ से यह बहुत ही आवश्यक है कि संविधान में यह स्पष्ट कर दिया जाये कि इन पर संघ का स्वामित्व है ताकि इसके सम्बन्ध में किसी

[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना]

संदेह की गुंजाइश न रह जाये। उक्त मामले में जो फैसला हुआ था उसका एक पैरा मैं यहां उद्धृत करता हूं:—

"यही तेल जिसके स्वामित्व के प्रश्न को लेकर राष्ट्र और रियासत में विवाद चल रहा है वह अन्तराष्ट्रीय विवाद और समझौते का विषय बन सकता है। महासागर और इसके तटवर्ती तीन मील का कक्ष, राष्ट्र की इस इच्छा की पूर्ति के लिए कि वह अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य करे तथा दुनिया के साथ उसका सम्बन्ध शान्तिमय बना रहे बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अगर शान्तिपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखना कहीं असम्भव हो गया तो उस हालत में राष्ट्र के लिये इनका महत्व और गम्भीर हो जाता है। चूंकि वाणिज्य तथा शान्ति दोनों की जिम्मेदारी राष्ट्र पर होती है न कि रियासत पर, इसलिए यदि युद्ध चल पड़ता है तो लड़ना पड़ेगा राष्ट्र को। रियासत जिस आधिपत्य की मांग कर रही है उसके सहगामी दायित्वों को पूर्ति की शक्ति या सुविधायें, अपनी संवैधानिक प्रणाली में रियासत को नहीं प्राप्त हैं। यह सच है कि रियासतों को अपनी सीमा के अन्दर इस तटवर्ती कक्षा पर स्थानीय पुलिस के प्रकार्य को निष्पादित करने का अधिकार प्राप्त है पर इससे संघ-सरकार के उस पूर्णाधिकार में कोई कमी नहीं आती जो उसे इस क्षेत्र पर प्राप्त है। इसलिए सागर गर्भवर्ती उस कक्ष के बारे में जहां रियासत की नदियां गिरती हैं, रियासत को स्वामित्व देने वाले पोलार्ड नियम को लागू करने पर हम तैयार नहीं हैं। उस पर तो राष्ट्र को ही स्वामित्व प्राप्त है।"

अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का यह एक पैदा मैंने यहां सुनाया है। उपरोक्त मामले में न्यायालय का फैसला यह रहा है कि सागर की गर्भवर्ती सम्पत्ति पर राष्ट्र का स्वामित्व है न कि रियासत का। यदि संघ-सूची में इन विषयों का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाता है तो तटवर्ती भू-भाग के अन्दर निकलने वाले किसी खनिज या अन्य सम्पत्ति के स्वामित्व पर किसी विवाद की गुंजाइश न रह जायेगी। इसलिये मेरा सुझाव है कि यह नई प्रविष्टि संघ-सूची में शामिल कर ली जाये।

*__माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः__ मेरा निवेदन यह है कि यह बात अनुच्छेद 272-क के अन्तर्गत आ जाती है। मेरी कठिनाई यह है। माननीय मित्र सक्सेना के संशोधन में स्वामित्व की चर्चा की गई है पर इस विधायिनी सूची में केवल विधि-निर्माण सम्बन्धी शक्ति का प्रावधान किया है। स्वामित्व किसका हो इसके निर्णयन का अधिकार इसके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। स्वामित्व सम्बन्धी प्रश्न का विनिश्चयन तो किसी अन्य विधि द्वारा होगा न कि इस सूची की प्रविष्टि के द्वारा। इसलिये मैं इस संशोधन को नहीं स्वीकार कर सकता हूं।

*__अध्यक्षः__ श्री सक्सेना ने यहां हवाला दिया है अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का। पर मेरा ख्याल यह है कि फैसले की जरूरत ही वहां इस लिये पड़ी थी कि वहां संविधान में अपने अनुच्छेद 272-क जैसा कोई अनुच्छेद नहीं रखा गया है।

*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: हम लोगों ने यह देखा कि संविधान में इसके लिये कोई प्रविष्टि नहीं रखी गई है जिससे यह विषय संदेहास्पद रह जाता है। इस संदेह को दूर करने के लिये ही हमने अनुच्छेद 271-क को रखा। यह अनुच्छेद वस्तुतः श्री सक्सेना के संशोधन से अक्षरशः मिलता हुआ है।

*अध्यक्ष: श्री सक्सेना के संशोधन पर मैं मत लेता हूं। प्रस्ताव यह है:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 26 के आगे यह नई प्रविष्टि रखी जाये:—

'26.A. Ownership of and dominion over the lands, minerals and other things of value underlying the ocean seaward of the ordinary low watermark on the coast exceeding three nautical miles.'

[26.क. समुद्र तट में अंकित निचली सतह के चिह्न से समुद्र की ओर तीन सामुद्रिक मील तक समुद्र के नीचे की सब भूमि, खनिजों तथा अन्य मूल्यवान पदार्थों पर स्वामित्व तथा आधिपत्य।]"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

प्रविष्टि 27

प्रविष्टि 27 संघ सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 28

*अध्यक्ष: अब हम प्रविष्टि 28 पर आते हैं। इस पर एक संशोधन है श्री नज़ीरुद्दीन अहमद का।

*श्री नज़ीरुद्दीन अहमद: मैं उसे नहीं पेश कर रहा हूं, श्रीमान।

प्रविष्टि 28 संघ-सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 29

*अध्यक्ष: अब ली जाती है प्रविष्टि 29, इस पर एक संशोधन है, श्री नज़ीरुद्दीन अहमद का।

*श्री नज़ीरुद्दीन अहमद: मैं उसे नहीं पेश कर रहा हूं, श्रीमान।

प्रविष्टि 29 संघ-सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 30

***अध्यक्षः** इस प्रविष्टि पर कोई संशोधन नहीं है।

प्रविष्टि 30 संघ-सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 31

***अध्यक्षः** इस प्रविष्ट पर, मैं देखता हूं कि कुछ संशोधन आये हैं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** मैं यह प्रस्ताव रखता हूं, श्रीमान।

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 31 के स्थान पर यह प्रविष्टि रखी जाये।

'31. Highways declared to be national highways by or under law made by Parliament.'

[31. राजमार्ग जो संसद निर्मित विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिये गये हों।]"

संशोधन बिल्कुल स्पष्ट है। मूल प्रविष्टि के शब्दों को यहां स्थानान्तरित मात्र कर दिया गया है।

***अध्यक्षः** मूल प्रविष्टि पर एक संशोधन है मि. करीमद्दीन का, पर यह पेश नहीं किया जायेगा और कोई दूसरा संशोधन इस पर नहीं है। इसलिये डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित प्रविष्टि पर मैं मत लेता हूं।

प्रस्ताव यह है:

"कि प्रविष्टि 31 यथा संशोधित रूप में सूची 1 का अंग समझी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रविष्टि 31 यथा संशोधित रूप में संघ-सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 33 और 32

***अध्यक्षः** यहां पर एक संशोधन है पर वह है इसे हटाने के लिए?

प्रविष्टि 32 संघ-सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 33 और 34

प्रविष्टि 33 और 34 संघ-सूची में शामिल की गईं।

प्रविष्टि 35

***अध्यक्षः** इस प्रविष्टि पर एक संशोधन है श्री संथानम् का।

***माननीय श्री के. संथानम** (मद्रासः जनरल): इसे पेश नहीं कर रहा हूं, श्रीमान।

प्रविष्टि 35 संघ-सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 36

प्रविष्टि 36 संघ-सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 37

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** मेरा यह प्रस्ताव है, श्रीमानः

"कि सूची 1 के संशोधन नं. 12 में प्रविष्टि 37 में 'by air or by sea' (वायु अथवा समुद्र) शब्दों के स्थान पर 'by railway, by sea or by air' (रेल पथ, समुद्र या वायु से) शब्द रखे जायें।"

मूल प्रविष्टि में एक शब्द रखना छूट गया था जिसे रखने के लिये ही यह संशोधन पेश करना पड़ा है।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** मेरा प्रस्ताव यह है, श्रीमानः

"कि सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन नं. 12 में प्रविष्टि 37 में 'by railway, by sea or by air' (रेल पथ, समुद्र या वायु से) शब्दों के स्थान पर 'by land, sea or air' (स्थल मार्ग, समुद्र या वायु से) शब्द रखे जायें।"

संशोधन क्यों रखा जा रहा है इसका कारण बिल्कुल सरल है। डॉ. अम्बेडकर ने अपने संशोधन के द्वारा केवल 'by railway' शब्दों को बढ़ाने का सुझाव दिया है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि परिवर्तन इतना सीमित क्यों रखा जा रहा है। यदि सामान और यात्रियों का रेल पथ द्वारा वहन संघ-शासन के क्षेत्राधिकार में रखना है। तो यहां 'by railway' की जगह 'by land' क्यों न रखा जाये। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो सामान तथा यात्रियों का राजमार्ग द्वारा यातायात संघ-शासन के क्षेत्राधिकार के अधीन न रह जायेगा। यदि कोई खास कारण है जिसके लिये राजमार्ग पर आने जाने वाले सामान या यात्रियों के बारे में आप इस प्रविष्टि को लागू नहीं करना चाहते हैं तो उस सूरत में अपने संशोधन के लिये मैं आग्रह नहीं करूंगा। पर मैं नहीं समझता कि ऐसी बात है क्योंकि राजमार्ग द्वारा यातायात सर्वथा

[डॉ. पी.एस. देशमुख]

राज्यों के क्षेत्राधिकार में जरूरत है किन्तु अन्तर्प्रादेशिक यातायात तो संघ शासन के ही क्षेत्राधिकार में रहेगा। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि यहां केवल रेल पथ द्वारा होने वाले यातायात को ही क्यों संघ-शासन के क्षेत्राधिकार में रखा जा रहा है? आखिर राजमार्ग द्वारा होने वाले यातायात को भी क्यों नहीं संघ-शासन के क्षेत्राधिकार में रखा जाये?

***श्री आर.के. सिधवा:** प्रान्तीय सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली बसों के द्वारा जो यातायात होगा वह जिसके क्षेत्राधिकार में रहेगा?

***अध्यक्ष:** आपके संशोधन के अन्तर्गत ये सभी बाते आ जायेंगी।

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** राज्यों में चलने वाली बसों द्वारा होने वाला यातायात संघ-शासन के क्षेत्राधिकार में न रहेगा। मेरे संशोधन के अनुसार संघ-शासन के क्षेत्राधिकार में केवल अन्तप्रादेशिक यातायात रहेगा।

***श्री आर.के. सिधवा:** प्रान्तीय सरकार की बसों द्वारा होने वाली यातायात पर भी तो यह संशोधन लागू हो सकता है।

***अध्यक्ष:** यह लागू हो हो सकता है केवल वायु, समुद्र या रेल पथ द्वारा यात्रियों के ले जाये जाने के बारे में।

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** रेल पथ द्वारा ले जाये जाने वाले सामान और यात्रियों को संघ-शासन के क्षेत्राधिकार में रखा जा रहा है। मैं चाहता यह हूं कि राजमार्ग द्वारा होने वाले सामान और यात्रियों के यातायात को भी संघ-शासन के क्षेत्राधिकार में रखा जाये पर केवल उसी यातायात को जो अन्तर्प्रादेशिक हो। अपने प्रदेश के अन्दर राजमार्ग द्वारा होने वाले यातायात पर पूर्णत: राज्यों का ही अधिकार रहेगा।

***अध्यक्ष:** यह प्रविष्टि केवल अन्तप्रादेशिक यातायात पर ही नहीं लागू होती है प्रादेशिक यातायात पर भी यह प्रविष्टि लागू होगी, अगर यातायात रेलपथ द्वारा होता है। यदि 'by land' शब्द यहां रख आते हैं तो, इक्का, टांगा, बैलगाड़ी, इन सभी तरह के यातायात संघीय क्षेत्राधिकार में आ जायेंगे।

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** मेरा मतलब यह है कि स्थल मार्ग द्वारा होने वाले केवल अन्तर्प्रादेशिक यातायात संघीय क्षेत्राधिकार में रहें। इसीलिए मैंने यह संशोधन रखा है।

***अध्यक्ष:** किन्तु आपके संशोधन से ऐसा नहीं होगा। यह स्थलमार्ग द्वारा होने वाले सभी यातायात पर लागू होगा।

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** मेरा अभिप्राय: इतना ही था कि स्थलमार्ग द्वारा होने वाले केवल अन्तर्प्रादेशिक यातायात को संघीय क्षेत्राधिकार में रखा जाये। किन्तु अगर

मेरे संशोधन के अन्तर्गत स्थलमार्ग द्वारा होने वाला प्रादेशिक यातायात भी आ जाता है तो फिर यह बेकार है।

***अध्यक्ष:** दूसरा संशोधन है श्री कामत का जिसमें 'railway' शब्द के स्थान पर 'rail' शब्द रखने का सुझाव दिया गया है। क्या इस संशोधन को पेश करने में आपको भाषण देने की जरूरत है?

***श्री एच.वी. कामत:** नहीं, मैं इसे मसौदा-समिति के सदस्यों की सम्मिलित बुद्धिमत्ता पर छोड़ता हूं। अंग्रेजी भाषा का मुझे थोड़ा ही ज्ञान है पर उस भाषा का यत्किंचित ज्ञान मुझे है उसके आधार पर मैं यह कहूंगा कि कि "carriage by railway" यह पदसंहति कुछ शुद्ध नहीं है। आमतौर पर अंग्रेजी में 'carriage by rail' पदसंहति प्रयुक्त की जाती है न कि 'carriage by railway'। इसलिए अपने संशोधन का प्रस्ताव रस्मीतौर पर मैं यहां पेश किये देता हूं। प्रस्ताव यह है:

"कि सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन नं. 12 में, सूची 1 की प्रविष्टि 37 में 'railway' शब्द के स्थान पर 'rail' शब्द रखा जाये।"

***माननीय डा. बी.आर अम्बेडकर:** अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री देशमुख के संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं क्योंकि अगर हम उनके संशोधन को मान लेते हैं तो फिर स्थलमार्ग के सभी यातायात केन्द्रीय क्षेत्राधिकार में आ जायेंगे।

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** किन्तु स्थलमार्ग द्वारा दो प्रदेशों के बीच जो यातायात होगा उसको किसके क्षेत्राधिकार में रखा जायेगा?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** वह अन्तर्प्रादेशिक यातायात होगा जो संघीय अधिकार में रहेगा।

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** तो मैं अपने संधोधन को वापस ले लेता हूं

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

(श्री कामत ने अपने संशोधन के लिए आग्रह नहीं किया।)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 37 में 'by air or by sea' (वायु या समुद्र द्वारा) शब्दों के स्थान पर 'by railway, sea or by air' (रेलपथ समुद्र का वायु द्वारा) शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रविष्टि 37 संघ-सूची में शामिल की गई।

————————

प्रविष्टि 38

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** मैं यह प्रस्ताव रखता हूं श्रीमानः

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 38 के स्थान पर यह प्रविष्टि रखी जाये—

'38. Railways.' "

यह परिवर्तन क्यों किया जा रहा है इसके सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालना यहां आवश्यक है। माननीय सदस्य वृन्द यदि मसौदे की मूल प्रविष्टि पर दृष्टिपात करेंगे तो देखेंगे कि वहां संघ की रेलों और अन्य छोटी रेलों में अन्तर रखा गया है। यह अन्तर रखना जरूरी था क्योंकि संघ की रेलों के बारे में, क्षेत्र अधिकतम और अल्पतम दर तथा भाड़े के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार केन्द्रीय शासन को प्राप्त है। किन्तु छोटी रेलों के बारे में वास्तविक प्रशासन की एक सीमित जिम्मेदारी केन्द्र पर है। कहने का मतलब यह है कि जहां तक छोटी रेलों का सम्बन्ध है, अधिकतम और अल्पतम दर, भाड़ा, स्टेशन और सेवा सीमा-व्यय आदि बातें केन्द्रीय विधान-मण्डल के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दी गई हैं अब वांछनीय यह समझा जा रहा है कि चूंकि भारत में रेलवे की व्यवस्था एक तरह की होगी इसलिए इनके सम्बन्ध में कानून बनाने का काम भी एक ही निकाय के हाथ में होना चाहिए ताकि सभी बातों के बारे में सभी रेलों के लिए एक से कानून बनाये जा सकें। इसलिए अब इस प्रविष्टि को व्यापक बना दिया जा रहा है ताकि इसमें छोटी रेलें भी शामिल की जा सकें। और जब सभी बातों के लिए सभी रेलों के सम्बन्ध में एक सा कानून का बनाना आवश्यक है तो मूल प्रविष्टि के दूसरे भाग को रखना अनावश्यक है जिसमें संघीय रेलों और छोटी रेलों में अन्तर किया गया है।

मैं यह भी बता दूं कि यह प्रविष्टि शुद्धतः एक विधायिनी प्रविष्टि है। इसके द्वारा स्वामित्व का प्रावधान नहीं किया गया है। कहने का मतलब यह है कि अधिकतम और अल्पतम दर, भाड़ा तथा सीमा व्यय आदि के आनियमन का अधिकार केन्द्र को होगा पर हर राज्य को चाहे भाग 1 वाला राज्य हो या भाग 3 वाला, जिसके पास अपनी छोटी रेलें हैं, केन्द्र द्वारा निश्चित दर और भाड़े के अनुसार जो आय होगी उसे रखने का पूर्ण अधिकर होगा। इस व्यवस्था से उसके स्वामित्व विषयक अधिकार पर कोई आंच नहीं आयेगी। रेलों पर उसका स्वामित्व बना रहेगा। यदि भाग 3 या भाग 1 वाले किसी राज्य के किसी छोटे रेलपथ को केन्द्र अपने अधिकराधीन करना चाहता है तो व्यवस्था के अनुसार ही वह ऐसा कर सकता है। सुतरां यह जो प्रविष्टि है वह शुद्धतः एक विधायिनी प्रविष्टि है। मेरे संशोधन का अभिप्राय यही है कि रेलवे सम्बन्धी सभी बातों के बारे में देश भर के लिए एक सा कानून हो। इस संशोधन से स्वामित्व सम्बन्धी प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

ट्राम-पथ को रेलपथ में हम शामिल नहीं कर रहे हैं, उसको रेलपथ से अलग रखा जा रहा है। निर्वाचन विषयक खण्ड में हम रेलवे की परिभाषा इस रूप में देना चाहते हैं कि रेल में ट्राम को न शामिल किया जा सके ताकि भाग 1 या 3 वाले राज्यों को ट्रामों के सम्बन्ध में सभी बातों के आनियमन का अधिकार रहे।

***श्री आर.के. सिधवा:** माइनर रेलवे ऐक्ट नामक एक कानून है जिस पर सभी प्रान्तीय सरकारें अमल करती हैं। क्या इस संशोधन का अभिप्राय यह है कि वह ऐक्ट अब निरसित कर दिया जायेगा और सारी व्यवस्था संघ के अधिकार में आ जायेगी?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** हां, इस संशोधन से संघ को इस ऐक्ट को निरसित करने का अधिकार अवश्य प्राप्त हो जाता है। वह यदि चाहे तो इसे रख सकता है या इसके स्थान पर दूसरा कोई कानून बना सकता है। इसे प्रविष्टि के द्वारा केन्द्र को छोटी-बड़ी सभी रेलों के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। वह चाहे तो छोटी रेलों और बड़ी रेलों के लिए भिन्न-भिन्न कानून बनावे या दोनों के लिए एकसा कानून बनावे। इसका पूरा अधिकार केन्द्र को है।

***श्री आर.के. सिधवा:** तो क्या छोटे रेलपथों की व्यवस्था माइनर रेलवे ऐक्ट के अनुसार चलेगी?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** यह वर्तमान कानून तब तक चालू रहेगा जब तक संसद इसमें कोई परिवर्तन न कर दे। इस संशोधन से संसद को परिवर्तन करने का अधिकार मिल जाता है।

***अध्यक्ष:** अब प्रविष्टि 38 पर मैं मत लेता हूं। मुझे अभी मालूम हुआ है कि इस पर एक और संशोधन आया है पर यह आया है कि आज सवेरे 9 बजे। मैं इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं। अब प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 38 के स्थान पर यह प्रविष्टि रखी जाये-

'38. Railways.' "

संशोधन स्वीकृत हुआ।

प्रविष्टि 38 यथा संशोधित रूप में संघ-सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 39

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं यह प्रस्ताव रखता हूं:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 39 के स्थान पर यह प्रविष्टि रखी जाये:—

'39. The institutions known on the date of commencement of this Constitution as the National Library, the Indian Museum, the

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

> Imperial War Museum, the Victoria Memorial, the Indian War Memorial, and any other institution financed by the Government of India wholly or in part and declared by Parliament by law to be an instituion of national importance.' "

(39. इस संविधान की प्रारम्भ तिथि पर राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, साम्राज्यिक युद्ध संग्रहालय, विक्टोरिया-स्मारक, भारतीय युद्धस्मारक नामों से ज्ञात संस्थाएं तथा भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषित तथा संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई अन्य संस्था।)

यहां मूल प्रविष्टि में कोई सारवान परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। केवल चन्द शाब्दिक परिवर्तन मात्र किये जा रहे हैं क्योंकि 15 अगस्त 1947 से इन संस्थाओं के नाम में परिवर्तन हो गया है।

***श्री बी. दास** (उड़ीसा: जनरल): संविधान के प्रभावी होने पर क्या "Imperial War Museum" (साम्राज्य युद्ध-संग्रहालय) का नाम बदलकर "National War Museum" (राष्ट्रीय युद्ध-संग्रहालय) कर दिया जायेगा जैसा कि इम्पीरियल लाइब्रेरी को बदलकर 'नैशनल लाइब्रेरी' कर दिया गया है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मैं समझता हूं कि 'इम्पीरियल लाइब्रेरी' का नाम बदलकर 'नैशनल लाइब्रेरी' कर दिया गया है कि 'इम्पीरियल वार म्युजीयम' का नाम नहीं बदला गया है। ये नाम तो सिर्फ उन संस्थाओं का परिचय देने के लिए है ताकि संसद जब उनके बारे में कोई कानून बनावे तो उनका नामोल्लेख करके यह बताया जा सके कि कानून अमुक संस्था के लिए लागू है।

***श्री बी. दासः** मैं जानना यह चाहता हूं कि संविधान के प्रभावी होने पर और भारत शासन अधिनियम में अनुकूलन हो जाने पर 'इम्पीरियल' शब्द उठ जायेगा या यों ही बना रहेगा। मेरा कहना यह है कि "हिज मैजेस्टीज़ गवर्नमेन्ट", दि क्राउन' जैसे शब्द संविधान के प्रभावी होने पर उठ जायेंगे या बने रहेंगे।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** अनुकूलन किया जायेगा। कानूनों के सम्बन्ध में न कि नाम के सम्बन्ध में।

***अध्यक्षः** इस प्रविष्टि के द्वारा केन्द्रीय विधान-मण्डल को नाम में परिवर्तन करने का अधिकार मिल जाता है।

इस प्रविष्टि पर एक संशोधन श्री नजीरुद्दीन अहमद का आया है जिसका नं. है 160 ।

*__श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:__ अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं:

"कि सूची 1 (षष्ठम् सप्ताह) के संशोधन नं. 14 में सूची 1 की प्रस्तावित प्रविष्टि 39 में—

(1) 'on the date of commencement' शब्दों के स्थान पर 'on the commencement' शब्द रखे जायें।

(2) 'other institution' शब्दों के स्थान पर 'other similar institution' शब्द रखे जायें।

(3) 'by Parliament' शब्दों के स्थान पर 'by or under any law made by Parliament' शब्द रखे जायें।

जहां तक कि मेरे संशोधन के पहले अंश का प्रश्न है, उसमें केवल एक सामान्य-सा परिवर्तन का सुझाव दिया गया है जिससे प्रविष्टि के सार में कोई अन्तर नहीं आता है। प्रविष्टि में 'the date of commencement of the Constitution' (संविधान की प्रारम्भ तिथि पर) शब्द रखे गये हैं। मेरा कहना यह है कि "संविधान के प्रारम्भ पर" इतना कहने से उस तिथि का ही बोध होता है जिस दिन संविधान का प्रारम्भ होता है। हमने संविधान के मसौदे में अन्य कितने ही स्थलों पर "संविधान के प्रारम्भ पर" यही पदसंहति प्रयुक्त की है। कई अनुच्छेदों में जिन्हें हम स्वीकार कर चुके हैं यही पदसंहति प्रयुक्त हुई हैं। 'on Commencement of the Constitution' (संविधान के प्रारम्भ) पद-संहति को हमने सर्वत्र संविधान के प्रारम्भ की तिथि के ही अर्थ में प्रयुक्त किया है। सुतरां यहां 'date of' शब्दों का रखना न केवल अनावश्यक है बल्कि अन्य कतिपय स्वीकृत अनुच्छेदों में रखी गई पद-संहति को देखते हुए इन शब्दों का यहां रखा जाना असंगत दिखाई देता है। मेरा कहना यह है कि संविधान में एकरूपता रहनी चाहिए। इसलिए "on the date of commencement" न रखकर केवल 'on commencement' रखना ही ठीक होगा। संविधान का प्रारम्भ होगा ही किसी तारीख पर और वह तारीख शुरू होगी मध्य रात्रि के बाद से। इस संशोधन का सम्बन्ध केवल मसौदे की रचना से है और इसमें कोई सारवान परिवर्तन की बात नहीं कही गई है। मसौदा-समिति का ध्यान मैं इसकी ओर इसलिए आकृष्ट कर रहा हूं कि शायद एकरूपता के ख्याल से वह यहां आवश्यक परिवर्तन करना पसन्द करे।

मेरे संशोधन का दूसरा अंश महत्वपूर्ण है। डॉ. अम्बेडकर ने जो प्रविष्टि प्रस्तावित की है, वह यों है:

"......राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, साम्राज्यिक युद्ध संग्रहालय, विक्टोरिया-स्मारक, भारतीय युद्ध-स्मारक नामों से ज्ञात संस्थाएं तथा भारत सरकार द्वारा....... वित्तपोषित........ ऐसी कोई अन्य संस्था।"

[श्री नज़ीरुद्दीन अहमद]

मैं चाहता यह हूं कि प्रविष्टि का अन्तिम अंश यों हो "ऐसी कोई अन्य तद्रूप संस्था"। हम इस प्रविष्टि के द्वारा प्रावधान कर रहे हैं एक खास तरह की संस्थाओं के बार में। राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, साम्राज्यिक युद्ध संग्रहालय, विक्टोरिया-स्मारक तथा भारतीय युद्ध-स्मारक में सभी एक तरह की संस्थाएं हैं। अगर हम प्रविष्टि के अन्तिम अंश में यह नहीं कहते कि 'ऐसी अन्य तद्रूप संस्था' तो इसका नतीजा यह होगा कि बिल्कुल भिन्न तरह की अन्य कतिपय संस्थाओं को भी अनजाने इसमें हम शामिल कर लेंगे। इससे यह होगा कि इस प्रविष्टि के अधीन संसद को अन्य संस्थाओं के सम्बन्ध में भी जो भारत सरकार द्वारा पूर्णत: या अंशत: वित्तपोषित होंगी, चाहे उन संस्थाओं का स्वरूप इनसे बिल्कुल हो और उनके प्रकार्य भी इनसे सर्वथा भिन्न हों विधि बनाने का अधिकार हो जायेगा। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस प्रविष्टि के प्रयोजन को स्पष्ट करने के लिए तथा यहां वर्णित संस्थाओं जैसी संस्थाओं तक ही इसे सीमित रखने के लिए यह आवश्यक है कि "any other similar institution" (ऐसी अन्य तद्रूप संस्था) कह कर मतलब को बिल्कुल साफ कर दें। निर्वाचन विषयक सिद्धान्त का अभी अभी हवाला दे चुका हूं। निर्वाचन का यह भी एक सिद्धान्त है कि अगर किसी विधि में कुछ विषयों का स्पष्ट उल्लेख है और अन्य में यह कह दिया जाता है कि 'तथा अन्य विषय' तो यहां अन्य विषयों में साधारणत: सभी विषय मान लिये जायेंगे। न्यायालय यही कहेगा कि "अन्य संस्था" शब्दों के रहने से प्रविष्टि की परिधि बहुत व्यापक हो जाती है और प्रविष्टि में वर्णित संस्थाओं से भिन्न संस्थाएं भी इसके अन्तर्गत आ जाती हैं। गैर कानूनदां व्यक्ति भले ही इस सिद्धान्त को न जानता हो पर हर कानूनदां इससे अच्छी तरह परिचित हैं। इसीलिये मैं यह कह रहा हूं कि प्रयुक्त पद-संहति से अपना मतलब भले ही स्पष्ट हो जाता हो पर अच्छा यही होगा कि यहां इसका और खुलासा हम कर दें ताकि आगे किसी विवाद की गुंजायश न रह जाए। और फिर मेरे सुझाये गये शब्दों को रखने से प्रविष्ट की पूर्णतया भी बनी रहेगी और उसकी व्यापकता भी इतनी बढ़ जायेगी कि उसके अन्तर्गत हम तद्रूप अन्य संस्थाओं को शामिल कर सकते हैं। पर अगर "अन्य संस्था" शब्दों को आप इसलिये रख रहे हैं कि इसके अधीन दूसरी तरह की अन्य संस्थाओं को भी शामिल किया जा सके तो मैं यह कहूंगा कि इस रूप में रखने से यह प्रविष्टि बड़ी अस्पष्ट हो जायेगी। तब अच्छा यह होगा कि अन्य संस्थाओं के लिए एक पृथक् प्रविष्टि ही रख दी जाये। इसलिए मैंने जो संशोधन रखा है उसमें सिद्धान्त का प्रश्न निहित है। इस पर विचार कर लेना चाहिए।

संशोधन में तीसरा सुझाव मैंने यह किया है कि "by Parliament" शब्दों के स्थान पर "by or under any law made by Parliament" शब्द रखे जायें। इस

सम्बन्ध में सभा का ध्यान मैं डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन नं. 10 की ओर आकृष्ट करूंगा जिसके द्वारा मूल प्रविष्टि 31 के स्थान पर दूसरी प्रविष्टि रखी गई है जो यों है:—"Highways declared to be national highways by or under the law made by Parliament" (राजपथ जिन्हें संसद निर्मित विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय राज्य-पथ घोषित किया गया है।) यहां संसद द्वारा घोषित तथा संसद निर्मित विधि के द्वारा या अधीन घोषित में अन्तर किया गया है। संसद द्वारा घोषित का मतलब यह है कि संसद सभा में घोषणा कर देगी जबकि संसद निर्मित विधि के द्वारा या अधीन घोषित का मतलब यह है कि संसद दूसरों को ऐसी घोषणा करने का अधिकार प्रदान करेगी और वह घोषणा विधि के अधीन मानी जायेगी। मैंने यह सुझाव इसीलिए दिया है कि संशोधित प्रविष्टि 31 में प्रयुक्त पदसंहति यहां भी रखी जाये। इस पदसंहति को रखने से प्रविष्टि की परिधि और व्यापक हो जायेगी और संसद को स्वयं घोषणा करने की जरूरत न रहेगी बल्कि दूसरे किसी प्राधिकारी को ऐसी घोषणा करने का वह अधिकार दे देगी। और अन्य कई प्रविष्टियों में भी मैंने "by or under law made by Parliament" यही पदसंहति प्रयुक्त देखी है। इसलिए एकरूपता लाने के ख्याल से और इसलिए कि प्रविष्टि की परिधि और व्यापक हो जाये, मैंने यह सुझाव रखा है। अवश्य ही इस सुझाव में कोई परिवर्तन की बात नहीं कही गई है बल्कि केवल मसौदे की रचना में शाब्दिक हेर-फेर करने की बात कही गई है। मैं इसे मसौदा-समिति की मरजी पर छोड़ता हूं वह चाहे जैसा करे। किन्तु मेरा जो दूसरा सुझाव है यानी-अन्य तद्रप संस्था रखने का जो सुझाव है, वह महत्वपूर्ण है और सभा से मैं अनुरोध करूंगा कि वह उस पर विचार करे।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** इस प्रविष्टि में श्रीमान, हमने कतिपय संस्थाओं का नामोल्लेख किया है और यह कहा है कि ये संस्थायें संघ-सूची में रहेगी। यहां इम्पीरियल वार म्युजियम विक्टोरिया स्मारक जैसी संस्थाओं का नामोल्लेख किया गया है और प्रविष्टि के अन्त में इतना और भी रख दिया गया है:—"तथा भारत सरकार द्वारा पूर्णत: या अंशत: वित्तपोषित तथा संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई अन्य संस्था"। यदि इस तरह की एक संस्था का प्रश्न होता तो कोई आपत्ति की बात नहीं थी। मेरा ख्याल यह है कि अगर संविधान में इम्पीरियल वार म्युजियम शब्दों को रखा जाता है तो वह स्वतंत्र भारत के लिए शोभा की बात न होगी। संविधान में हम ऐसी बातों का क्यों स्थायी उल्लेख रखें जो हमें उस साम्राज्यवादी शक्ति का स्मरण दिलाती रहेगी। जिसने हमें इतने दिनों तक दासता के पाश में बांध रखा था। मेरा ख्याल यह है श्रीमान, कि संविधान में हमें ऐसी कोई बात रखनी ही नहीं चाहिए जो इस साम्राज्यवादी शक्ति का स्मरण दिलाती हो। इसलिए मेरी समझ से हमें यहां केवल इतना ही रख देना चाहिए कि कुछ संस्थायें भी संघ-सूची में रहेंगी वह संस्थायें कौन होंगी इसको स्पष्ट करने का भारत संसद पर छोड़ दिया जाये। और फिर अगर इन संस्थाओं का नामोल्लेख संविधान में कर

[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना]

दिया जाता है तो बाद में चलकर इसमें परिवर्तन करना हमारे लिए बड़ा कठिन हो जायेगा। इसलिए मेरी समझ से बेहतर यह होगा कि संविधान में इनका नामोल्लेख करने के बजाय उन्हें संसद पर छोड़ दिया जाये और वही जैसा चाहे, निर्णय करे।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** श्री नज़ीरुद्दीन अहमद के संशोधन को मैं क्यों नहीं स्वीकार कर सकता इसे समझाने के लिए अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस प्रविष्टि के दो अंश हैं। पहले अंश में कपितय खास खास संस्थाओं का जिक्र किया गया है और दूसरे अंश में उन संस्थाओं का जिक्र है जो भारत सरकार द्वारा पूर्णत: या अंशत: वित्तपोषित है। यहां 'similar' (तद्रप) शब्द का रखना सम्भव नहीं है क्योंकि इससे, प्रविष्टि का यह जो उद्देश्य है कि केन्द्रीय शासन किसी संस्था को, जो केन्द्र द्वारा वित्तपोषित है या जिसका वित्तपोषण केंद्र और प्रान्त दोनों मिलकर करते हैं उसे अपने अधीन कर सकता है, वह सीमाबृद्ध हो जायेगा।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"सूची 1 (षष्ठम् सप्ताह) के संशोधन नं. 14 में सूची 1 की प्रस्तावित प्रविष्टि 39 में—

(1) 'on the date of commencement' शब्दों के स्थान पर 'at the commencement' शब्द रखे जायें।

(प्रस्तावकर्त्ता ने इस पर मत देने के लिए आग्रह नहीं किया)

(2) 'other institution, शब्दों के स्थान पर 'similar other institution', शब्द रखे जायें।

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(3) 'by Parliament' शब्दों के स्थान पर 'by or under law made by Parliament' शब्द रखे जायें।

(प्रस्तावकर्त्ता ने इस पर मत देने के लिए आग्रह नहीं किया)

***अध्यक्ष:** अब प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 39 के स्थान पर यह प्रविष्टि रखी जाये:—

'39. The institutions known on the date of commencement of this Constitution as the National Library, the Indian Museum, the Imperial War Museum, the Victoria Memorial, the Indian War Memorial and any other institution financed by the Government of India wholly or in part and declared by law to be an institution of national importance.' "

[39. इस संविधान की प्रारम्भ-तिथि पर राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, साम्राज्य युद्ध-संग्रहालय, विक्टोरिया-स्मारक, भारतीय युद्ध-स्मारक नामों से ज्ञात संस्थाएं तथा भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषित तथा संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित अन्य अन्य संस्था।]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

प्रविष्टि 39 यथा संशोधित रूप में संघ-सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 40

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** मैं यह प्रस्ताव रखता हूं, श्रीमानः

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 40 के स्थान पर यह प्रविष्टि रखी जायेः

'40. The institution known on the date of commencement of this Constitution as this Benares Hindu University, the Aligarh Muslim University, and the Delhi University and any other institution declared by Parliament by law to be an institution of national importance.'

[40. इस संविधान की प्रारम्भ-तिथि पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय नामों से ज्ञात संस्थाएं तथा संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई अन्य संस्था।]"

मैं यह निवेदन करूंगा कि 'university' (विश्वविद्यालय) शब्द यहां गलत है, होना चाहिए 'institution' (संस्था) शब्द। आशा है, इसे बदलने की आप अनुमति देंगे।

कोई बुनियादी परिवर्तन यहां नहीं किया गया है। हां, इतना जरूर है कि इस नई प्रविष्टि के अन्तिम अंश के द्वारा संसद को अन्य किसी संस्था को भी अपने क्षेत्राधिकार में रखने का अधिकार मिल जाता है, जिसे वह राष्ट्रीय महत्व का समझती हो। मूल प्रविष्टि में यह बता नहीं थी।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि प्रविष्टि 40-क को भी इसी के साथ पेश कर दिया जाये। दोनों ही प्रविष्टियां एक बात से सम्बन्ध रखती है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** मैं यह प्रस्ताव रखता हूं, श्रीमानः—

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 40 के बाद यह नई प्रविष्टि 40-क रख दी जायेः

'40A. Institutions for scientific or technical education financed by the Government of India wholly or in part and

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

declared by Parliament by law to be institutions of national importance.'

[40क. भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्त-पोषित तथा संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित वैज्ञानिक या शिल्पक शिक्षा-संस्थायें।]

*__अध्यक्षः__ प्रविष्टि 40 पर कुछ संशोधन आये हैं। संशोधन नं. 162 है श्री नज़ीरुद्दीन अहमद का और उसमें पहली बात यह सुझाई गई है कि "on the date of commencement" शब्दों के स्थान पर "at the commencement" शब्द रखे जायें। इस अंश को यहां रखने की आवश्यकता नहीं है।

*__श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः__ मैं यह प्रस्ताव रखता हूं, श्रीमानः—

"कि संशोधन सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन नं. 15 में, सूची 1 की प्रस्तावित प्रविष्टि 40 में—

'the Delhi University and any other institution declared by Parliament by law to be an institution of national importance' (दिल्ली विश्वविद्यालय तथा संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित अन्य कोई संस्था) शब्द हटा दिये जायें।"

डॉ. अम्बेडकर के संशोधन में जो परिवर्तन यहां सुझाया है, उसे देखते हुए मैंने अपने संशोधन में थोड़ा परिवर्तन कर दिया है। मैं यह कहूंगा कि डॉ. अम्बेडकर के संशोधन से केन्द्र के क्षेत्राधिकार में अनावश्यक विस्तार हो जायेगा और बहुत-सी संस्थाएं, जो अन्यथा प्रान्तीय क्षेत्राधिकार में होंगी, वह उनके संशोधन के इन शब्दों के कारण, जिन्हें मैं हटाना चाहता हूं, केन्द्रीय क्षेत्राधिकार में आ जायेंगी। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तो अपने जन्म काल से ही राष्ट्रीय महत्व की संस्थायें माने गये हैं, इसलिए उनको केन्द्रीय क्षेत्राधिकार में रखना सर्वथा उचित है। किन्तु "संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित अन्य कोई संस्था" इन शब्दों को रखने से, श्रीमान, केन्द्र के क्षेत्राधिकार में अनावश्यक विस्तार हो जायेगा। इस शब्दों के कारण संघ-शासन को इस बात का अधिकार मिल जायेगा कि वह इस तरह की जिस संस्था को चाहे अपने क्षेत्राधिकार में कर लेगा। विश्वविद्यालय, कालिज, या स्कूल से लेकर ग्राम पाठशाला तक को केन्द्र अपने क्षेत्राधिकार में कर सकता है। बुरी-भली हर किसी की चीज़ को अपने क्षेत्राधिकार में रखने की जो सर्वभक्षी प्रवृत्ति केन्द्र की है, वह स्तुत्य भले ही हो, किन्तु मेरी समझ से इससे केन्द्र का बोझ बहुत बढ़ जायेगा, क्योंकि उसके क्षेत्राधिकार

में अनेक विषय आ जायेंगे। इसका प्रभाव यह होगा कि प्रान्त या रियासतों की जिम्मेदारी धीरे-धीरे कम हो जायेगी। उनकी आमदनी कम होती जायेगी और उनकी जिम्मेदारियां भी धीरे-धीरे कम हो जायेंगी। गैर-जिम्मेदारी की मनोवृत्ति उनमें पैदा हो जायेगी और केन्द्र के विरुद्ध शिकायत की भावना उत्पन्न हो जायेगी। इसका परिणाम यह होगा कि प्रान्त हर बात की जिम्मेदारी केन्द्र पर थोप देगा।

केन्द्र प्रान्तों के बारे में यह समझता है कि राजनीतिक दृष्टि से वह अभी प्रौढ़ नहीं हो पाये हैं, सुतरां उसकी यह इच्छा कि वह प्रान्तों का अभिभावक रहे, बिल्कुल स्वाभाविक है। किन्तु इससे होगा कि केन्द्र अनावश्यक दायित्व अपने ऊपर ले लेगा, जिससे वह बहुत बोझिल हो जायेगा और उसकी शासन-व्यवस्था बड़ी जटिल हो जायेगी तथा प्रशासन सम्बन्धी विस्तार की बातों में वह दखल देने लगेगा, जो प्रान्तों के देखने की चीज हैं। आखिर प्रान्तों को यह अधिकार तो होना ही चाहिए कि वह अपने कामों की देखभाल करें और इस सिलसिले में अगर भूल करते हैं, तो अनुभव से शिक्षा ग्रहण करें। लोकतंत्रीय अवस्था का विकास इसी तरह होता है। लोकतंत्र की शिक्षा तो अनुभव से हम ही ग्रहण कर सकते हैं, उनको लोकतंत्र की शिक्षा देने का तरीका यह नहीं है कि अभिभावक बनकर केन्द्र उन विषयों को भी अपने क्षेत्राधिकार में कर ले जिन पर प्रान्तों को क्षेत्राधिकार प्राप्त होना चाहिये। सच तो यह है कि इस सम्बन्ध में अपना यह संविधान, जिसका कि हम यहां निर्माण कर रहे हैं, अंग्रेज़ी हुकूमत से भी आगे बढ़ जाता है और सभी बातों को केन्द्राधीन कर देना चाहता है।

इन शब्दों को रखने से जो खतरे आ सकते हैं, उनको में यहां बता देना चाहता हूं। जहां तक कि दिल्ली विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है, हमें यह मान लेना चाहिए कि इस पर केन्द्र को कुछ न कुछ क्षेत्राधिकार प्राप्त रहना चाहिए। पर इस पर तो केन्द्र को पहले से ही क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह विश्वविद्यालय ऐसे क्षेत्र में अवस्थित है, जो केन्द्र प्रशासित क्षेत्र है। इसलिए यह क्षेत्र जब केन्द्र के प्रशासनाधीन है, तो दिली विश्वविद्यालय अवश्य ही केन्द्र के क्षेत्राधिकार में बना रहेगा। पर हम तो उस दिन के आने की अभिलाषा कर रहे हैं, जब दिल्ली विश्वविद्यालय या दिल्ली का सारा प्रदेश ही किसी निगम या प्राधिकारी को सौंप दिया जायेगा। अगर दिल्ली का एक अलग प्रान्त बनाना है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय का भार इस नवनिर्मित प्रान्त पर रहेगा, न कि केन्द्र पर।

फिर संशोधन में यह कहा गया है कि-"संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित अन्य कोई संस्था" 'अन्य कोई संस्था' से तो ऐसी भी कोई संस्था अभिप्रेत मानी जा सकती जो शिक्षा-संस्था न हो। अगर हम यह भी मान लेते हैं। कि इस पदसंहति से केवल शिक्षा-सस्थाएं ही अभिप्रेत हैं, तो भी इससे संघ के क्षेत्राधिकार में अनावश्यक विस्तार हो जाता है और प्रान्तों के क्षेत्राधिकार का न्यूनन हो जाता है। अवश्य ही इस प्रवृत्ति को रोकना होगा। आखिर संविधान का मसौदा तैयार रहने के पहिले सभा ने इस मसले पर गम्भीरता पूर्वक विचार करके ही मूल प्रविष्टि रखने का फैसला किया था। अलग-अलग विषयों के सम्बन्ध में अलग-अलग प्रस्ताव

[श्री नज़ीरुद्दीन अहमद]

रखे गये थे, जिन पर खूब सावधानी के साथ विचार करने के बाद ही उन प्रस्तावों के अनुसार मसौदा तैयार किया गया था। इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में हमने जो निर्णय किया था, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। पर यहां हो यह रहा है कि उन निर्णयों की अकारण सर्वथा अवहेलना की जा रही है या उनको धोखा दिया जा रहा है। सभा को यह भी नहीं बताया जा रहा कि पूर्व स्वीकृत प्रस्तावों का, अमुक मात्रा तक और अमुक बात के सम्बन्ध में, उल्लंघन किया जा रहा है। एक मसले के बारे में हमने देखा है कि सरदार पटेल का यह ख्याल था और उनका यह ख्याल बिल्कुल ठीक था कि पूर्वस्वीकृत एक निर्णय को हमें बदलना होगा। सरदार पटेल एक दृढ़ एवं शक्तिशाली व्यक्ति हैं, सुतरां सभा के सामने इस बात को रख देना आपने जरूरी समझा। आपने अपनी सारी बातें सभा के सामने खोलकर रख दीं और पूर्वनिर्णय में नियमानुसार परिवर्तन करा लिया। सभा ने खुशी से उनकी बात मान ली। पर जहां तक इन संशोधनों का सम्बन्ध हैं, इनके द्वारा तो सभा के पूर्वनिर्णयों में आमूल परिवर्तन कर दिया जा रहा है, जिनको सभा ने खूब सोच विचार के बाद ही स्वीकार किया था। इन पूर्व-निर्णयों पर सभा ने जो विचार किया था, उसका पूरा विवरण कार्यवाही की रिपोर्ट में दर्ज हो चुका है। बिना पर्याप्त कारण बताये और सभा को विचार का पूरा मौका दिये बिना ही अब इन निर्णयों में परिवर्तन किया जा रहा है। यह प्रवृति बहुत बुरी है और मैं इसका विरोध करता हूं। मैं पहले भी इसकी ओर सभा का ध्यान आकृष्ट कर चुका हूं। इस प्रवृत्ति का क्या प्रभाव होगा इस पर आशा है, सभा सावधानी के साथ विचार करेगी। आशा है वह इस पर भी विचार करेगी कि इस संशोधन से केन्द्र के दायित्वों का भार कितना बढ़ जाता है। मेरा यह विश्वास है कि केन्द्रीय शासन का शत्रु ही उस पर अपयश लाने के लिये ऐसी व्यवस्था का सुझाव देगा, जिसका सुझाव यहां दिया जा रहा है। किसी भी भावी केन्द्रीय शासन को भारान्वित करने और उसे अप्रिय बनाने के लिये यही सर्वोत्तम और प्रभावकारी उपाय है, जिसका यहां अवलम्बन किया जा रहा है। मेरा ख्याल तो यह है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं, जिसे हमारे शत्रु ही करना चाहेंगे। इस प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। मसौदा समिति या उसके पिट्ठू उतना ही अधिक सर्वभक्षी बनते जायेंगे जितना कि आप उनको देते जायेंगे।

***सरदार हुकम सिंहः** मैं अपना संशोधन नहीं पेश करूंगा, क्योंकि उसकी बात इस प्रस्तावित संशोधन में आ जाती है।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं, श्रीमानः—

"कि संशोधन-सूची के संशोधन नं. 3529 में, सूची 1 की प्रस्तावित प्रविष्टि 40 के स्थान पर यह प्रविष्टि रखी जाये—

'40 शिक्षा।' "

मैं अपना दूसरा संशोधन भी पेश कर दूं, श्रीमान?

***अध्यक्षः** पेश कीजिए।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** मेरा यह प्रस्ताव है, श्रीमानः—

"कि संशोधन सूची के संशोधन नं. 3529 में, सूची 1 की प्रस्तावित प्रविष्टि 40 के स्थान पर यह प्रविष्टि रखी जायेः—

'40. All the Universities, advanced scientific research institutes and public and private educational and cultural organisations in the Indian Union shall be subject to the supervision, superintendence, direction and control of the Union Government.' "

[भारतीय संघ के सभी विश्वविद्यालय, समुन्नत वैज्ञानिक-अनुसंधान संस्थाएं तथा सरकारी और गैर-सरकारी शैक्षणिक और सांस्कृतिक संगठन, संघ-शासन के निरीक्षण, अधीक्षण, निर्देशन, और आयंत्रण के अधीन होंगे।]

इस विषय को मैं गम्भीर राष्ट्रीय महत्व का विषय मानता हूं। एक मात्र उपाय, जिससे भारतवर्ष शीघ्र समुन्नति कर सकता है और राष्ट्रसभा में समाहत स्थान प्राप्त कर सकता है, वह यह है कि वह अपने अशिक्षित नागरिकों की शिक्षा की व्यवस्था कर दे। किसी भी शासन व्यवस्था की नींव तब तक सुरक्षित नहीं समझी जा सकती है, जब तक कि राष्ट्रजन शिक्षित न हों। संसदात्मक शासन व्यवस्था के लिए तो यह विशेष रूप से आवश्यक है कि जनता शिक्षित हो। जब तक जनता शिक्षित न होगी, संसदात्मक लोकतंत्रीय व्यवस्था चल ही नहीं सकती है। यहां जो यह खतरा बताया जा रहा है कि केन्द्रीय शासन के हाथ में अधिक अधिकार रहने से प्रशासन की सारी व्यवस्था टूट जायेगी, वह एक दिखावटी खतरा है। अभी हाल तक भारत का शासन एकात्मक व्यवस्था के अधीन केन्द्र द्वारा ही होता रहा है और अंग्रेजों ने बड़े ही वैज्ञानिक ढंग पर खूब सुदक्षता के साथ यहां शासन चलाया है। कोई कारण नहीं है कि एकात्मक शासन व्यवस्था के स्थान पर अब संघात्मक शासन व्यवस्था चालू की जाये। अस्तु, इस समय मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। संशोधन रखने में मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है—शिक्षा का विषय केन्द्रीय सूची में रखा जाये। प्रान्तों के आर्थिक एवं वैत्तिक साधनों के अनुपात से ही उनको अधिकार मिलने चाहिये। जो अधिकार आप प्रान्तीय शासनों को दे रहे हैं, उन पर अमल करने के लिये उन्हें कितना व्यय वहन करना पड़ेगा, इसका आपने अनुमान नहीं लगाया है। मैं तो यह अच्छी तरह समझ रहा हूं कि जो अधिकार उनको दिये जा रहे हैं, उसके दशमांश को कार्यान्वित करने के लिये भी वह सक्षम नहीं हैं। उनके पास इतना अर्थ नहीं है कि वह उनको कार्यान्वित कर सकें।

[श्री ब्रजेश्वर प्रसाद]

इस विषय पर मैं लम्बी वस्तृता नहीं देना चाहता हूं, श्रीमान। पर अपनी बात खत्म करने से पहले मैं एक बात के लिए अवश्य आग्रह करूंगा। विभिन्न प्रान्तों में एक ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग है, जो भाषा की दृष्टि से वहां अल्पसंख्यक है। उसकी भाषा प्रान्त की भाषा से भिन्न है। प्रान्तों के पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि वह अपने उन नागरिकों को, जो वहां चिरकाल से वास करते आये हैं, शिक्षा दे सके। फिर अन्य प्रदेशों से आकर जो भिन्न भाषाभाषी समुदाय वहां बस गया है, उसको उसकी मातृभाषा में शिक्षा दिलाने की व्यवस्था भला प्रान्त कैसे कर सकते हैं? उनको यह काम सौंपना, उन पर एक ऐसा भार लादना है, जिसका वहन करना उनके लिए सर्वथा असम्भव है। इसलिए मेरा यह दृढ़ मत है कि एकरूपता के ख्याल से तथा उस ख्याल से भी कि शिक्षा का यहां यथाशीघ्र प्रसार हो सके, ठीक यही होगा कि यह विषय केन्द्र के अधीन रखा जाये।

***श्री एच.वी. कामतः** अध्यक्ष महोदय, आपने डॉ. अम्बेडकर को 'university' शब्द के स्थान पर 'institution' शब्द रखने की अनुमति देने की कृपा की है। क्या मैं यह आशा करूं कि ऐसी की कृपा आगे से मुझे भी मिल जायेगी?

***अध्यक्षः** अवश्य।

***श्री एच.वी. कामतः** मैं यह प्रस्ताव रखता हूं, श्रीमानः—

"कि संशोधन सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन नम्बर 15 में, सूची 1 की प्रस्तावित प्रविष्टि 40 में, 'any other institution declared by Parliament by law to be an institution of national importance' (संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित अन्य कोई संस्था) शब्द हटा दिये जायें।"

मैं अपना संशोधन नं. 191 को भी इसी समय पेश कर देना चाहता हूं, जैसा कि डॉ. अम्बेडकर ने दिया है। उन्होंने प्रविष्टि 40-क को 40 के साथ उपस्थित किया है।

***अध्यक्षः** हां, उसे भी आप अभी पेश कर सकते हैं।

***श्री एच.वी. कामतः** मेरा यह प्रस्ताव हैः—

"कि संशोधन सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन नं. 191 में, सूची 1 की प्रस्तावित नई प्रविष्टि 40-क में 'education' शब्द के आगे 'research' शब्द जोड़ दिया जाये।"

पहले मैं अपने प्रथम संशोधन को लेता हूं। संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित संस्थाओं के बारे में—दिल्ली विश्वविद्यालय का मैं जिक्र नहीं कर रहा

हूं, केवल उनके संशोधन के दूसरे अंश की चर्चा कर रहा हूं—जो संशोधन डॉ. अम्बेडकर ने पेश किया है, उसको स्वीकार करना, मैं यह महसूस करता हूं कि बड़ा घातक होगा। आशा करता हूं कि सभा इस पर सावधानी के साथ विचार करेगी कि किसी भी संस्था को, जिसे संसद विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, केन्द्रीय क्षेत्राधिकार में लाने के लिए क्या एक ऐसे व्यापक प्रावधान का पास करना जरूरी ही है, सभा को मालूम होना चाहिए कि अभी अभी हमने 39 नं. की जो प्रविष्टि पास की है, उसके द्वारा केन्द्र को किसी भी ऐसी संस्था के बारे में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, जो पूर्णत: या अंशत: भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है और जिसे संसद ने विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया है। किन्तु यह प्रविष्टि तो इससे भी आगे बढ़ जाती है और संघ को ऐसी भी किसी संस्था के सम्बन्ध में विधि निर्माण का अधिकार दे देती है, जो भारत सरकार द्वारा पूर्णत: या अंशत: वित्त पोषित हो या चाहे सर्वथा वित्तपोषित ही न हों। देश की ऐसी कई संस्थायें मुझे याद आ रही हैं जो बिना किसी सरकारी साहाय्य के सर्वथा जनता द्वारा सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं और स्तुत्य काम कर रही हैं। डॉ. अम्बेडकर के इस संशोधन से तो यही व्यक्त होता है कि मसौदा समिति की सर्वग्राही मनोवृत्ति उग्र से उग्रतर होती जा रही है। यदि सभा उसके इस प्रावधान को स्वीकार कर लेती है, इस संशोधन को मान लेती है, तो मुझे विश्वास है कि वह दिन दूर नहीं हैं, जब संघ-शासन की यह सर्वग्रासी मनोवृत्ति विकराल रूप धारण कर लेगी और संघ ऐसे क्षेत्रों में भी प्रवेश करने का प्रयास करने लगेगा, जहां शायद देव लोग भी पांव रखने में हिचकेंगे। जिस स्थिति के आने की मैं यहां आशंका प्रकट कर रहा हूं, उसका आना न केवल सम्भव ही है, बल्कि बहुत सम्भव है और मैं नहीं चाहता कि देश में ऐसी स्थिति आये।

इस प्रविष्टि में जिन दो विश्वविद्यालयों का उल्लेख किया गया है—काशी हिन्दू विश्वविद्यालय तथा अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय—इनमें दोनों ही चूंकि राष्ट्रीय महत्व के हैं इसलिए, या इसलिए कि इनके नामों में साम्प्रदायिकता की छाप लगी है, केन्द्र इन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में रख सकता है, ताकि लोगों को यह मालूम हो कि भारत सरकार सर्वथा पक्षपात शून्य है और साम्प्रदायिकता से ऊपर है। जहां तक दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रश्न है, चूंकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है कि दिल्ली की सांविधानिक स्थिति क्या होगी, शायद उसे भी केन्द्राधीन रखना वांछनीय होगा, पर यहां अनिश्चयात्मक रूप में यह कह देना कि अन्य किसी संस्था को भी संघ-शासन अपने क्षेत्राधिकार में कर सकता है, मेरी समझ से तो ठीक नहीं होगा। इस सम्बन्ध में व्याह्यत्तिमूलक यह प्रावधान जरूर रखा गया है कि केन्द्रीय शासन केवल उन्हीं संस्थाओं को अपने अधिकाराधीन कर सकता है, जिनको संसद विधि द्वारा यह राष्ट्रीय महत्व का घोषित करे।

[श्री एच.वी. कामत]

किन्तु बात यह है, श्रीमान, आधुनिक युग की संसदें कार्यपालिका के हाथ की कठपुतली बन गई है और कार्यपालिका उनसे जो भी चाहती हैं, पास करवा लेती हैं। यदि शासन के दिमाग में ऐसा आ गया कि अमुक संस्था को अपने प्रशासनाधीन कर लेना चाहिए, तो वह, वह संस्था चाहे शासन द्वारा सर्वथा वित्तपोषित न हो, वह संसद को संकेत दे सकती है और फिर कार्यपालिका के आदेशानुसार संसद उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। फिर उस संस्था को अपने अधिकाराधीन कर केन्द्रीय शासन जैसे चाहे उसका प्रशासन कर सकता है। मेरे मस्तिष्क में ऐसी कुछ योग सम्बन्धी संस्थाएं हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा कि बम्बई में 'कैवल्यधाम' नाम की प्रसिद्ध योगिक संस्था है। हो सकता है, भविष्य में आने वाले किसी शासन को इस संस्था में ही खराबी दिखाई देने लगे और वह इसे अपने अधिकाराधीन कर ले। आज का शासन तो इस संस्था के प्रति पर्याप्त सद्भाव रखता है, पर इस बात का तो कोई भरोसा नहीं है, कि वर्तमान शासन चिरकाल तक बना रहेगा। मान लीजिए, कल एक ऐसा शासन अधिकारारूढ़ हो जाता है, जो प्राचीन संस्कृति का, विशेषत: योग तथा अध्यातम सम्बन्धी बातों के विरुद्ध है। हो सकता है, संसद उसे आज्ञानुवर्तिनी मिल जाये, जिससे इस संस्था को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कराकर शासन इसे अपने अधिकाराधीन कर ले और अन्ततोगत्वा इसे कुचल दे। सभा को मालूम होगा कि हिटलर ने जर्मनी का प्रधान बनते ही प्राकृतिक संस्कृति की शिक्षा देने वाली कई संस्थाओं को बन्द करवा दिया था, क्योंकि...

*__डॉ. पी.एस. देशमुख:__ हिटलर ने किसी विधायिनी सूची पर अमल करके ऐसा नहीं किया गया था।

*__श्री एच.वी. कामत:__ हमारे यहां तो लोकतंत्र का आवरण मात्र है, जो और भी बुरी बात है। हिटलर को सम्भवत: अपने खुफिया विभाग द्वारा इस बात की जानकारी हुई थी कि प्राकृतिक संस्कृति की शिक्षा देने वाली संस्थाओं में ऐसे लोग समवेत हुआ करते थे, जो राज्य के लिए अवांछनीय थे और उन संस्थाओं में समवेत होकर वे लोग राज्य के विरुद्ध षडयंत्र की योजना तैयार किया करते थे। सुतरां हिटलर ने इन संस्थाओं को बन्द कर दिया। यही काम हम यहां एक दूसरे तरीके से कर रहे हैं, जो हिटलर के तरीके से भी बुरा है। हिटलर के तरीके के पक्ष में यह तो कहा जा सकता है कि वह एक सीधा तरीका था, जिससे किसी को धोखा नहीं हो सकता था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप यह तरीका अपना रहे हैं, पर वैधानिकता और औचित्य का जामा पहना रहे हैं।

*__अध्यक्ष:__ मैं नहीं समझता कि इस मसले पर और अधिक वाद-विवाद की आवश्यकता है।

*श्री एच.वी. कामतः अपनी बात मैं एक मिनट में कह दूंगा। आपके निर्णय को मैं शिरोधार्य करता हूं। केवल दो मिनट की अनुमति आपसे चाहता हूं। पर अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, तो आपकी मरजी पर हूं, आपका आदेश शिरोधार्य करूंगा।

जैसा कि मैंने कहा है, इस प्रविष्टि को रखने से एक तो यह संस्थाएं, जो भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषित हैं, केन्द्राधीन कर ली जा सकती है और दूसरे वह संस्थाएं भी केन्द्राधीन कर ली जा सकती हैं, जिनके अस्तित्व को शासन अपने हित के प्रतिकूल समझता हो। मेरा ख्याल यह है कि प्रविष्टि 39 से, जिसे कि हम पास कर चुके हैं, हमारा यह मतलब पूरा हो जाता है और उसके अधीन किसी भी संस्था को, जो भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषित हो, केन्द्राधीन किया जा सकता है। अन्य संस्थाओं को, जो भारत सरकार द्वारा किसी भी मात्रा में वित्तपोषित नहीं है, उन्हें आप केन्द्राधीन न कीजिए और स्वतन्त्रता दीजिये कि वह इस रूप में अपना काम करती रहें, जो राष्ट्रहित के प्रतिकूल न हो।

मुझे एक ही और बात कहनी है, श्रीमान, जो विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में है। अनुसूची की सूची 2 में जो 18वीं प्रविष्टि रखी गई है, उसमें यह कहा गया है:—"शिक्षा, जिसमें सूची 1 की प्रविष्टि 40 में उल्लिखित विश्वविद्यालयों को छोड़कर अन्य विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं"। अब जो नया मसौदा सभा के समक्ष रखा जायेगा, उसमें इस प्रविष्टि में परिवर्तन जरूर हुआ करेगा, फिर भी मैं यह महसूस करता हूं कि इस विषय के सम्बन्ध में संघ ने अपने हाथ में इतनी शक्ति ले रखी है, जो आवश्यकता से अधिक है और वांछनीय मात्रा से अधिक है। निजी तौर पर मेरा मत यह है कि वही विश्वविद्यालय सर्वोत्तम विश्वविद्यालय है, जिसमें शासन का कम से कम हस्तक्षेप हो, किन्तु आधुनिक युग में शिक्षा का विषय—इसमें उच्च शिक्षा भी शामिल है—शासनाधीन होता है, इसलिए शासन का हस्तक्षेप इसमें होता ही है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का विनियमन शासन द्वारा हो, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु विश्वविद्यालय तो वस्तुतः ऐसी संस्थायें हैं, जो विद्या प्रदान करने का एक केन्द्र है। विश्वविद्यालय शासन के हस्तक्षेप से अगर सर्वथा मुक्त नहीं रह सकते हैं, तो इतना जरूर होना चाहिये कि शासन का कम से कम हस्तक्षेप उनके कामों में हो। आजकल न केवल प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को ही शासन के नियमों से सर्वथा बंधकर चलना पड़ता है, बल्कि उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं यानी विश्वविद्यालयों पर भी शासन का अंकुश बना रहता है। पर इन संस्थाओं की स्वतन्त्रता पर अंकुश लगाना और इन्हें शासनाधीन रखना ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में रोड़े अटकाना है, ज्ञान पर ही अंकुश लगाना है। गीता में ज्ञान की महिमा इन शब्दों में व्यक्त की गई है—"न यह

[श्री एच.वी. कामत]

ज्ञानने सद्यशय पवित्रमिह विद्यते"। यानी ज्ञान के समान पवित्र वस्तु दुनिया में और कोई नहीं है।

पर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं को हर बात के लिये शासनाधीन रखकर ज्ञान की पवित्रता को दूषित करने का, उसकी मर्यादा को नष्ट करने का वहां प्रयास किया जा रहा है। मैं तो यही आशा करता हूं, श्रीमान, कि जहां तक विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, इन तीन विश्वविद्यालयों के सिवाय, जिनका वहां उल्लेख किया गया है, अन्य सभी विश्वविद्यालयों के विनियमन का काम भी प्रादेशिक सरकारों के हाथ में ज्यादा न दिया जायेगा। पर प्रस्तुत प्रविष्टि में जो प्रावधान रखा जा रहा है, वह बड़ा ही व्यापक प्रावधान है, क्योंकि इसके अनुसार तो अन्य कोई भी संस्था केन्द्राधीन की जा सकती है। इस प्रावधान को मैं बड़ा घात्मक समझता हूं और आशा करता हूं कि सभा इसे न स्वीकार करेगी। आशा है, सभा प्रविष्टि के केवल इस अंश को ही स्वीकार करेगी, जिसमें काशी, अलीगढ़ तथा दिल्ली के विश्वविद्यालयों का उल्लेख है ओर शेष भाग को अस्वीकार कर देगी। मुझे इस बात की भी आशा है कि अनति दूर भविष्य में ही काशी तथा अलीगढ़ के विश्वविद्यालयों के नाम के साथ जो साम्प्रदायिक पुछल्ला लगा हुआ है, वह जाता रहेगा।

जहां तक कि मेरे दूसरे संशोधन का यानी संशोधन नं. 191 का सम्बन्ध है, मुझे मालूम नहीं है कि सूची में कहीं इस तरह के अनुसंधान के लिए प्रावधान रखा गया है या नहीं। अनुसंधान के लिए प्रावधान जरूर रखा गया है, पर वैज्ञानिक तथा टैकनिकल अनुसंधान के लिए प्रावधान रखा गया है या नहीं। यह मैं निश्चित रूप से नहीं जानता। यदि इसके लिये प्रावधान है, तो अपना संशोधन मैं वापिस ले लूंगा। पर अगर इसके लिये कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, तो मैं यह जरूर चाहूंगा कि प्रविष्टि 40-क में यह प्रावधान भी सम्मिलित कर दिया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं अपने 188 और 191 नं. के संशोधनों को पेश करता हूं और सभा से उनको स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं।

*अध्यक्षः डॉ. देशमुख, आप अपना संशोधन उपस्थित करना चाहते हैं?

*डॉ. पी.एस. देशमुखः हां, श्रीमान।

मैं यह प्रस्ताव रखता हूं:—

"कि संशोधन-सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन नं. 15 में सूची 1 की प्रस्तावित प्रविष्टि 40-क में, 'any other University' (अन्य कोई विश्वविद्यालय)

शब्दों के आगे 'academy or institution' (विद्यापीठ या संस्था) शब्द रखे जायें।"

और इस संशोधन के परिणामस्वरूप अपना संशोधन नं. 190 भी पेश करना चाहूंगा, जो यों है:—

"कि संशोधन-सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन नं. 19 को हटा दिया।"

इन संशोधनों को मैं क्यों पेश कर रहा हूं, इसका कारण बिलकुल सरल सा है। मुझे खुशी है कि डॉ. अम्बेडकर की निजी राय यही थी कि 'University' शब्द के स्थान पर यहां 'institution' शब्द रखा जाना चाहिए। पर जिस संशोधन को मैंने प्रस्तावित किया है, उसमें 'university' शब्द को रखने की और उसके आगे 'academy or institution' शब्दों को जोड़ने की बात की गई है। अगर ये दोनों शब्द यहां जोड़ दिये जाते हैं, तो फिर प्रविष्टि में यह बताने की जरूरत नहीं रह जायेगी कि किस तरह की संस्थाएं संघ के क्षेत्राधिकार में आयेंगी और उस सूरत में आप इस लम्बी तथा अनावश्यक प्रविष्टि 40-क को भी हटा सकते हैं। संस्था (institution) शब्द के अन्दर वैज्ञानिक संस्थाएं, टेकनिकल संस्थायें तथा अनुसंधान सम्बन्धी संस्थायें ये सभी शामिल की जा सकती हैं। उस सूरत में संस्थाओं का विशेष रूप से वर्णन करने की और विस्तार की बातों को रखने की जरूरत न रह जायेगी और न यही कहने की आवश्यकता रह जायेगी कि संस्थायें भारत सराकर द्वारा पूर्णत: या अंशत: वित्तपोषित हों। मेरे सुझाये गये शब्दों को रखने से प्रविष्टि सम्यक रूप से व्यापक बन जायेगी और हमारा जो भी उद्देश्य है, वह उससे पूरा हो जायेगा। 'यूनिवर्सिटी' शब्द का रहना भी यहां आवश्यक है। आपने ख्याल किया होगा, श्रीमान, कि आज ही सबेरे डॉ. जयकर ने यह सुझाव रखा था कि विश्वविद्यालयों की शिक्षण-व्यवस्था को केन्द्र को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। हमें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। यदि राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय या विद्यापीठ हैं, तो उनके लिए यह व्यवस्था होनी चाहिए कि संघीय-शासन उनको अपने हाथ में ले सके।

माननीय मित्र श्री नज़ीरुद्दीन अहमद तथा श्री कामत इस प्रविष्टि के अभिप्राय से बहुत आगे चले गये हैं और इन्होंने इसके निर्माताओं की नीयत पर ऐसे संदेह किये हैं, जो सर्वथा निराधार हैं। श्री कामत को इसमें एक दुरभिसन्धि की गन्ध मिल रही है, जबकि तथ्य यह है कि यहां ऐसी कोई बात नहीं है। इस प्रविष्टि से कार्यपालिका को कोई शक्ति नहीं मिलती है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य यह हुआ है इस बात का कि इन लोगों को भावी संसद पर भी विश्वास नहीं है। हमें इस प्रविष्टि को लेकर कोई आशंका नहीं करनी चाहिए। इस अनुसूची में सभी प्रविष्टियां इसी उद्देश्य से रखी गई हैं कि उनमें वर्णित विषयों के सम्बन्ध में सारा अधिकार संसद को प्राप्त रहे और इस आशंका का कोई कारण नहीं है, कोई औचित्य नहीं है कि कार्यपालिका संस्थाओं को अपने हाथ में कर लेगी। केन्द्रीय शासन को

[डॉ. पी.एस. देशमुख]

तो इस बात की फिक्र न होगी कि वह इन संस्थाओं को अपने अधीन कर ले। बल्कि खुद संस्थायें ही इसके लिए फिक्रमन्द रहेंगी कि केन्द्र उनको अपने हाथ में ले। यह सारी आशंकायें, जो मित्रों ने यहां व्यक्त की हैं, यह सर्वथा निराधार हैं और उनकी चर्चा करना सर्वथा अप्रासंगिक है।

मेरे संशोधन से स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है और अगर माननीय डॉ. अम्बेडकर कृपया मेरी बातों पर जरा ध्यान दें, तो मुझे विश्वास है कि वह इस बात से सहमत हो जायेंगे कि मेरे संशोधन को मान लेने से अन्य और प्रविष्टि रखने की जरूरत न रह जायेगी और न भिन्न-भिन्न तरह की संस्थाओं के उल्लेख की जरूरत रह जायेगी। इसके प्रतिकूल अगर प्रविष्टि 40-क की सभी संस्थाओं को आप यहां रखते भी हैं, तो उसके अन्तर्गत कला सम्बन्धी संस्थाएं नहीं शामिल की जा सकती हैं। यहां आप वैज्ञानिक तथा टेकनिकल संस्थाओं का उल्लेख कर रहे हैं, पर कला सम्बन्धी संस्थायें इनसे बिल्कुल भिन्न हैं और वह संस्थायें इसके अन्दर नहीं आ सकती हैं। इसलिये अगर आप मेरे सुझाये इन तीन शब्दों को रख लेते हैं, तो इससे प्रविष्टि पर्याप्त रूप से व्यापक हो जायेगी और आपका सम्पूर्ण प्रयोजन और अच्छी तरह सिद्ध हो जायेगा। आशा है, माननीय डॉ. अम्बेडकर कम से कम एक बार तो तर्क संगत प्रवृत्ति अपनायेंगे और इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

*__अध्यक्ष:__ श्री नज़ीरुद्दीन अहमद के दो संशोधन हैं।

*__श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:__ मैं उनको नहीं पेश कर रहा हूं, श्रीमान।

*__अध्यक्ष:__ तो अब और कोई संशोधन नहीं रह गया।

*__प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:__ मैं बोलना चाहता हूं। मुझे इसका विरोध करना है।

*__अध्यक्ष:__ अच्छी बात है। पर तीन मिनट से ज्यादा समय न लीजियेगा।

*__प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:__ प्रविष्टि जिस रूप में रखी गई है, उसका प्रयोजन ही यह है कि इन विश्वविद्यालयों पर, जिनका यहां उल्लेख है, केन्द्रीय नियंत्रण रहे किन्तु मैं यह महसूस करता हूं, श्रीमान, कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा का जो विषय है, वह केन्द्रीय सूची में रहना चाहिये। इस महत्वपूर्ण विषय पर देश भर में पर्याप्त रूप से वाद-विवाद और विचार किया जा चुका है। देश के इण्टर यूनिवर्सिटी बोर्ड नामक निकाय भी इस पर अच्छी तरह विचार किया है और वह भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा को केन्द्रीय सूची में रखना चाहिए। इसलिए मैं यह समझता हूं कि हमें यहां केवल इन्हीं तीन विश्वविद्यालयों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। वस्तुत: इस मन्तव्य का कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा का विषय संघ-सूची में रहना चाहिए, समर्थन देश के बहुसंख्यक लोग कर रहे हैं। तथ्य तो यह है कि विश्वविद्यालयों से आये बहुसंख्यक प्रतिनिधि भी इसी मन्तव्य के पक्ष में हैं।

वर्तमान समय में विश्वविद्यालयों को प्रान्तीय सूची में रखा गया है और उन पर प्रान्तीय शासकों का नियंत्रण है। अगर विश्वविद्यालयों के बीच एकसूत्रता स्थापित हो जाये और अलग-अलग विद्यालय अलग-अलग विषयों की शिक्षा में विशेषता प्राप्त कर लें, तो इससे शिक्षा तथा अनुसंधान के काम में बहुत प्रगति हो जायेगी। और खर्च में भी बड़ी किफायत हो जायेगी। मैं जानता हूं कि आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के विश्वविद्यालयों में, यह है कि खास-खास कालेज खास-खास विषयों की ही विशेष शिक्षा देते हैं। इसलिये अगर यहां भी सही विश्वविद्यालय केन्द्राधीन पर दिये जायें, तो समुचे देश में एक सुव्यवस्थित योजना के आधार पर शिक्षा का काम होने लगेगा। आजकल विश्वविद्यालयों में शिक्षा के काम में बड़ा दोहरा काम हो रहा है, जिससे राष्ट्र के धन और समय की बर्बादी हो रही है। इस विषय को केन्द्राधीन कर देने से यह फायदा होगा कि विश्वविद्यालयों के बीच एकसूत्रता स्थापित हो जायेगी और उनका नियंत्रण और अच्छी तरह होने लगेगा, जिससे राष्ट्र के एकीकरण को बड़ी सहायता मिल सकेगी।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** अध्यक्ष महोदय, मैं यह देखता हूं कि माननीय मित्र श्री नज़ीरुद्दीन अहमद तथा डॉ. देशमुख यहां परस्पर विरोधी सुझाव रख रहे हैं। एक साहब यह चाहते है कि 'academy' शब्द को जोड़कर इस प्रविष्टि की परिधि को और व्यापक बना दिया जाये। दूसरे साहब यह चाहते हैं कि "दिल्ली विश्वविद्यालय तथा संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित अन्य कोई संस्था" शब्दों को हटाकर प्रविष्टि की परिधि को सीमित कर दिया जाये।

जहां तक कि डॉ. देशमुख के संशोधन का संबंध है, 'academy' शब्द को जोड़ना मुझे सर्वथा अनावश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि यहां जो 'institution' (संस्था) शब्द रखा गया है, वह इतना व्यापक है कि उसके अन्दर विश्वविद्यालय और 'academy' (विद्यापीठ) दोनों ही आ जाते हैं। इसलिए उस शब्द को यहां जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।

माननीय मित्र श्री नज़ीरुद्दीन अहमद के संशोधन के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि "दिल्ली विश्वविद्यालय" शब्दों को यहां रखने से वर्तमान स्थिति में कोई अन्तर नहीं आता है। जैसा कि उन्होंने खुद कहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय तो पहिले से ही केन्द्रीय विधान-मण्डल के अधिकार-क्षेत्र में है क्योंकि यह विश्वविद्यालय दिल्ली के प्रान्त में अवस्थित है, जो एक कमिश्नर के अधीन है और जिसके बारे में विधिनिर्माण का अधिकार है केन्द्रीय विधान-मण्डल को। इसलिए "दिल्ली विश्वविद्यालय" शब्दों को रखने से वर्तमान व्यवस्था से कोई अन्य नहीं आता है। "संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित अन्य कोई संस्था" शब्दों को रखना मेरी समझ से वांछनीय है, क्योंकि और बहुत ऐसी संस्थाएं भी हो सकती हैं, जो संस्कृति तथा राष्ट्रीयता की दृष्टि से सार्वदेशिक महत्व रखती हों, पर उनकी आर्थिक स्थिति और संस्थाओं की तरह सुदृढ़ न हो और उनके लिए केन्द्रीय सहायता पाना अपेक्षित हो। इस स्थिति को देखते हुए मेरी समझ से प्रविष्टि के दूसरे अंश का

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

रखना भी आवश्यक है। इसलिए मैं उनके संशोधन को मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

अब मैं माननीय मित्र श्री कामत के संशोधन को लेता हूं, जिसमें उन्होंने "research institution" (अनुसंधान संस्था) शब्दों के जोड़ने का सुझाव दिया है। अनुसंधान संस्थाओं से सम्बन्ध रखने वाली प्रविष्टि 57-क पर जो संशोधन मैंने भेजा है, उसे वह भूल गये हैं या शायद उसकी ओर उनका ध्यान ही नहीं जा पाया है। अवश्य ही उस प्रविष्टि में केवल एकसूत्रता तथा मान निर्धारण की ही बात कही गई है। शायद श्री कामत का मतलब यहां उन अभिकरणों से है, जो प्रान्तीय शासनों द्वारा स्थापित किये गये हैं और आप उनके सम्बन्ध में यह वांछनीय समझ रहे हैं कि उनको केन्द्राधीन कर दिया जाये। पर मेरा ख्याल है कि हर तरह की संस्थाओं को केन्द्राधीन करके केन्द्र को बोझिल बनाने की जरूरत नहीं है। जैसाकि मैंने कहा है, अगर प्रविष्टि 57-क को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाता है, तो हमारे सारे प्रयोजन सिद्ध हो जायेंगे क्योंकि उससे केन्द्र को इस बात का अधिकार मिल जायेगा कि विधि द्वारा वह वैज्ञानिक तथा टैकनिकल संस्थाओं में एकसूत्रता स्थापित कर सकें और उनमें दी जाने वाली उच्च शिक्षाओं का मान निर्धारण कर सके। मेरी समझ से फिलहाल इससे हमारा काम अच्छी तरह चल जायेगा।

***अध्यक्षः** अब मैं संशोधनों पर मत लेता हूं। पहले लिये जाते हैं संशोधन नं. 16 और 17, जो श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के हैं।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** इन दोनों संशोधनों को वापस लेने की मैं अनुमति चाहता हूं।

सभा की अनुमति से दोनों संशोधन वापस लिये गये।

***अध्यक्षः** अब मैं श्री नज़ीरुद्दीन अहमद के संशोधन नं. 162 को लेता हूं। प्रश्न यह है:—

"कि संशोधन सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन नं. 15 में, सूची 1 की प्रस्तावित प्रविष्टि 40 में—

'and the Delhi University and any other University declared by Parliament by law to be an institution of national importance'

(दिल्ली विश्वविद्यालय तथा संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित अन्य कोई सस्था) शब्द हटा दिये जायें।' "

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्षः** अब प्रश्न यह है:

"कि संशोधन सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन नं. 15 में, सूची 1 की प्रस्तावित प्रविष्टि 40 में 'and any other institution declared by Parliament by law to be an institution of national importance' (तथा संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित अन्य कोई संस्था) शब्द हटा दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्षः** अब प्रश्न यह है:

"संशोधन सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन नं. 15 में, सूची 1 की प्रस्तावित प्रविष्टि 40 में 'any other university' शब्दों के बाद 'academy or institution' शब्द रख दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"सूची 1 की प्रविष्टि 40 के स्थान पर यह प्रविष्टि रखी जाये—

'40. The institutions known on the date of commencement of this Constitution as the Benares Hindu University, the Aligarh Muslim University, and the Delhi University and any other institution declared by Parliament by law to be an institution of national importance.' "

[40. इस संविधान की प्रारम्भ तिथि पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय नामों से ज्ञात संस्थाएं तथा संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई अन्य संस्था।]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

प्रविष्टि 40 यथा संशोधित रूप में संघ-सूची में शामिल की गई।

***अध्यक्षः** अब प्रविष्टि 40-क पर मत लिया जायेगा। इस पर श्री कामत का एक संशोधन है—संशोधन नं. 191।

प्रश्न यह है:—

"संशोधन सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन नं. 19 में, सूची 1 की प्रस्तावित प्रविष्टि 40-क में 'education' शब्द के आगे 'and research' शब्द जोड़ दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** अब प्रविष्टि 40-क पर मत लिया जाता है।

प्रस्ताव यह है:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 40 के स्थान पर यह प्रविष्टि रखी जाये—

'40.A. Institutions for scientific or technical education financed by the Government of India wholly or in part and declared by Parliament by law to be institutions of national importance.' "

[40. भारत सरकार द्वारा पूर्णत: या अंशत: वित्तपोषित तथा संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित वैज्ञानिक या शिल्पक शिक्षा संस्थाएं।]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रविष्टि 40-क संघ-सूची में शामिल की गई।

(प्रविष्टि 40-क तथा 40-ख से सम्बन्ध रखने वाला संशोधन नं. 18 तथा संशोधन नं. 3530, 3531 और 3532 पेश नहीं किये गये।)

नई प्रविष्टि 40-ख

***पं. ठाकुरदास भार्गव** (पूर्वी पंजाब: जनरल): इस विषय के बारे में मैं अपने मित्रों से परामर्श करना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता यह हूं कि इसे अभी स्थगित रखा जाये।

प्रविष्टि स्थगित रखी गई।

प्रविष्टि 41

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मेरा यह प्रस्ताव है, श्रीमान:—

"कि सूची एक की प्रविष्टि 41 में 'and Zoological' (तथा प्राणिकीय) शब्दों के स्थान पर 'Zoological and Anthropological' (प्राणिकीय तथा नरतत्वीय) शब्द रखे जायें।"

***श्री एच.वी. कामत:** मैं यह प्रस्ताव रखता हूं, श्रीमान:

"कि संशोधित सूची 1 (षष्ठम सताह के संशोधन नं. 20 के सम्बन्ध में सूची 1 की प्रविष्टि 41 में 'Zoological ' शब्द के स्थान पर 'Zoological Anthropological and Ethnological' शब्द रखे जायें।"

मुझे खुशी है, यह देखकर कि इस प्रविष्टि में सम्पूर्ण नक्षत्र लोक के समस्त जीवधारियों का उल्लेख आ गया है। आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है

कि अचेतक बोलकर दुनिया में कोई चीज नहीं है। हर चीज में जीव है। चाहे प्रत्यक्ष हो, छिपा हुआ हो, पर जीव सबमें विद्यमान है।

***एक सदस्यः** आधुनिक विज्ञान ने यह बात नहीं बतलाई है, बल्कि यह तो एक प्राचीन तथ्य है।

***श्री एच.वी. कामतः** हमारे दर्शन शास्त्र का यह मत है:—

"सर्वं खल्विदं ब्रह्म। नेहनान्यास्ति किंचन।"

आधुनिक विज्ञान का भी यही मत है कि विश्व के पदार्थों में प्राण विद्यमान है। पर कहीं हमें वह दिखाई देता है, कहीं नहीं। "Geological" (भूतत्वीय) से अभिप्रेत है वह पदार्थ, जिन्हें हम साधारण बोलचाल की भाषा में अचेतन पदार्थ कहते हैं। पर इन पदार्थों में भी प्राण वर्तमान हैं पर हम उसे देख नहीं पाते हैं। इसके बाद आते हैं वानस्पतिक पदार्थ यानी पौधे वगैरह, जिनमें जीवन का कुछ-कुछ प्रत्यक्ष आभास मिलने लगता है। इससे कुछ ऊंचा स्तर है प्राणकीय पशुओं का, जिनमें जीवन है और जिनमें अन्तर्जात प्रवृत्ति के सहारे मस्तिष्क या बुद्धि का प्रारम्भिक विकास हो गया है। डॉ. अम्बेडकर 'Zoological' (प्राणकीय तत्व) पद संहति के अन्दर मनुष्य को शायद इसलिए शामिल नहीं करना चाहते हैं कि ऐसा करना माननीय प्रतिष्ठा के लिए अशोभनीय होगा। 'Zoology' यानी जन्तु शास्त्र के अन्दर सारा पशु सम्प्रदाय आ जाता है और मनुष्य को भी एक सामाजिक राजनैतिक और दार्शनिक पशु ही कहा गया है, पर यह जरूर है कि पशु से उसका स्तर बहुत ऊंचा माना गया है। शायद डॉ. अम्बेडकर यह समझते हैं कि मनुष्य को एक अलग श्रेणी में यहां रखना चाहिये। मैं नहीं जानता कि 'anthropology' (नरतत्वीय) के अन्दर 'ethnology' यानी नृवंश विद्या भी शामिल है या नहीं। कई सदस्यों को यह मालूम है कि कई साल पहले अंग्रेजी अमलदारी में इस देश में इस बात की छानबीन की गई थी कि यहां प्रजाति और मूलवंश के हिसाब से कहां कितनी आबादी है। उक्त मापजोख के फलस्वरूप जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं, वह इतिहास विषयक कई पुस्तकों में दिये हुए हैं। मैं नहीं कह सकता कि नरतत्वीय विज्ञान (anthropology) में नृवंशविज्ञान (ethnology) भी आ जाता है या नहीं। मसौदा समिति के विज्ञ सदस्य अगर मुझे इसका विश्वास दिला दें कि नरतत्वीय विज्ञान में नृवंश विज्ञान शामिल है, तो मैं अपने संशोधन के लिए आग्रह नहीं करूंगा। पर नृवंश विद्या भी मानव की एक महत्वपूर्ण शाखा है और अगर इस प्रश्न के बारे में जरा भी संदेह है, तो मैं अपने संशोधन को रखने के लिए जरूर आग्रह करूंगा और उसे स्वीकार करने की सभा से सिफारिश करूंगा।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** 'anthropology' शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है और उसके अन्दर 'ethnology' भी शामिल है।

*__श्री आर.के. सिधवाः__ मैं यह प्रस्ताव रखता हूं, श्रीमानः—

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 41 में 'geological' शब्द को हटा दिया जाये और सूची 3 में एक नई प्रविष्टि के रूप में 'the geological surveys' शब्द रखे जायें।"

'Geological' शब्द को मैं संघ-सूची से इसलिए हटाना चाहता हूं कि केन्द्र ने अतीत में हमेशा इस महत्वपूर्ण विषय की उपेक्षा की है। देश में अगाध खनिज सम्पत्ति भरी पड़ी है और बहुमूल्य खनिज पदार्थ भूगर्भ में यहां छिपे पड़े हैं, किन्तु भारत सरकार ने उनका पता लगाने की कभी कोई तकलीफ नहीं की। यदि भारत सरकार ने अतीत में पर्याप्त संख्या में भूगर्भ वेत्ताओं को नियुक्त करके देश के सभी भागों में भूगर्भ में पड़ी सम्पत्ति की छानबीन कराई होती, तो हमें इतनी खनिज सम्पत्ति मिलती कि वह हमारी खपत के लिए भी काफी होती और बहुत कुछ हम दूसरे देशों को भी भेज सकते थे। हमारा देश और सम्पन्न हो गया होता।

भारत सरकार की यह एक प्रथा बन गई थी कि हर पांचवे साल कुछ भूगर्भवेत्ता विभिन्न प्रान्तों में भेज दिये जाते थे, जो तीन महीने तक वहां छिपे खनिज के सम्बन्ध में छानबीन करते थे और तीन महीने के बाद वापस लौट आते थे। पांच साल के बीतने पर फिर इस रस्म का पालन कर दिया गया था। अगर भूगर्भवेत्ताओं को अपने अनुसंधान के सिलसिले में किसी खनिज पदार्थ का पता भी लग जाता था, तो उन्हें यह नहीं ज्ञात था कि व्यावसायिक दृष्टि से वह खनिज उपयोगी हो सकता है या नहीं। शायद भारत सरकार के पास पर्याप्त संख्या में भूगर्भवेत्ता नहीं थे या शायद यह विभाग दक्षतापूर्वक काम नहीं करता था, जिससे इस काम में उपेक्षा होती रही है। कई प्रान्तीय सरकारों ने इस बात की शिकायत भी की है और अगर यह विषय प्रान्तीय सूची में रख दिया जाये, तो इस काम के लिए वह अपने भूगर्भवेत्ता नियुक्त करने को तैयार है। मैं मसौदा समिति से अनुरोध करूंगा कि वह इस मसले पर विचार करे। ऐसा करना देशहित के लिए अच्छा होगा और जब भारत सरकार देश के मूल्यवान खनिज पदार्थों को निकालने नहीं जा रही है, तो अच्छा यह होगा कि इस विषय को प्रान्तों के हवाले कर दिया जाये, जो इसके लिए उत्सुक हैं। मैं यह भी बता दूंगा कि जहां भी छानबीन के लिए भूगर्भवेत्ताओं का दल गया, वहां ही उन्हें मूल्यवान खनिज पदार्थ जमीन में छिपे मिले, पर व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए उनको विकसित करने का कोई प्रयास नहीं किया। इसलिए मैं इस बात का प्रबल आग्रह करूंगा कि इस विषय को संघ-सूची से हटाकर प्रान्तीय सूची में रख दिया जाये।

*__माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः__ माननीय मित्र सिधवा ने अपनी वक्तृता में बहुत शिकायत तो इस बात की है कि अतीत में केन्द्रीय शासन ने खनिज पदार्थों के पता लगाने के काम में बड़ी उदासीनता दिखाई है और हमेशा उसकी उपेक्षा की है। मैं यह मानता हूं कि केन्द्रीय शासन इस मसले की अब तक उपेक्षा

ही करता रहा है किन्तु इसका मतलब यह नहीं हुआ कि प्रान्तीय सरकारें इस मसले में केन्द्रीय शासन से कुछ ज्यादा दिलचस्पी लेंगी ही।

पहली बात तो यह है कि यह काम बहुत बड़ा है, जिसमें एक अपार राशि खर्च हो जायेगी और मैं नहीं समझता कि प्रान्त अपने इलाके में पाये जाने वाले खनिज पदार्थों के विकास के लिये जो व्यय अपेक्षित होगा, उसे वह जुटा सकेंगे। इस दृष्टिकोण से, इस विषय को समनुवर्ती सूची में देने से, ताकि प्रान्तों को इनके बारे में विधि निर्माण का अवसर मिल सके, मुझे तो कोई लाभ नहीं दिखाई देता।

फिर इस संशोधन को स्वीकार करने में मुझे दूसरी कठिनाई यह दिखाई देती है कि संघ-सूची में एक प्रविष्टि इस आशय की रखी जा चुकी है कि देश के खनिज साधनों के विकास का काम केन्द्र के हाथ में होगा। यदि यह विषय समनुवर्ती सूची में रखा जाता है और प्रान्तों को भी इसके बारे में कानून बनाने का अधिकार रहता है, तो फिर संसद जो कानून खनिज विकास के सम्बन्ध में बनायेगी, उनको कार्यान्वित करने में केन्द्र को बड़ी दिक्कत होगी। इसलिये सिधवा साहब से मैं यह अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रविष्टि को यहां यों ही रहने दें।

***अध्यक्षः** तो अब मैं संशोधनों पर मत लिए लेता हूं। पहिला संशोधन जिस पर मत लिया जाता है वह है, श्री कामत का संशोधन।

***श्री एच.वी. कामतः** चूंकि डॉ. अम्बेडकर साहब मुझे यह विश्वास दिला रहे हैं कि 'anthropological' शब्द के अन्दर 'ethnology' भी शामिल है, मैं उनके संशोधन को मान लेता हूं और अपने संशोधन के लिए आग्रह नहीं करूंगा।

सभा की अनुमति से उन्होंने अपना संशोधन वापस लिया।

***अध्यक्षः** अब आता है श्री सिधवा का संशोधन।

***श्री आर.के. सिधवाः** डॉ. अम्बेडकर ने जो आश्वासन यहां इस सम्बन्ध में दिया, उसे देखते हुए मैं अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहूंगा।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया।

***अध्यक्षः** अब प्रश्न यह है:-

"कि प्रविष्टि 41 यथा संशोधित रूप में सूची 1 का अंश मानी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रविष्टि 41 यथा संशोधित रूप में संघ-सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 42

*__अध्यक्ष:__ प्रविष्ट 42 पर मैं कोई संशोधन नहीं देख रहा हूं।

प्रविष्टि 42 संघ-सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 43

*__अध्यक्ष:__ अब हम प्रविष्टि 43 को लेते हैं। डॉ. अम्बेडकर इस पर एक संशोधन पेश कर रहे हैं।

*__माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:__ मैं यह प्रस्ताव रखता हूं, श्रीमान:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 43 के स्थान पर यह प्रविष्टि रखी जाये—

43. Acquisition or requisitioning of property for the purposes of the Union.'

[43. संघ के प्रयोजनों के लिये सम्पत्ति का अर्जन या अधिग्रहण।]"

सदस्यगण यह देखेंगे कि मूल प्रविष्टि में इनके साथ और भी कई शब्द 'the principles of compensation' इत्यादि रखे गये थे। अब सोचा यह गया है कि इन शब्दों को एक नई प्रविष्टि के रूप में समनुवर्ती सूची में रख दिया जाये। इसलिए इन शब्दों को यहां रखना अब आवश्यक है। समनुवर्ती सूची में प्रविष्टि 35 में यह बातें रखी जायेंगी।

*__श्री श्यामनन्दन सहाय__ (बिहार: जनरल): मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं श्रीमान।

*__अध्यक्ष:__ जरा रुक जाइये। इस पर एक संशोधन पेश किया जाने को है।

*__श्री श्यामनन्दन सहाय:__ संशोधन के पेश किये जाने के पहले ही मैं अपना सुझाव रख देना चाहता हूं। डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित इस प्रविष्टि का बड़ा गहरा सम्बन्ध होगा अनुच्छेद 24 की इबारत से। इनलिये मेरा सुझाव यह है कि इस प्रविष्टि पर तब तक विचार न किया जाये, जब तक कि अनुच्छेद 24 को हम न पास कर लें। यह दलील पेश की जा सकती है कि संघ द्वारा सम्पत्ति का अर्जन या अधिग्रहण होगा ही, सुतरां इस बात को हमें किसी न किसी प्रविष्टि में कहीं रखना ही होगा। मैं यह मानता हूं कि यह एक जरूरी बात है और इसे हमें एक न एक प्रविष्टि में रखना ही होगा। पर मेरा कहना यह है कि अनुच्छेद 24 को पास कर लेने पर हम ऐसी स्थिति में होंगे कि प्रविष्टि की इबारत को और अच्छी तरह सोच समझकर तैयार कर सकेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अनुच्छेद 24 के अनुसार राज्यों में भी सम्पत्ति अधिग्रहण करने के लिए केन्द्र को अधिकार देना आवश्यक हो जाये। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि अभी इस प्रविष्टि पर

विचार तब तक के लिए रोक दिया जाये, जब तक कि अनुच्छेद 24 को यहां न पास कर लिया जाये।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** मैं यह कहता हूं कि ऐसा करना अनावश्यक है क्योंकि इसके लिए सिद्धान्त निर्धारित करने का अधिकार तो हर सूरत में विधान-मण्डल को ही देना होगा। सवाल यह है कि क्या सिद्धान्त निर्धारण के बारे में एक पृथक् प्रविष्टि केन्द्रीय सूची में रखी जाये और एक पृथक् प्रविष्टि प्रान्तीय सूची में रख्शी जाये? सोचा यह गया है कि केन्द्र तथा प्रान्त दोनों के लिए एक प्रविष्टि होनी चाहिए और वह रहनी चाहिए समनुवर्ती सूची में। इसलिए अनुच्छेद 24 के बारे में चाहे जो भी निर्णय हो, सिद्धान्त निर्णय के बारे में इस प्रविष्टि को कहीं ना कहीं तो रखना ही होगा। यदि माननीय मित्र को इस प्रविष्टि को समनुवर्ती सूची में रखने पर आपत्ति है, तो बात दूसरी है अन्यथा इस प्रविष्टि पर विचार स्थगित रखने का कोई मतलब नहीं है।

***श्री श्यामनन्दन सहायः** मैं सोच रहा था ऐसी परिस्थिति के बारे में, जब कि राज्य द्वारा सम्पत्ति अधिग्रहण के लिए भी सिद्धान्त का विनिश्चयन केन्द्रीय संसद को ही करना हो।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** ठीक यही बात है। माननीय मित्र यह देखेंगे कि समनुवर्ती सूची में इसे रखने से यह होगा कि केन्द्र को भी इसके बारे में सिद्धान्त विनिश्चियन का अधिकार रहेगा।

***श्री श्यामनन्दन सहायः** मैं समझ रहा हूं। पर आप कह रहे हैं कि ऐसा करने से 'केन्द्र को भी अधिकार रहेगा'। मेरा कहना यह है कि.........

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** मेरा कहना यह है कि 'Principles' इत्यादि शब्दों को यहां से हटाकर समनुवर्ती सूची की प्रविष्टि 35 में हम रख देना चाहते हैं। यदि माननीय मित्र संघ-सूची की प्रविष्टि 43 और राज्य-सूची की प्रविष्टि 9 को मिलाकर पढ़ें, तो उन्हें पता चलेगा कि दोनों की इबारत एक है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है, कि दोनों के द्वारा न केवल सम्पत्ति अधिग्रहण का अधिकार मिलता है, बल्कि उसके लिए सिद्धान्त निर्धारित करने का भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। बजाय इसके लिए सिद्धान्त निर्धारण का अधिकार देने के लिए संघ-सूची और राज्य-सूची में दो प्रविष्टियां अलग-अलग रखी जायें, सोचा यह जा रहा है कि 'Principles' इत्यादि शब्दों को यहां से हटाकर उन्हें समनुवर्ती सूची की प्रविष्टि 35 में रख दिया जाये।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेनाः** अनुच्छेद 24 को पास करने तक यदि इस प्रविष्टि पर विचार स्थगित ही रखा जाये, तो उसमें आखिर हर्ज क्या है?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** इस पर विचार स्थगित रखने में कोई लाभ नहीं है। मैं इस पर विचार स्थगित रखने के पक्ष में नहीं हूं। इस मसले पर विचार करने में बहुत समय लिया जा चुका है।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** मैं यह प्रस्ताव रखता हूं, श्रीमानः

"कि संशोधन-सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन नं. 21 में सूची 1 की प्रस्तावित प्रविष्टि 43 में 'of Property' शब्दों के आगे 'according to law of the Union' शब्द रखे जायें।"

जो बहस मुबाहिसा यहां हुआ है, उससे यह स्पष्ट है कि जहां तक कि मुआविजे या सम्पत्ति के अधिग्रहण के सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, यह मानी हुई बात है कि उसके बारे में केन्द्रीय विधान-मंडल की विधि बनायेगा। इस संशोधन का प्रस्ताव मैं इस उद्देश्य से रख रहा हूं, यह बात साफ हो जाये और इसके बारे में शक की कोई भी गुंजाइश न रह जाये। मुआविजा क्या हो या मुआविजा दिया जाये या नहीं, इस तरह का कोई सवाल इसमें नहीं उठाया गया है। संसद को इसका अधिकार रहना चाहिए कि समयानुसार वह इन सब बातों का निश्चय करे। पर संसद के अधिकारों को या संघ की विधि-निर्माण सम्बन्धी शक्ति का यहां उल्लेख किये बिना प्रविष्टि को इस रूप में रखना ठीक नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि मेरे संशोधन से प्रविष्टि का मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगा और आगे चलकर इसके कोई दो अर्थ नहीं लगाये जा सकेंगे, जिससे कि कठिन स्थिति पैदा हो सके। इसलिए आशा है कि मेरा संशोधन, जिसमें यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि "सम्पत्ति का अर्जन या अधिग्रहण संसद निर्मित विधि के अधीन ही होगा, न कि मनमाने ढंग पर" सभा द्वारा अवश्य स्वीकार किया जायेगा।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** इसको कोई जरूरत नहीं है। इस प्रविष्टि में विधायिनी शक्ति का ही तो प्रावधान किया गया है। फिर 'according to the law of the union (संघ की विधि के अनुसार)' शब्दों को रखने से फायदा क्या? प्रविष्टि के अनुसार संघ को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त रहेगी।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** फिर मैं अपने संशोधन को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

(सभा की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

***अध्यक्षः** प्रश्न यह हैः

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 43 के स्थान पर यह प्रविष्टि रखी जाये—

'43. Acquisition or requisitioning of property for the purposes of the Union.'

[संघ के प्रयोजनों के लिए सम्पत्ति का अर्जन या अधिग्रहण।]"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

प्रविष्टि 43 यथा संशोधित रूप में संघ-सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 44 संघ-सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 45 संघ-सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 46 संघ-सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 47

***अध्यक्षः** प्रविष्टि 47 पर एक संशोधन है, जो श्री सन्थानम के नाम से है। पर चूंकि श्री सन्थानम उसे पेश नहीं कर रहे हैं, इस प्रविष्टि पर मैं अब सभा का मत लिये लेता हूं।

प्रविष्टि 47 संघ-सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 48

प्रविष्टि 48 संघ-सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 49

***अध्यक्षः** प्रविष्ट 49 पर एक संशोधन हैं। ठाकुर छेदीलाल अपना संशोधन पेश कर सकते हैं, जो छपी हुई संशोधन सूची में 3537 नं. का संशोधन है।

चूंकि सदस्य महोदय सभा में उपस्थित नहीं हैं, इसलिए यह संशोधन नहीं हो रहा है। संशोधन नं. 3538 और 3539 भी पेश नहीं किये। अब मैं प्रविष्टि 49 पर राय लेता हूं।

प्रविष्टि 49 संघ-सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 50

***अध्यक्षः** अब ली जाती है प्रविष्टि 50। इस प्रविष्टि पर एक संशोधन श्री ब्रजेश्वर प्रसाद का है।

(संशोधन नं. 22 पेश नहीं किया गया।)

***अध्यक्षः** श्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं, श्रीमान:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 50 के स्थान पर ये प्रविष्टियां रखी जायें:

'50. The incorporation, regulation and winding up of trading corporations, including banking, insurance and financial corporations but not including co-operative societies.

50A. The incorporation, regulation and winding up of corporations, whether or not, with objects not confined to one State but not including universities.' "

[50. व्यापारिक निगमों का, जिनके अन्तर्गत महाजनी, बीमाई और वित्तीय निगम भी हैं।, किन्तु सहकारी संस्थाएं नहीं हैं, निगमन, विनियमन और समापन्न।

50.क. विश्वविद्यालयों को छोड़कर ऐसे निगमों का चाहे वे व्यापारिक हों या नहीं, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है, निगमन, विनियमन और समापन्न।]"

इस संशोधन को रखने का कारण यह है, श्रीमान, कि वर्तमान प्रविष्टि 50 के सम्बन्ध में जो एक व्यापक प्रविष्टि है, कई सदस्यों का ख्याल यह है कि यह बड़ी अस्पष्ट है। उन्होंने मसौदा समिति से यह कहा है कि इस प्रविष्टि की इबारत कुछ जटिल या अस्पष्ट है। सुतरां इसे इस रूप में रखना चाहिए कि इसका अभिप्राय अच्छी तरह समझ में आ सके। मसलन इस प्रविष्टि से यही शक बना रहता है कि एक से अधिक राज्यों में व्यावसायिक काम करने वाली सहकारी समितियां इसमें शामिल समझी जायेंगी या नहीं। इसलिये वांछनीय यह समझा गया कि इस प्रविष्टि को दो हिस्सों में विभक्त कर दिया जाये। एक हिस्से में व्यावसायिक निगमों का, जिसके अन्तर्गत महाजनी, बीमाई और वित्तीय निगम भी है, उल्लेख किया जाये और दूसरे हिस्से में विश्वविद्यालयों को छोड़कर अन्य ऐसे निगमों का, चाहे वह व्यवसायिक हों या नहीं, जो एक से अधिक राज्यों में अपना काम करते हों, उल्लेख किया जाये। यह संशोधन सिर्फ स्पष्टता लाने के विचार से रखा जा रहा है और मैं नहीं समझता कि इस पर अधिक कुछ कहना आवश्यक है। कई सदस्यों ने मसौदा समिति से अपना यह मत व्यक्त किया है कि मूल प्रविष्टि की इबारत से उसका अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो पाता है और उनकी इच्छा-पूर्ति के लिए यह नई प्रविष्टि रखी जा रही है।

***अध्यक्षः** मैं समझता हूं कि श्री एल. कृष्णस्वामी भारती तथा श्री के. सन्थानम् अपने संशोधनों को नहीं पेश कर रहे हैं, जो छपी सूची में उनके नाम से दिये हुए हैं।

*__श्री जगत नारायण लाल__ (बिहारः जनरल): यदि अनुमति हो तो मैं यह सुझाव दूंगा, श्रीमान, कि अगर मूल प्रविष्टि से 'corporations, that is to say' (निगम अर्थात्) शब्द हटा दिये जायें, तो प्रविष्टि को दो भागों में विभक्त करने की जरूरत न रह जायेगी। इन शब्दों को हटाने पर प्रविष्टि का रूप यह हो जायेगा—

"वाणिज्य निगमों का...
निगमन, आनियमन तथा समापन।"

इससे प्रविष्टि का सतलब स्पष्ट हो जायेगा और फिर इसके अर्थ में द्वित्व न रह जायेगा। श्री टी.टी. कृष्णमाचारी से मैं कहूंगा कि वह इस सुझाव पर ध्यान दें। मेरे इस सुझाव को मान लेने से मसौदा समिति के उद्देश्य की पूर्ति हो जायेगी।

*__माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः__ मैं इस पर विचार करूंगा। पर इस समय जो प्रविष्टि श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने प्रस्तावित की है, उसे पास हो जाने दीजिए।

*__अध्यक्षः__ प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 50 के स्थान पर ये प्रविष्टियां रखी जायें:—

50. The incorporation, regulation and winding up of trading corporations, including banking insurance and financial corporations but not including co-operative societies.

50A. The incorporation, regulation and winding up of corporations, whether trading or not, with objects not confined to one State but not including universities.' "

[50. व्यापारिक निगमों का, जिनके अन्तर्गत महाजनी, बीमाई और वित्तीय निगम भी हैं किन्तु सहकारी संस्थाएं नहीं हैं, निगमन, विनियमन और समापन।]

50.क. विश्वविद्यालयों को छोड़कर ऐसे निगमों का, चाहे वे व्यापारिक हों या नहीं, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं, निगमन, विनियमन और समापन।]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

प्रविष्टि 50 और 50-क संघ-सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 51

प्रविष्टि 51 संघ-सूची में शामिल की गई।

प्रविष्टि 52

*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं यह प्रस्ताव रखता हूं, श्रीमान:

"कि सूची 1 में प्रविष्टि 52 के स्थान पर यह प्रविष्टि रखी जाये—

'52. Constitution and organisation of the Supreme Court and High Courts; jurisdiction and powers of the Supreme Court and fees taken therein; persons entitled to practise before the Supreme Court or any High Court.' "

[52. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का संघटन; उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां तथा उसमें लिये जाने वाले शुल्क; उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के सामने विधि व्यवसाय करने का हक रखने वाले व्यक्ति।]

इसमें जो अंतिम अंश है, वही ज्यादा है बाकी मूल प्रविष्टि के शब्द ज्यों के त्यों है। अंतिम अंश को रखना इसलिये आवश्यक समझा गया है, क्योंकि अब समय आ गया है, जबकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के सामने विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के विधि व्यवसाय करने के अधिकार का विनियमन कर दिया जाये।

*अध्यक्ष: इस प्रविष्टि पर कतिपय संशोधन आये हैं।

*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: मैं अपना संशोधन नं. 24 नहीं पेश कर रहा हूं, श्रीमान।

*अध्यक्ष: श्री नज़ीरुद्दीन अहमद ने इस पर एक संशोधन की सूचना भेज रखी है, पर वह अपने स्थान पर उपस्थित नहीं हैं।

*सरदार हुकम सिंह: मैं यह प्रस्ताव रखता हूं, श्रीमान:

"कि संशोधन सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन नं. 25 में, सूची 1 की प्रस्तावित प्रविष्टि 52 में—

(1) 'and the High Courts' (और उच्च न्यायालय) शब्द हटा दिये जायें; और

(2) 'or any High Court' (या किसी उच्च न्यायालय) शब्द हटा दिये जायें।"

डॉ. अम्बेडकर ने अभी जो कुछ कहा है, उसे हमने सुना है। आपको कहना है कि उनकी प्रस्तावित प्रविष्टि का जो अन्तिम अंश है, वही नया है और शेष बातें यहां वही हैं, जो मूल प्रविष्टि में रखी गई हैं। मूल प्रविष्टि 52 यों है:

"सर्वोच्च न्यायालय की रचना, संघटन क्षेत्राधिकारी तथा शक्तियां और लिये जाने वाले शुल्क"

मूल प्रविष्टि में तो उच्च न्यायालय का कहीं उल्लेख ही नहीं आया है। यहां यह बिल्कुल ही नई बात रखी गई है। जब हमने संविधान निर्माण का काम शुरू किया था, उस समय संघात्मक संविधान बनाने का ही ख्याल हमारे दिमाग में था और तब डॉ. अम्बेडकर ने जिन्होंने कि यह संशोधन अब पेश किया है, कहा था—और संविधान के लचीला होने का श्रेय भी स्वयं लिया था—कि इसकी रचना इस तरह की गई है कि साधारण स्थिति में यह संविधान संघात्मक संविधान का काम करेगा और युद्ध की स्थिति में एकात्मक संविधान का काम देगा। पर अब हम क्या देख रहे हैं? ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते हैं, हम अधिकाधिक एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं, और हमारा संविधान ऐसा बनता जा रहा है कि न केवल युद्ध काल में, जैसाकि पहले हमने सोचा था, एकात्मक संविधान के रूप में काम करेगा, बल्कि शान्ति काल में भी एकात्मक संविधान का ही काम करेगा। हर बात में आप देख रहे हैं कि सारी शक्ति केन्द्र को देने का और प्रान्तों को सर्वथा शक्तिशून्य बना देने का प्रयास किया जा रहा है। प्रान्तीय स्वराज्य तो ढकोसला मात्र रह गया है। प्रान्तों के हाथ में कोई सरकार ही देने का और प्रान्तों को सर्वथा शक्तिशून्य बना देने का प्रयास किया जा रहा है। प्रान्तीय स्वराज्य तो ढकोसला मात्र रह गया है। प्रान्तों के हाथ में कोई अधिकार ही नहीं दिया गया है। वे केवल नगरपालिका निकाय के रूप में रह गये हैं। इन सब बातों का कारण यह बताया जाता है कि स्थिति बदल गई है; सीमा पर खतरा पैदा हो गया है, जिसके लिए हमें व्यवस्था करनी होगी और केन्द्र को मजबूत बनाना होगा। मैं इन सभी बातों से सहमत हूं। केन्द्र को यथासम्भव शक्तिशाली बनाने के प्रयास में मैं किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। पर मेरा मतभेद है उस तरीके से, जिससे कि केन्द्र को आप मजबूत बनाना चाहते हैं। मूल प्रश्न यह है कि क्या विभिन्न प्रादेशिक राज्यों को स्वतंत्र रखा जाये, उन पर पूरा भरोसा किया जाये, उनके हाथ में प्रेरणात्मक अधिकार दिये जायें, ताकि वह स्वेच्छा से केन्द्र को सदा अपना समर्थन प्रदान करते रहें या एक तानाशाही संविधान बनाया जाये और अपनी इच्छा जबरदस्ती उनपर लादी जाये।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं बहस में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, पर यह बता देना चाहता हूं कि हम अनुच्छेद 192-क, 193, 197, 201 तथा 207 को पास कर चुके हैं, जिनमें उच्च न्यायालयों की रचना के बारे में प्रावधान रखे गये हैं। इन अनुच्छेदों के अनुसार सभी उच्च न्यायालय आर्थिक क्षेत्राधिकार को छोड़कर, जहां तक कि उनकी रचना उनके संघटन तथा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का समबन्ध है, केन्द्र के अधीन रखे गये हैं, इसलिए मेरी समझ से यह संशोधन अनियमित है।

***सरदार हुकम सिंह:** मुझे केवल यही कहना है कि माननीय डॉक्टर से मैं यहां सहमत नहीं हूं। मैं कह यह रहा था कि मैं इससे सहमत नहीं हूं कि ऊपर से दबाव डालकर केन्द्र को आप मजबूत बना सकते हैं और विभिन्न इकाइयों को इसके लिए राजी कर सकते है कि वह संघ के अंग बने रहें और केन्द्र

[सरदार हुकम सिंह]

को अपना समर्थन देते रहें। मेरी तुच्छ राय तो यह है कि हमें इस बात की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हर अधिकार प्रान्त से लेकर केन्द्र को दिया जाये। जहां तक कि उच्च न्यायालय के सामने विधिव्यवसाय करने वाले व्यक्तियों का सम्बन्ध है, उनके अधिकारों के विनियमन का काम आप प्रान्तों पर छोड़ सकते हैं और इसमें आपको कोई खतरा नहीं हो सकता है। बहुत से प्रावधान यहां ऐसे रखे जा रहे हैं, श्रीमान, जो केन्द्र को मजबूत बनाने के अभिप्राय से नहीं रखे जा रहे हैं, बल्कि केवल एकमात्र इस इच्छा से कि जहां तक हो सके केन्द्र को हर अधिकार प्राप्त रहे। इसलिए मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि प्रविष्टि से 'and the High Courts' तथा 'or any High Court' शब्द हटा दिये जायें।

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** मैं यह प्रस्ताव रखता हूं, श्रीमान:

"कि संशोधन-सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन नं. 23 में, सूची 1 की प्रस्तावित प्रविष्टि 52 के स्थान पर यह प्रविष्टि रखी जाये—

'52. Constitution, jurisdiction and powers of all courts including the Supreme Court; enlargement of the appellate jurisdiction of the Supreme Court and conferring of supplemental powers thereon, regulation of fees chargeable by the Supreme Court and licensing and regulation of persons entitled to practise before the Supreme Court or any High Court.' "

[52. सभी न्यायालयों की, जिनके अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय भी हैं, रचना, क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्द्धन और उसे पूरक शक्तियों का प्रदान; उच्चतम न्यायालय द्वारा लिये जाने वाले शुल्क का विनियमन तथा उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के सामने विधि व्यवसाय करने का हक रखने वाले व्यक्तियों को लाइसेंस देना और उनका विनियमन।]

संविधान के मसौदे में मूल प्रविष्टि 52 का रूप यह था—

"सर्वोच्च न्यायालय की रचना, संघटन, क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां और लिये जाने वाले शुल्क।"

कहने का मतलब यह है कि मूल प्रविष्टि में केवल उच्चतम न्यायालय की रचना आदि को ही इसमें रखा गया था और उच्च न्यायालय का कोई उल्लेख नहीं था। किन्तु वर्तमान संशोधन में सभी न्यायालय इस प्रविष्टि में शामिल कर लिये गये हैं और न केवल न्यायालयों की रचना या संघटन के प्रयोजनों के लिये,

बल्कि उनके सामने विधि व्यवसाय करने का हक रखने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में विनियमन आदि प्रयोजनों के लिये भी। इस तरह हम देख रहे हैं कि प्रस्तावित प्रविष्टि की परिधि मूल प्रविष्टि से कहीं अधिक व्यापक रखी गई है। अपने संशोधन के द्वारा मैं इसकी परिधि को और अधिक व्यापक बना देना चाहता हूं, ताकि भारत शासन-अधिनियम, 1935 की प्रविष्टि 53 के समान यह हो जाये। इस प्रविष्टि 53 में यह कहा गया है:—

> "Jurisdiction and powers of all courts, except the Federal Court, with respect to any of the matter in this list and, to such extent as is expressly authorised by Part IX of this Act, the enlargement of the appellate jurisdiction of the Federal Court, and the conferring thereon of supplemental powers."
>
> [इस सूची की किसी बात के सम्बन्ध में, फेडरल न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों का क्षेत्राधिकार और उनकी शक्तियां, तथा फेडरल न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उस सीमा तक वर्द्धन जहां तक कि इस अधिनियम के भाग 9 द्वारा ऐसा करने का स्पष्ट अधिकार दिया गया है, तथा उसको पूरक शक्ति देना।]

सो अगर उच्च न्यायालय को यहां शामिल ही करना है, तो क्यों न हम इस सम्बन्ध में अधिनियम, 1935 के प्रावधानों को ही यहां रखें और सभी न्यायालयों की, जिसके अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय भी है, रचना, क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों का प्रावधान यह कर दें।

दूसरी बात जिस पर मैं जोर देना चहता हूं, वह यह है कि उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने के लिये तथा उसको पूरक शक्तियां देने के लिये यहां प्रावधान कर देना जरूरी है, जैसा कि अधिनियम, 1935 में फेडरल न्यायालय के लिये किया गया है। मेरे संशोधन का अन्तिम अंश इसलिए है कि विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लाइसेंस तथा विभिन्न न्यायालय द्वारा दिये जाने वो शुल्क आदि का प्रावधान करके इस प्रविष्टि को और अच्छा बनाया जा सके। मुझे खुशी होगी, अगर सभा इसको स्वीकार कर ले।

फिर भी अगर डॉ. अम्बेडकर ऐसी कोई सन्तोषजनक बात कहते हैं। जिससे यह समझ आ जाये कि सभी न्यायालयों की शक्तियों का उल्लेख करना यहां आवश्यक नहीं है या यह कि उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बढाने का प्रावधान करना यहां आवश्यक नहीं है, तो मैं अपने संशोधन के लिए जोर नहीं दूंगा। अन्यथा मेरा तो ख्याल यही है कि संघ को इस बात का अधिकार प्राप्त रहना चाहिए कि वह उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ा सके और उसको पूरक शक्तियां दे सके।

***अध्यक्ष:** जो संशोधन सरदार हुकम सिंह ने पेश किया है, उसमें संशोधन नं. 197 की बातें आ जाती हैं।

***श्री एच.वी. कामत:** ठीक है, श्रीमान।

***श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर** (मद्रास: जनरल): जो संशोधन डॉ. अम्बेडकर ने उपस्थित किया है, उसके सम्बन्ध में मैं चन्द बातें कहना चाहता हूं। उच्च न्यायालयों के सम्बन्ध में हम पहले ही एक व्यवस्था तय कर चुके हैं। यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया जा चुका है। जहां तक कि उनके संघटन तथा क्षेत्राधिकार का संबंध है, ख्याल ये है कि देश वे सभी उच्च न्यायालयों के संघटन में एकरूपता रहनी चाहिये; हां, यह जरूरी है कि संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए यह एकरूपता रखी जायेगी। इसलिए एकरूपता सम्बन्धी सिद्धांत पर जोर देने के लिए और इस बात के लिये कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के संघटनादि में एकरूपता रहे, यह अधिकार केन्द्रीय विधान-मण्डल को दिया गया है। हमें यह मालूम होना चाहिये कि हमारे देश में अनेक उच्च न्यायालय हैं कुछ उच्च न्यायालय तो ऐसे हैं, जो आज अनेकानेक वर्षों से, करीब शताब्दि से यहां काम कर रहे हैं। कुछ उच्च न्यायालय ऐसे हैं, जो अभी हाल में स्थापित हुए हैं। देश के इन सभी उच्च न्यायालयों को संसद के क्षेत्राधिकार में रखने के लिये और इस बात के लिए कि इन विभिन्न उच्च न्यायालयों के संघटन और रचना में एकरूपता रहे, प्रस्तुत प्रावधान यहां रखा गया है। इन सबके सम्बन्ध में विधि निर्माण का अधिकार एकमात्र संसद को ही होना चाहिये। इसीलिये डॉ. अम्बेडकर के संशोधन में इस बात का प्रावधान किया गया है।

दूसरे इस संशोधन के द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के अधिकार के सम्बन्ध में आवश्यक उपबन्ध रखे गये हैं। वर्तमान कानून के अनुसार हर उच्च न्यायालय-अधिवक्ता यानी ऐडवाकेटों को अधिवक्ता सूची में रखने के बारे में तथा उच्च न्यायालय के सामने विधि व्यवसाय करने के उनके अधिकार के बारे में अपना अलग नियम बना सकता है। जहां तक कि उच्चतम न्यायालय का सम्बन्ध है, उसे उच्चतम न्यायालय के सामने विधि व्यवसाय करने का हक रखने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय को इस सम्बन्ध में जो अधिकार प्राप्त है, वह संसद के अधिकाराधीन है। इसी तरह उच्च न्यायालय की शक्ति भी समुचित विधान-मंडल के अधिकाराधीन है।

चालू व्यवस्था में कुछ असंगतियां हैं, जिन्हें दूर कर देना आवश्यक है। एक असंगति तो पैदा हुई सर एस. बरदाचारी के कारण, जब फेडरल न्यायालय से वह सेवानिवृत्त हुए। आज कोई भी विधि-व्यवसायी, जिसे फेडरल न्यायालय के सामने विधि व्यवसाय करने का हक है, वह उस न्यायालय के सामने तो वकालत कर सकता है, पर अगर मान लीजिये, मामला उस न्यायालय से हटाकर बम्बई के उच्च न्यायालय में भेज दिया जाता है, तो वह उस मामले की वकालत वहां नहीं कर सकता है, यदि उस हाईकोर्ट का वह ऐडवोकेट न हो। यह एक असंगत बात है।

फेडरल न्यायालय के सामने मामले की बहुत कुछ वकालत आपने की, उसके सारे तथ्यों से कानूनी स्थिति से, फेडरल न्यायालय में उसकी वकालत करते समय आप अच्छी तरह परिचित हो गये, पर अगर मामला उठकर अन्य किसी उच्च न्यायालय के सामने चला गया, तो आप वहां उसके लिए वकील के रूप में नहीं उपस्थित हो सकते हैं। फेडरल न्यायालय के समक्ष तो विधि व्यवसायी को उपस्थिति होने की अनुपति रहे, पर उसी मामले के लिए उच्च न्यायालय के सामने उपस्थित होने की उसे अनुमति न रहे। यह बात न तो तर्कसंगत है और न सिद्धान्त संगत है। प्रस्तावित संशोधन से सीधे यह अधिकार नहीं मिल जाता है कि कोई वकील जो उच्चतम न्यायालय के सामने किसी मामले की वकालत कर रहा हो, वह उस मामले की वकालत किसी उच्च न्यायालय के सामने भी कर सकता है। उसके द्वारा संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि वहां से असामंजस्य को दूर कर दें और देश भर में एक तरह की न्याय-व्यवस्था लागू करें। इस सम्बन्ध में उदाहरण के लिए मैं एक घटना का उल्लेख करूंगा। माननीय सर तेज बहादुर सप्रू ने बम्बई हाई कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति पाने के लिए एक आवेदन किया था। पर उस हाई कोर्ट के नियमों के कारण उस उच्च न्यायालय के समक्ष मूल पक्ष की ओर से उपस्थित होने की अनुमति उन्हें नहीं मिल सकी। यही बात और भी कई ख्यातनामा वकील और बैरिस्टरों के साथ हुई है। इसलिये इस संशोधन के द्वारा संसद को इस बात का अधिकार दिया जा रहा है कि वह ऐसी असंगतियों को दूर कर सके तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही जगह विधिव्यवसायियों को उपस्थित होकर मामले की वकालत करने के बारे में जो अधिकार उन्हें मिलने चाहिए, उनका वह विनियमन कर सकें। जब तक कि संसद एक खास तरह से अपने इस मुख्य अधिकार का प्रयोग नहीं करती है, तब तक उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालय के जो वर्तमान नियम हैं, वह चालू रहेंगे। संसद में सभी वर्गों के प्रतिनिधि हैं और वे लोग, मुझे विश्वास है, ऐसी बुद्धिमत्ता की कार्यवाही करेंगे, जिससे देश के न्यायप्रशासन मे सुधार हो सकेगा। और सभी न्यायालयों में नियमादि के बारे में एकरूपता स्थापित हो सकेगी। मैं नहीं समझता कि डॉ. अम्बेडकर के इस संशोधन पर किसी को कोई आपत्ति हो सकती है। यह एक बिल्कुल सही संशोधन है।

***श्री एच.वी. कामतः** अध्यक्ष महोदय, इस मसले के सम्बन्ध में मेरी क्या राय है, उसे मैं बता भी देना चाहता हूं। प्रस्तावित प्रविष्टि के अन्त में रखे गये "or any High Court" शब्दों को मैं हटा देना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मैंने जो संशोधन भेजा है, वह 197 नं. का संशोधन है जो छठे सप्ताह को संशोधन सूची 3 में दिया हुआ है। न तो डॉ. अम्बेडकर ने और न मेरे न्याय विशारद मित्र श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने इस बात के लिए यहां कोई ठोस कारण बताये हैं कि उच्च न्यायालय के सामने विधिव्यवसाय करने का हक रखने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में विनियमन करने का अधिकार राज्यों के विधान-मंडलों को क्यों न प्राप्त रहे। श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने यही कहा है कि वर्तमान समय में

[श्री एच.वी. कामत]

उच्च न्यायालयों को ही इस सम्बन्ध में निगमादि बनाने का अधिकार प्राप्त है, पर यह समझाने की चेष्टा आपने नहीं की कि आखिर यह अधिकार प्रादेशिक विधान-मण्डलों को क्यों न दिया जाये। प्रादेशिक विधान-मण्डलों पर आप इस बात का भरोसा कर सकते हैं कि वे ऐसे कानून बनायेंगे जो संसद निर्मित कानून के प्रतिकूल न होंगे। मैं आपका ध्यान तथा सभा का ध्यान अनुच्छेद 208 की ओर आकृष्ट करूंगा। डॉ. अम्बेडकर ने अभी इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 207 का हवाला दिया है। इस अनुच्छेद 207 के उपबन्ध को देखते हुए उच्च न्यायालयों की रचना और उनके संघटन के सम्बन्ध में विनियमन का अधिकार संघीय विधान-मण्डल को देना सर्वथा वांछनीय प्रतीत होता है और मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु उच्च न्यायालयों के समक्ष विधिव्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में विनियमन का अधिकार संघीय विधान-मण्डल को देना एक दूसरी बात है। अनुच्छेद 208 के द्वारा, जिसे कि सभा पास कर चुकी है, कतिपय स्थितियों के लिए, कतिपय उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के बारे में कुछ अधिकार प्रादेशिक विधान-मण्डलों को दिये गये हैं। अगर प्रादेशिक विधान-मण्डलों को यह अधिकार दिया जा सकता है, तो कोई कारण नहीं है कि उच्च न्यायालयों के सामने विधिव्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में कानून बनाने का जो सामान्य अधिकार हैं, वह क्यों न प्रादेशिक विधान-मण्डलों को दिया जाये। इसलिये इस विषय को सूची 2 में यानी राज्य सूची में रखना चाहिए। अन्यथा अगर प्रादेशिक विधान-मण्डलों को उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में अधिकार दिया जाता है, जैसा कि अनुच्छेद 208 के द्वारा किया गया है, पर उनके सामने विधिव्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के बारे में विनियमन की शक्ति प्रादेशिक विधान-मण्डलों को नहीं दी जाती है, तो मेरी समझ से तो यह एक बेतुकी बात— मुहरों की लूट और कोयलों पर छाप वाली बात होगी।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** अध्यक्ष महोदय, मैं अभी जब ध्वनि यंत्र के सामने बोलने आ रहा था, तो माननीय मित्र श्री त्यागी को यह कहते सुना कि यह मसला महज वकीलों से सम्बन्ध रखता है। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस प्रश्न का सम्बन्ध न केवल वकीलों से ही है, बल्कि भारत की सारी आबादी से इसका सम्बन्ध है। वस्तुत: उच्च न्यायालयों का स्वातंत्र्य तथा न्यायपालिका की शुद्धता–यह ऐसा विषय है, जिसके लिए सारे देश को चिन्ता होनी चाहिए।

मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करूंगा कि आखिर यहां 'or any High Court' शब्द इस संशोधित प्रविष्टि में आये कैसे। कल मैंने यहां यह कहा था कि अब जो प्रविष्टियां प्रस्तावित की जा रही हैं, उनमें बहुत सी नई बातें भी जोड़ दी गई हैं। प्रस्तुत संशोधन इसका एक ज्वलन्त उदाहरण है। मूल प्रविष्टियां थी:

"सर्वोच्च न्यायालय की रचना, संघटन, क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां और लिये जाने वाले शुल्क"। शुल्क की बात यहां नहीं रखी गई है और मुझे इस पर कोई

आपत्ति नहीं है। मूल प्रविष्टि में केवल उच्चतम न्यायालय का उल्लेख था, पर प्रस्तावित प्रविष्टि में यह कहा गया है कि: "उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की रचना और संघटन"। इसके अलावा इसमें इतना और भी जोड़ दिया गया है–"उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के सामने विधिव्यवसाय करने का हक रखने वाले व्यक्ति"।

मेरी पहली आपत्ति तो इस बात को लेकर है कि नई महत्व की बातें इन संशोधित प्रविष्टियों में चुपके से रखी जा रही हैं। मसौदा समिति की यह बात तो मैं समझ सकता था कि..........

(बाधा)

*****श्री महावीर त्यागी:** एक औचित्य प्रश्न है, श्रीमान, "चुपके से" शब्द का प्रयोग यहां क्या सभा में उचित माना जा सकता है?

*****माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** यहां यह कहना, श्रीमान, कि मसौदा समिति ने चुपके से नई बातों को यहां घुसा देने की कोशिश की है, क्या उचित है? माननीय मित्र को इस बात का अधिकार है कि वह मुझसे यह पूछें कि क्यों मैंने प्रविष्टि में परिवर्तन किया है। चुपके से या छिपाकर कोई बात यहां नहीं रखी गई है। प्रविष्टि में रखी गई हर बात के औचित्य को यहां बताने के लिये मैं तैयार हूं।

*****श्री महावीर त्यागी:** मैं आपसे निर्णय की मांग करता हूं, श्रीमान। 'चुपके से' शब्दों का प्रयोग क्या यहां सभा में जायज है।

*****अध्यक्ष:** मैं यह मंजूर करता हूं कि संसदीय पद्धति से मैं इतना परिचित नहीं हूं कि यह कह सकूं कि 'चुपके से' शब्दों का प्रयोग यहां उचित है या नहीं। माननीय सदस्य से मैं यह कहूंगा कि वह यहां कोई ऐसी पदसंहति प्रयुक्त न करें, जिससे सदस्यों को दुःख पहुंचे।

*****श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** मैं आपके आदेश को शिरोधार्य करता हूं, श्रीमान्। मेरा कहना यह है कि ज्यादा अच्छा और साफ तरीका यह होता है कि हमें यह बता दिया जाता कि 'High Courts' शब्दों को यहां जोड़ देना आवश्यक है। 'चुपके से' कहने में मेरा मतलब यह था कि बजाय इस बात के कि साफ-साफ यह कहा जाता कि 'High Courts' शब्दों को रखकर अमुक-अमुक नये परिवर्तन यहां किये जा रहे हैं किया यह गया है कि सारी प्रविष्टि ही बदल कर रख दी गई हैं ऐसा इसलिये किया गया है कि यह स्पष्ट न होने पाये कि 'High Courts' शब्द यहां नये हैं। संशोधित प्रविष्टि और मूल प्रविष्टि में क्या अन्तर है, इसे जानने के लिए दोनों का बड़े ध्यान से धीरज के साथ आपको मुकाबला करना होगा और काफी वक्त लगाना होगा और तभी आप समझ पायेंगे कि संशोधित प्रविष्टि में

[श्री नज़ीरुद्दीन अहमद]

क्या नई बातें रखी गई हैं। मैंने तथा सरदार हुकमसिंह ने घंटों वक्त लगाकर ध्यान और धीरज के साथ जब दोनों प्रविष्टियों को मिलाया, तब कहीं यहां रखी गई नई बातों का हमें पता चल पाया। मैं नहीं समझ पाता कि आखिर ये नई बातें यहां मूल प्रविष्टि पर संशोधन के रूप में क्यों न रखी जायें। इस बात को मैं बहुत ही आपत्तिजनक और साथ ही असुविधाजनक मानता हूं।

*__अध्यक्षः__ हर संशोधन पर विचार करने में मूल प्रविष्टि को ध्यान से पढ़ना होगा। माननीय सदस्य को अगर ध्यान देकर मूल प्रविष्टि और प्रस्तावित प्रविष्टि को पढ़ना पड़ा है, तो इसमें असाधारण बात क्या है।

*__श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः__ मैं केवल यह निवेदन कर रहा था, श्रीमान, कि उपयुक्त संशोधन द्वारा यह बता देना चाहिये था कि यहां क्या परिवर्तन किया जा रहा है। मसलन अगर एक ऐसा संशोधन रखा गया होता कि यहां अमुक स्थान पर 'High Courts' शब्द रखे जायें, तो हमें फौरन इस परिवर्तन का पता चल जाता। हमारी आपत्ति इस बात को लेकर है कि समूची प्रविष्टि को बदलने से हमें ध्यान से काफी वक्त लगाकर प्रस्तावित प्रविष्टि और मूल प्रविष्टि को पढ़कर मिलाना पड़ता है और तब कहीं हम समझ पाते हैं कि क्या नई बातें यहां रखी गई हैं। इस व्यवस्था से सिवाय इसके लिए सदस्यों की मेहनत और बढ़ जाती है और कोई लाभ नहीं होता है। इसी तरह और कितने ही मौकों पर यह किया गया है कि आपत्तिजनक शब्दों को संशोधन द्वारा बताकर रखने के बजाय किया गया है कि मूल अनुच्छेद या प्रविष्टि के स्थान पर नया अनुच्छेद या प्रविष्टि रखने का प्रस्ताव रखकर ऐसा किया गया है। मैं यह स्वीकार करता हूं, श्रीमान, कि आपका यह कहना सर्वथा उचित है कि हर सदस्य को मूल मसौदे को और प्रस्तावित मसौदे को ध्यान से मिलाकर पढ़ना चाहिए और अच्छी तरह तैयार होकर यहां आना चाहिये। मैं निवेदन यह कर रहा था कि हमारे काम को और आसान बनाया जा सकता था। कितनी ही नई-नई बातें इन नई प्रविष्टियों में जोड़ दी गई हैं और हमारे पास समय इतना कम है कि हम इन पर विचार नहीं कर पाते। समय की कमी देखते हुए यह कहना पड़ेगा कि मसौदा-समिति की इस अनावश्यक व्यवस्था से सदस्यों की दिक्कत और बढ़ जाती है।

जहां तक कि उच्च न्यायालयों का सम्बन्ध है, कलकत्ता के उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी प्रान्तीय क्षेत्राधिकार के अधीन थे। ऐतिहासिक कारणों से कलकत्ता के उच्च न्यायालय को एक विशेष स्थिति प्राप्त थी। भौगोलिक दृष्टि से वह एक ऐसे स्थान पर अवस्थित था, जहां सन् 1911 के पहले भारत सरकार की राजधानी थी। सुतरां किसी न किसी प्रकार ऐसा हुआ कि इस उच्च न्यायालय पर भारत सरकार तथा इम्पीरियल कौंसिल का क्षेत्राधिकार कायम हो गया और वह इन्हीं के अधीन बना रहा। भारत-शासन अधिनियम, 1935 के पास होने पर यह

उच्च न्यायालय प्रान्तीय शासन और वहां के विधान-मंडल के क्षेत्राधिकार में आ गया। इसको लेकर बड़ा विवाद चला था। प्रान्तीय क्षेत्राधिकार में इसे रखने का एक कारण यह भी बताया गया था कि प्रान्तों के अधिकार बढ़ा दिये गये हैं। चूंकि केन्द्र अपना फेडरल न्यायालय अब स्थापित कर रहा है, इसलिये वह फेडरल न्यायालय की व्यवस्था करेगा, न उच्च न्यायालयों की। इस तरह कलकत्ता का उच्च न्यायालय जो कि अरसा तक केन्द्रीय क्षेत्राधिकार में था, सन् 1935 के बाद से प्रान्तीय क्षेत्राधिकार में आया। उसके बाद सभी उच्च न्यायालय प्रान्तीय शासन के क्षेत्राधिकार में कर दिये गये। केन्द्र पर अपने ही काम का इतना भार है कि वही इसके लिये बहुत है। मेरा कहना यह है कि केन्द्र को उच्चतम न्यायालय सम्बन्धी प्रश्नों को ही अपने हाथ में लेना चाहिये और अन्य न्यायालयों के सम्बन्ध में व्यवस्थादि का सारा अधिकार प्रान्तीय शासन तथा वहां के विधान-मण्डलों को देना चाहिए। किन्तु मैं यह देख रहा हूं कि वित्तीय, राजनैतिक, वैज्ञानिक हर विषय को ही एक-एक करके धीरे-धीरे प्रान्तों से छीनकर यहां केन्द्र के सुपुर्द किया जा रहा है। मैं कहूंगा कि उच्च न्यायालयों को एक बड़े महत्व की स्थिति प्राप्त है। मैं नहीं समझ पाता कि इस तरह सरकारी तौर पर क्यों आखिर उच्च न्यायालयों पर केन्द्र को क्षेत्राधिकार दिया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मैं एक और संवैधानिक प्रश्न उठाऊंगा। जहां तक कि उच्च न्यायालयों का सम्बन्ध है, सबकी सम्मति से हमने इनको पहले प्रान्तीय सूची में रखने का फैसला किया था। हमने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर यहां सभा में खूब विचार कर लिया था और जो निर्णय इस सम्बन्ध में यहां हुआ, उसके अनुसार मसौदा तैयार करने को मसौदा समिति से कहा गया था। मैं यह कहूंगा कि हमें उन निर्णयों की उपेक्षा न करनी चाहिये। अगर हम अपने पूर्व स्वीकृत निर्णयों की उपेक्षा करते हैं, तो इससे अनेक बातों में उलटफेर हो जायेगा। मैं आपसे यह आग्रह करूंगा, श्रीमान कि आप अपना निर्णय दीजिये पूर्व के निर्णयों को इस तरह अगम्भीरतापूर्वक उलट देना क्या हमारे लिये ठीक होगा। उच्च न्यायालयों को पहले हमने प्रान्तीय शासन के क्षेत्राधिकार में रखा गया। बिना इस पर सम्यक रूप से विचार किये और बिना सभा के सामने इस बात को रखे कि हम पूर्व निर्णयों में अमुक-अमुक परिवर्तन करना चाहते हैं, क्या अपने पहले के निर्णयों को बिल्कुल बदल देना ठीक होगा? सभा को इस पर विचार करना चाहिये।

अभी मैंने इस प्रसंग में सरदार पटेल की कार्य प्रणाली का हवाला दिया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौके पर सरदार ने एक पूर्ण निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए सभा से कहा और उस पर अच्छी तरह विचार कर सभा ने संविधान में उपयुक्त संशोधन कर दिया। उच्च न्यायालयों को प्रान्तीय क्षेत्राधिकार से हटाकर, जो अब केन्द्रीय क्षेत्राधिकार में रखा जा रहा है, यह परिवर्तन एक महत्वपूर्ण संविधानिक परिवर्तन है और बजाय इसके कि इसे नई प्रविष्टि के रूप में यहां रखा जाता, इसे सभा के सामने साफ खोलकर रखना चाहिये था। इस परिवर्तन से लोगों को बड़ा ही असंतोष होगा।

[श्री नज़ीरुद्दीन अहमद]

उच्च न्यायालयों को प्रान्तीय क्षेत्राधिकार से हटाकर केन्द्रीय क्षेत्राधिकार में इस तरह रखना एक बड़ी अनुचित बात है। इन पर प्रादेशिक विधान-मण्डलों को ही क्षेत्राधिकार प्राप्त रहना चाहिये। प्रान्तों को अधिकार देना तो दूर रहा, यहां उन्हें प्राप्त अधिकारों से भी एक-एक करके वंचित किया जा रहा है। इससे अच्छा तो यह था कि प्रांतों को बिल्कुल उठा दिया जाता।

*__श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:__ अनुच्छेद 207 की ओर सभा का ध्यान डॉ. अम्बेडकर पहिले ही आकृष्ट कर चुके हैं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि माननीय सदस्य को इस बात के लिये इतना बोलने की जरूरत नहीं है।

*__माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:__ मैं उनकी बातों का जवाब दे सकता हूं। इसके लिए मुझे केवल दस मिनट की जरूरत है। वह क्या कहना चाहते हैं, इसे मैं समझ गया हूं।

*__श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:__ जवाब देने का आप वचन दे रहे हैं, पर वस्तुतः अगर मुझे उनसे मेरी बातों का जवाब मिला, तो मेरे लिये यह एक असाधारण और सौभाग्य की बात होगी। अब तक तो आपने कभी यहां उठाई गई बातों का जवाब दिया नहीं है। मैं यह कहूंगा कि उच्च न्यायालयों को किसके क्षेत्राधिकार में रखा जाये, इस बात को इस प्रविष्टि में तभी रखना चाहिये था, जब कि इस मसले पर यहां सभा में अच्छी तरह विचार हो जाता, पर ऐसा न करके एक नई प्रविष्टि का प्रस्ताव करके आप इस बात को उसमें रख रहे हैं। यह तरीका ठीक नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर यहां अच्छी तरह से विचार होना चाहिए था। इसको इस तरह सरसरी तौर पर रखना ठीक नहीं है। हां, अगर सभा यह मान लेती है कि मसौदा समिति को इसका अधिकार है कि वह जो भी चाहे करे, तो फिर मेरा यहां यह सब कहना सर्वथा अनावश्यक है। मैं यह महसूस करता हूं कि इस मसले में मेरी हार निश्चित है; मेरी बात न मानी जायेगी, चाहे वह तर्कसंगत भले ही हो।

*__माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:__ मुझे दु:ख के साथ शुरू में ही यह कहना पड़ता है कि मैंने कई मौकों पर यह देखा है कि माननीय मित्र श्री नज़ीरुद्दीन अहमद की यह आदत हो गई है कि वह मसौदा समिति की चर्चा बड़े उपहास के साथ करते हैं उनकी बातों का जवाब देने में मैं कभी उनके स्तर तक नहीं उतरा हूं। पर मैं उनको सावधान कर देना चाहता हूं कि अगर उनका दुराग्रह बना रहा, तो मैं भी तुर्कीवतुर्की जवाब देने में न चूकूंगा।

*__श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:__ क्या सदस्यों को इस तरह धमकाया जायेगा? जो भी हो, मुझ पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

*__माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:__ यह धमकी नहीं है, चेतावनी है।

अब मैं माननीय मित्र श्री पंजाबराव देशमुख की बातों को लेता हूं। मुझे खेद है, मैं उनके सुझाव को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। वह इस प्रविष्टि 52 की परिधि को इतना व्यापक बना देना चाहते हैं कि वह देश के सभी न्यायालयों पर लागू हो सके। यह सर्वथा असम्भव बात है और मैं इसे नहीं स्वीकार कर सकता हूं।

अब मैं माननीय मित्र श्री नज़ीरुद्दीन के तर्कों को लेता हूं। पहली बात तो उन्होंने यह कहीं है कि इस प्रविष्टि में हम उच्च न्यायालयों को चुपके से घुसा देना चाहते हैं, क्योंकि मूल प्रविष्टि में उच्चन्यायालयों का उल्लेख नहीं है। सभा को याद होगा कि मसौदा समिति समय-समय पर न केवल प्रविष्टियों की ही, बल्कि अनुच्छेदों की भी पुनरावृत्ति करती रही है, उनका पुनरावलोकन करती रही है। मैं यहां इस बात का दावा नहीं करता हूं कि मसौदा समिति की निगाह से कोई बात छूट ही नहीं सकती। अगर मसौदा समिति एक बार में सारी बातों को नहीं देख पाई है, तो इसके लिए उसे मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा और न अन्य किसी को ही ऐसा करने दूंगा कि वह उसके कामों पर फैसला करे और उसकी निन्दा करे। संविधान निर्माण का काम एक बड़ा भारी काम है और हमारे लिए यह अनिवार्य है कि हम शनैः शनैः इसमें आगे बढ़ें।

*__श्री एच.वी. कामतः__ क्या यह सभा भी मसौदा समिति के कार्यों के गुण-दोष पर विचार नहीं कर सकती?

*__माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः__ अवश्य, सभा विचार कर सकती है, पर सभा को यह मानना होगा कि मसौदा समिति के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह सभा के सामने कोई ऐसा पूर्ण प्रस्ताव रख दे जिस पर पुनर्विचार करने की कोई जरूरत ही न रह जाये। माननीय मित्र ने शिकायत की है कि यहां उच्च न्यायालयों का उल्लेख बिल्कुल नया है, मूल प्रविष्टि में इनको नहीं रखा गया था। मैं खुद कह रहा हूं कि हमने जानबूझकर उच्च न्यायालयों को यहां रखा है, क्योंकि कतिपय स्वीकृत अनुच्छेदों को देखते हुए हमने इनको यहां रखना जरूरी समझा। माननीय मित्र श्री नज़ीरुद्दीन अहमद, स्पष्ट है कि अनुच्छेद 192-क, 193, 197, 201 और 207 को भूल जाते हैं, जिनमें उच्च न्यायालयों के सम्बन्ध में उपबन्ध रखे गये हैं। अगर वह धैर्य के साथ ध्यान देकर इन अनुच्छेदों को पढ़ें, तो वह देखेंगे कि उच्च न्यायालयों के सम्बन्ध में प्रान्तीय विधान-मण्डलों के साथ केवल इतना ही रखा गया है कि अर्थ के बारे में या मामलों के सम्बन्ध में उनके क्षेत्राधिकार को वह निर्धारित कर सकते हैं। उच्च न्यायालय की अन्य सम्बन्धी बातें केन्द्रीय क्षेत्राधिकार में रखी गई हैं। इसलिए संघ-सूची की प्रविष्टियों पर विचार करते समय, जिनको कि केन्द्र को पूर्ण अधिकार देने के अभिप्राय से यहां रखा गया है, हमारे लिए इस त्रुटि को पूरा कर देना जरूरी था और इसलिए उच्च न्यायालयों का यहां उल्लेख करना पड़ा है जो, जैसा मैं कह चुका हूं, इन अनुच्छेदों के कारण दो बातों के सिवाय अन्य सभी बातों के बारे में पूर्णतः संसद के अधीन रखे गये हैं। इसमें छिपाकर रखने की क्या बात है? अनुच्छेद और प्रविष्टियों की

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

रचना साथ-साथ नहीं की गई थी, जिससे मूल प्रविष्टि में कुछ भूल रह गई थी और उस भूल को सुधारने के लिए यहां उच्च न्यायालयों का उल्लेख कर दिया गया है।

अब मैं इस आपत्ति को लेता हूं कि यहां "उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सामने विधिव्यवसाय करने का हक रखने वाले व्यक्तियों के बारे में" शब्द यहां क्यों बढ़ा दिये गये हैं। श्री अल्लादी कृष्णस्वामी ने इस पर अच्छी तरह प्रकाश डाल दिया है। फिर भी संक्षेप में मैं उन्हीं बातों को पुनः समझाये देता हूं। इन शब्दों को यहां रखकर कोई असाधारण बात नहीं कही गई है, क्योंकि सदस्यों को मालूम है कि अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय के सामने विधिव्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के बारे में विधि निर्माण का संसद को अधिकार दिया गया है। इसलिए इस प्रविष्टि में अगर इसका उल्लेख कर दिया गया है, तो इसमें कोई नई बात है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के सामने विधिव्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के बारे में विधि-निर्माण का अधिकार संसद् को पहले ही दिया जा चुका है।

उच्च न्यायालयों के उल्लेख के सम्बन्ध में वस्तुतः स्थिति यह है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 17 में जो अधिकार केन्द्र को दिया गया है, वह व्यवसायों के सम्बन्ध में है और कानून का पेशा भी एक व्यवसाय ही है। इसलिए समवर्ती सूची की प्रविष्टि 17 के अधीन उच्च न्यायालयों के सामने विधिव्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के व्यवसाय के आनियमन के लिए संसद को विधि बनाने का अधिकार है। पर दिक्कत यह है कि चूंकि यह विषय समवर्ती सूची में है, इसलिए संसद तथा प्रादेशिक विधान-मण्डल दोनों ही इस सम्बन्ध में विधि बना सकते हैं और हो सकता है, इन दोनों ही विधियों में सामंजस्य न हो। इसलिए सोचा यह गया कि प्रविष्टि 17 को समवर्ती सूची में ज्यों का त्यों रहने दिया जाये, ताकि सभी व्यवसाय उसके अन्तर्गत आ सकें और विधि सम्बन्धी व्यवसाय के एक अंश को उठाकर यहां रख दिया जाये, ताकि उच्च न्यायालय के मामने विधिव्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के व्यवसाय के बारे में विधि निर्माण का अधिकार केवल संसद के हाथ में रहे। ऐसा हमने क्यों किया, इसका कारण वह कठिनाई है, जिसका उल्लेख श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने अभी यहां किया है। शायद उनकी बात को आपने न सुना हो, इसलिए मैं पुनः उसको दुहराये देता हूं। मान लीजिये, किसी मामले की पैरवी उच्चतम न्यायालय में एक मद्रास का बैरिस्टर कर रहा है। उच्चतम न्यायालय मामले का निर्णय न करके उसे विचारार्थ बम्बई के उच्च न्यायालय के पास भेज देता है। अब प्रविष्टि 17 के अधीन बनाई किसी विधि के अनुसार हो सकता है, बम्बई सरकार से मद्रास के बैरिस्टर को बम्बई के उच्च न्यायालय के समक्ष उस मामले के लिए वकालत करने की अनुमति न मिले। मद्रास के बैरिस्टर ने तो उच्चतम न्यायालय के सामने उस मामले के सम्बन्ध में वकालत की, सारे मुकदमे को चलाया, पर यही मामला अगर विचारार्थ बम्बई के उच्च न्यायालय के पास भेज दिया जाता

है, तो हो सकता है, वह न्यायालय प्रान्तीय विधि के अनुसार उसे उस मामले की वकालत के लिए अपने सामने उपस्थित होने की अनुमति ही न दे। मैं समझता हूं कि सभी यही स्वीकार करेंगे कि विधि व्यावसायियों के लिये यह बड़ी कठिनाई की बात होगी। इसलिये व्यवसाय के सम्बन्ध में उपबन्ध करने वाली प्रविष्टि 17 से एक अंश उठाकर यहां रख दिया गया है, ताकि विभिन्न उच्च न्यायालय के सामने विधिव्यवसाय करने वाले व्यक्तियों की स्थिति एक सी रहे और उनके व्यवसाय के विनियमन के लिए सर्वत्र एक सा कानून हो। इसलिये मसौदा समिति ने जिस नई प्रविष्टि 52 को प्रस्तावित किया है, उसमें न कोई भ्रांतिकर बात है और न ऐसी ही बात रखी गई है, जिसको हमें वहां छिपाकर रखने की जरूरत हो।

***अध्यक्षः** अब मैं संशोधनों पर मत लेता हूं। पहला संशोधन है, सरदार हुकम सिंह का। यह दो हिस्सों में बंटा हुआ है और दोनों पर अलग-अलग मत लिया जायेगा।

प्रश्न यह है:

"कि संशोधन सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन नं. 23 में, सूची 1 की प्रस्तावित प्रविष्ट 52 में:—

(1) 'and the High Courts' शब्दों को हटा दिया जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** अब दूसरा हिस्सा लिया जाता है। अब प्रश्न है:—

"कि संशोधन सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन नं. 23 में, सूची 1 की प्रस्तावित प्रविष्टि 52 में—

(2) 'or any High Courts' शब्द हटा दिया जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** अब लिया जाता है संशोधन नं. 196, जिसे डॉ. देशमुख ने रखा है।

प्रश्न यह है:—

"कि संशोधन सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन नं. 23 में, सूची 1 की प्रस्तावित प्रविष्टि 52 के स्थान पर यह प्रविष्टि रखी जाये:—

'52. Constitution, Jurisdiction and powers of all courts including the Supreme Court, enlargement of the appellate jurisdiction of the Supreme Court and conferring of supplemental powers thereon; regulation of fees

chargeable by the Supreme Court and licensing and regulation of persons entitled to practise before the Supreme Court or any High Court.'

[52. सभी न्यायालयों की, जिनके अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय भी है, रचना, क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां; उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्द्धन और उसे पूरक शक्तियों का प्रदान; उच्चतम न्यायालय द्वारा लिये जाने वाले शुल्क का विनियमन तथा उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के सामने विधिव्यवसाय करने का हक रखने वाले व्यक्तियों को लाइसेंस देना और उनका विनियमन।]"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** अब डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित प्रविष्टि पर मत लिया जायेगा। प्रश्न यह है:—

"कि सूची 1 की प्रस्तावित प्रविष्टि 52 के स्थान पर यह प्रविष्टि रखी जाये–

'52. Constitution and organisation of the Supreme Court and the High Court; Jurisdiction and powers of the Supreme Court and fees taken therein; persons entitled to practise before the Supreme Court or any High Court.'

[52. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का संगठन; उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां तथा उसमें लिये जाने वाले शुल्क; उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के सामने विधिव्यवसाय करने का हक रखने वाले व्यक्ति।]"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

प्रविष्टि 52 यथा संशोधित रूप में संघ-सूची में शामिल की गई।

***अध्यक्ष:** आज का काम समाप्त हुआ। अब बैठक कल प्रात:काल 9 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् सभा बुधवार तारीख 31 अगस्त सन् 1949 के प्रात: 9 बजे तक के लिए स्थगित हो गई।